



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01

विषय सूची		
विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xiv
प्रस्तावना		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
सामान्य	1-2	1-2
जवाबदेयता संरचना	3-4	2-3
पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश	7-9	4-5
भाग-1		
अध्याय-1		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1-1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	8-9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-10
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन	1.6	10
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	1.7	11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8-1.18	11-19
उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता	1.19 एवं 1.19.1-1.19.4	19-22
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ	1.20	22
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ	1.21	22
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.22-1.24	23-24
अध्याय-2		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		
अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण व परिचालन	2	25-66
भाग-2		
अध्याय-3		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	3.1-3.2	67-68
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	3.3-3.4	69-70
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	3.5	70
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	3.6	70-71
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन	3.7	71-72

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.8 एवं 3.8.1	72–73	
गैर कार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन	3.9	74	
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव	3.10	74	
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	3.11–3.20	74–82	
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ	3.21–3.22	82–83	
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ	3.23	84	
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.24–3.26	84–85	
अध्याय—4			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ			
छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड			
गोदाम किराया का परिहार्य भुगतान	4.1	87–89	
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड			
उच्च दरों पर मल्टीविटामिन सिरप का गैर आवश्यक क्रय	4.2	89–94	
अत्यधिक उच्च दरों पर फूड बॉस्केटों का क्रय	4.3	94–97	
अनुलग्नक			
सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2018 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.4 एवं 1.8	99
1.2	अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम	1.8, 1.9 एवं 1.12	100
2.1	ऑयल के आधिक्य उपभोग के कारण कम्पनी को हुई हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.9.5	101
2.2	आधिक्य स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपभोग दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.9.7	102
2.3	पर्यावरण मंजूरी के शर्तों का गैर अनुपालन दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.10	103–106
3.1	वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिमीकृत किया गया के लिए इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	3.1, 3.11 एवं 3.12	107–108
3.2	उन राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया	3.1 एवं 3.9	109
3.3	31 मार्च 2018 को राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3	110–111

सं.	विवरण	संदर्भ	
		कांडिका	पृष्ठ
3.4	छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखे में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.7	112
3.5	कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे वर्ष 2017–18 के दौरान बकाया हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.8.1	113–114
3.6	वर्ष 2008–09 से 2017–18 के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश की गई राज्य सरकार निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.14	115–117

प्राककथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम की 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अधीन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउटेंट्स) के द्वारा सत्यापित लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणियाँ देते हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—ए के प्रावधानों के अधीन सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2017–18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2017–18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी जहाँ भी संबंधित एवं आवश्यक थे, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए की गई है।

विद्यावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय है:

प्रस्तावना: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप,

अध्याय—1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप,

अध्याय—2: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण एवं परिचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा,

अध्याय—3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप, और

अध्याय—4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर तीन अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,112.99 करोड़ है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को, छत्तीसगढ़ में 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जिनमें एक सांविधिक निगम एवं 25 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें तीन गैर कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सम्मिलित हैं) सम्मिलित थीं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती थीं। इस प्रतिवेदन में 18 पीएसयूज को जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक समय से बकाया नहीं है अथवा कार्यरत थे/परिसमाप्त के अधीन नहीं थीं, शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल कार्यरत पीएसयूज ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,802.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर छत्तीसगढ़ के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9.87 प्रतिशत के बराबर था। आठ पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) जिनका निवेश ₹ 394.63 करोड़ है, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं है।

(कंडिका 1 एवं 2)

1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 20,024.86 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.87 प्रतिशत के बराबर था एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

(कंडिका 1.1)

छत्तीसगढ़ शासन की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, पाँच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 20,103.80 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी 32.79 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋण 67.21 प्रतिशत सम्मिलित था। इसमें से छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) ने ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज में ₹ 6,744.28 करोड़ का निवेश किया, जिसमें पूँजी ₹ 6,591.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 152.44 करोड़ था।

(कंडिका 1.4 एवं 1.8)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 187.84 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017–18 में अर्जित लाभ ₹ 64.82 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, तीन पीएसयूज ने ₹ 489.52 करोड़ का लाभ कमाया तथा दो पीएसयूज को ₹ 424.70 करोड़ की हानि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को ₹ 421.76 करोड़ की अत्यधिक हानि हुई।

(कंडिका 1.9)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश का 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य ₹ 15,781.41 करोड़ है। वर्ष 2008–09 से 2011–12 (2009–10 को छोड़कर) के दौरान चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की कुल लाभदायकता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से बहुत कम रहा। इसके अतिरिक्त, 2012–13 से 2015–16 के दौरान इन पीएसयूज की वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो यह इंगित करता है कि निवेशित धन पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, इन पीएसयूज ने सरकार के धन की लागत भी नहीं वसूली। इन चार पीएसयूज द्वारा 2017–18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल ₹ 946.47 करोड़ की जगह केवल ₹ 67.76 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया।

(कंडिका 1.11)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2018 तक, दो पीएसयूज की संचित हानि ₹ 6,839.32 करोड़ थी। इन दो पीएसयूज में से, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) को वर्ष 2017–18 में ₹ 421.76 करोड़ की हानि हुई एवं एक पीएसयू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचित हानि ₹ 843.04 करोड़ थी। चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के निवल मूल्य (–) ₹ 3,733.18 करोड़ से ₹ 2,263.10 करोड़ के पूँजी का निवेश एवं ₹ 86.42 करोड़ के सरकारी ऋण का पूर्णतया क्षरण कर दिया। 31 मार्च 2018 के अंत में सीएसपीजीसीएल के लिए ₹ 1,971.26 करोड़ का निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी ₹ 2,814.30 करोड़ से कम था।

(कंडिका 1.12)

पूँजी पर प्रतिफल

लाभ कमाने वाले तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था, के लिए अवधि 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) 12.52 प्रतिशत से 12.76 प्रतिशत के मध्य रहा।

(कंडिका 1.14)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानियों में कमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड के लाभों में वृद्धि के कारण ब्याज एवं करो से पूर्व की आय (इबीआईटी) में वृद्धि के कारण आरओसीई 2015–16 में 6.63 प्रतिशत से सुधार होकर 2017–18 में 11.77 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.15)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार
 उदय के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने 2015–16 की अवधि के दौरान ₹ 1,153.60 करोड़ के कुल बकाया ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण ₹ 870.12 करोड़ का अनुदान देकर कर किया था। हाँलांकि, उदय के अंतर्गत परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में निष्पादन संतोषजनक नहीं था। डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग की लिये कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, 18 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य डिस्कॉम की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि 2017–18 तक 19.07 प्रतिशत थी। अतः राज्य डिस्कॉम एटीएंडसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

(कंडिका 1.19.3 एवं 1.19.4)

लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के बीच अंतिम रूप दिये गये सभी पाँच लेखों को मर्यादित घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, एक पीएसयूज के लेखों में लेखा मानकों की अनुपालन नहीं करने के दो प्रकरण थे।

(कंडिका 1.20)

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा का निर्माण एवं परिचालन

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफआर) के आधार पर राज्य के जाँजगीर-चाँपा जिले के मड़वा ग्राम में कोयला आधारित 2x500 मेगावाट की ग्रीन फील्ड विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (मार्च 2005)। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान 15,146.04 मिलियन यूनिट (एमयू) की मांग के विरुद्ध 11,011.32 मिलियन यूनिट की उपलब्धता थी जो कि वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 31,527.24 मिलियन यूनिट के विरुद्ध 33,945 मिलियन यूनिट होगी।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 5,119.84 करोड़ थी जो कि 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण की जानी थी। जो कि तीन वर्ष आठ माह के अधिक समय तथा 31 मार्च 2019 तक ₹ 3,772.67 करोड़ की अधिक लागत के साथ 31 जुलाई 2016 को पूर्ण किया गया। बाद में सितम्बर 2018 में परियोजना का नाम बदलकर, “अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस)” रखा गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नवत हैं:

नियोजन

डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के कार्य क्षेत्र के अनुसार, सलाहकार द्वारा मानचित्रों का डेस्क-टॉप अध्ययन किया जाना था। डीपीआर के अनुसार 80 प्रतिशत भूमि बंजर व 20 प्रतिशत कृषि भूमि थी। जिसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। कम्पनी ने कुल 1,728.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जिसमें से सिर्फ 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) भूमि बंजर थी तथा शेष 1,444.96 एकड़

(83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। परिणामतः पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) के 15 प्रकरण, भू-विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, कामरोको, तालाबंदी जैसी घटनायें हुई जिससे परियोजना के कार्य में रुकावटें आईं।

यह भी देखा गया कि कम्पनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित सीमा 1,254.76 एकड़ के विरुद्ध कुल 1,728.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। जो निर्धारित सीमा से 38 प्रतिशत अधिक थी जिसके लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा जिसके कारण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अधिक भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में ₹ 63.32 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.6.1)

अनुबंध प्रबंधन

कम्पनी ने इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (इपीसी) अनुबंध के आधार पर बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर (बीटीजी-मुख्य संयंत्र) और संयंत्र का शेष कार्य (बीओपी-सहायक कार्य) से संबंधित ₹ 3,890.62 करोड़ मूल्य के दो मुख्य अनुबंधों को क्रियान्वित किया।

मेसर्स डेवलपमेन्ट कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार) को एबीवीटीपीएस के लिए परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार ने 60 किलोग्राम/मीटर रेल की आवश्यकता के अनुरूप के स्थान पर 52 किलोग्राम/मीटर रेल के लिए इन-मोशन वे-ब्रिज के लिए डिजाइन स्वीकृत किया। इन-मोशन वे-ब्रिज की विशिष्टताओं में असंगति होने के कारण इसकी स्थापना अभी तक (मई 2019) नहीं हो सकी। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, ₹ 1,681.52 करोड़ मूल्य का कोयला खरीदा गया किन्तु मार्ग में हुए नुकसान को इसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं मापा जा सका।

बीटीजी और बीओपी अनुबंध (95/90 प्रतिशत अग्रिम का जारी करना) में अव्यवहारिक भुगतान की शर्तों के कारण कम्पनी ने आपूर्ति की गई सामग्री को निर्माण कार्य से बिना लिंक किये निर्माण कार्य मैन्युअल के अनुज्ञेय 75 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध स्थल पर सामग्री प्राप्त करने पर आपूर्ति के लिए ₹ 2,600.42 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया। तदुपरांत, ठेकेदार ने निर्माण कार्य को पूर्ण करने में कम रुचि दिखायी। इस प्रकार, निर्धारित पूर्णता तिथि (नवम्बर 2012) तक सिर्फ 36.82 प्रतिशत/40.37 प्रतिशत निर्माण कार्य हुआ था।

कम्पनी ने मेसर्स भेल को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 276.75 करोड़ ब्याज मुक्त अग्रिम तथा ₹ 25.40 करोड़ ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम जारी किया। परिणामस्वरूप, मेसर्स भेल को अनुचित लाभ दिया तथा कम्पनी को ₹ 87.66 करोड़ की वसूली योग्य ब्याज की हानि हुई। यद्यपि, मोबिलाईजेशन अग्रिम को कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया था किन्तु परियोजना समय में पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.7, 2.7.1.1, 2.7.2 एवं 2.7.3)

परियोजना का क्रियान्वयन

परियोजना की इकाई-1 तथा 2 क्रमशः 42 और 44 महीने के विलंब से चालू हो सकी जिसका मुख्य कारण अनुबंध के निष्पादन, सामग्री की आपूर्ति, बीटीजी सिविल कार्य प्रदान करने और पूर्ण करने तथा बीओपी समझौते के अंतर्गत सुविधाओं को पूर्ण करने में विलंब का होना था। इसके परिणामस्वरूप 16,440.07 मिलियन यूनिट की उत्पादन

हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 4,438.82 करोड़ था, पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के ऋण पर मिलने वाली ₹ 17.95 करोड़ के ब्याज की छूट से वंचित होना पड़ा तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को ₹ 315.92 करोड़ की उच्च दर पर विद्युत के क्रय पर परिहार्य व्यय करना पड़ा।

31 मार्च 2019 तक कम्पनी द्वारा परियोजना पर ₹ 5,119.84 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 8,892.51 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित लागत) और इस प्रकार कम्पनी को ₹ 3,772.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा जिसका मुख्य कारण ऋण पर निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी), मुख्य और सहायक संयंत्र की लागत, भूमि अधिग्रहण की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय इत्यादि में वृद्धि का होना था।

(कंडिका 2.8.1, 2.8.2 एवं 2.8.3)

परिचालनात्मक निष्पादन

विद्युत संयंत्र की दोनों इकाईयों के चालू होने के बाद भी कम्पनी कम से कम 850 मेगावाट प्रति घण्टा (85 प्रतिशत प्लाट लोड फेक्टर) विद्युत उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही यह केवल 575 मेगावाट प्रतिघण्टा ही उत्पादन कर सकी। तदानुसार, 6,345.53 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की कमी रही, जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था, प्रबंधन द्वारा आऊटेजों की उच्च दर के जो कारण पहचाने और प्रतिवेदित किये गये थे उनमें दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, स्पेयर जीटी की अनुपलब्धता और निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग प्रमुख हैं। खराब परिचालनात्मक निष्पादन के परिणामस्वरूप निर्धारित मानदण्डों से अधिक प्यूल ऑयल की खपत होने से ₹ 47.72 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, निर्धारित मानदण्डों से अधिक स्टेशन हीट दर रही जिससे ₹ 37.69 करोड़ मूल्य के 1.54 लाख मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई।

(कंडिका 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 एवं 2.9.7)

पर्यावरण संबंधी मामले

कम्पनी ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा निर्धारित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और मानदण्डों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

संयंत्र में 200 एमजी/एनएम³ के मानदण्ड के विरुद्ध 52 अवसरों पर सल्फर डाईऑक्साइड का स्तर 202.10 एमजी/एनएम³ और 246.15 एमजी/एनएम³ (1.05 प्रतिशत से 23.08 प्रतिशत) के बीच था।

अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 12 में से छः स्थानों पर ध्वनि का मासिक औसत स्तर दिन के समय में निर्धारित 75 डेसीबल की सीमा के विरुद्ध 95.74 डेसीबल और 83.64 डेसीबल के बीच था।

कम्पनी संयंत्र चालू होने के 30 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी, "पर्यावरण प्रभाव निर्धारण" प्रतिवेदन तैयार करने में विफल रही यद्यपि सीईसीबी ने सहमति प्रदान करते समय (31 मार्च 2014) निर्देशित किया था कि इसे संयंत्र चालू होने के 15 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिये संयंत्र के परिचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 2.10.1, 2.10.2 एवं 2.10.3)

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

कार्य नियमावली तैयार न करना, ऊर्जा लेखापरीक्षा का संचालन न करा पाना, आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी, संयंत्र का बीमा न कराना, एसएपी-ईआरपी प्रणाली में कमी होना

यह इंगित करता है कि कम्पनी में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की कमी है।

(कंडिका 2.11.1, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5 एवं 2.11.6)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही से पहले हमेशा भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तथा आवश्यकता का निर्धारण करें तथा उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जो भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने में असफल रहे।
- वह अपनी भविष्य की परियोजनाओं में अग्रिम जारी करने के संबंध में अनुबंध के नियमों व शर्तों का निर्धारण करते समय अपने वित्तीय हित की रक्षा करें।
- समय और लागत वृद्धि और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन हानि को रोकने के लिए कम्पनी को बेहतर योजना, सटीक निगरानी और ठेकेदार और सलाहकारों के साथ उत्कृष्ट तालमेल द्वारा समयबद्ध रूप से तापीय विद्युत संयंत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- परिचालनात्मक निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करें और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोयले और ऑयल की खपत के संबंध में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों को प्राप्त करें।
- पर्यावरण अधिनियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
- एसएपी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से पूर्व क्रियान्वयन गतिविधियों, परियोजना के क्रियान्वयन, नियमों एवं शर्तों का अनुपालन से संबंधित अपने आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करें।

3. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 तक, छत्तीसगढ़ में 21 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिसमें 17 कार्यशील कम्पनियाँ, एक कार्यशील सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यशील पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे। 21 राज्य पीएसयूज में से 13 पीएसयूज का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। वर्ष 2017–18 के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, इन कार्यशील पीएसयूज ने ₹ 8,778.13 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर जीएसडीपी के 3.01 प्रतिशत के बराबर था।

(कंडिका 3.1 एवं 3.2)

छत्तीसगढ़ शासन की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 को, इन 21 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,021.54 करोड़ था। इसमें से 13 पीएसयूज (जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं) में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 626.91 करोड़ था। निवेश में 9.13 प्रतिशत पूँजी एवं 90.87 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। इसमें से छत्तीसगढ़ शासन ने 10 पीएसयूज में ₹ 388.07 करोड़ निवेश किया जिसमें पूँजी ₹ 49.18 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 338.89 करोड़ सम्मिलित थे।

(कंडिका 3.4 एवं 3.11)

लेखों के बकाया

31 दिसम्बर 2018 को नौ कार्यशील पीएसयूज के एक से चार साल तक की अवधि के 15 लेखे बकाया थे। इसके अलावा, एक अकार्यशील पीएसयू के एक लेखे भी बकाया थे। छत्तीसगढ़ शासन ने 10 में से पाँच राज्य पीएसयूज को, जिनके लेखे

31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 2,597.28 करोड़ (अनुदान ₹ 302.43 करोड़ एवं सब्सिडी ₹ 2,294.85 करोड़) प्रदान किये।

(कंडिका 3.8.1)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

इन कार्यरत पीएसयूज का अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 120.76 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 93.85 करोड़ रह गया। इन 13 कार्यरत राज्य पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 10 पीएसयूज ने ₹ 94.28 करोड़ लाभ अर्जित किया तथा तीन पीएसयूज ने ₹ 0.43 करोड़ की हानि उठायी। 13 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने 97.38 प्रतिशत लाभ (₹ 91.81 करोड़) अर्जित किया जो कि एकाधिकार के लाभ से अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त होने वाली निश्चित आय थी।

(कंडिका 3.12 एवं 3.12.1)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक निवेश पर प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी निधियों का वर्तमान मूल्य ₹ 284.74 करोड़ आंकलित किया गया। इन पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश की गयी निधियों की लागत वसूली करने के लिए इन कम्पनियों ने वर्ष 2008–09 से 2017–18 के बीच पर्याप्त लाभ (2012–13 को छोड़कर) अर्जित किया था।

(कंडिका 3.14)

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

2015–18 की अवधि के दौरान एकाधिकार लाभ अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि की सुनिश्चित आय होते हुए, एकाधिकार एवं निश्चित आय क्षेत्र के पीएसयूज की आरओई 3.98 प्रतिशत एवं 14.98 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की आरओई मुख्य रूप से सीएमडीसी द्वारा (₹ 1.51 करोड़) हानि उठाये जाने के कारण ऋणात्मक थी। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज (सीएमडीसी) में क्रमशः: 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 वर्ष के दौरान ₹ 81.05 करोड़, ₹ 95.16 करोड़ एवं ₹ 179.32 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) निवेश किया था जो कि बकाया था। 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई क्रमशः: 0.34 प्रतिशत एवं 1.19 प्रतिशत थी। जो यह दिखाता है कि आईएफएल के रूप में महत्वपूर्ण निवेश की पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी, आरओई प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पीएसयूज की आय के अनुरूप नहीं था।

(कंडिका 3.15)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान 13 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में कमी मुख्य रूप से दो पीएसयूज जैसे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य बैवरेजेस निगम लिमिटेड के लाभ में कमी और तीन पीएसयूज जैसे छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के दीर्घावधि ऋण में वृद्धि होने के कारण हुई थी।

(कंडिका 3.16)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2018 तक, 10 पीएसयूज में से दो पीएसयूज की संचयी हानियाँ ₹ 211.09 करोड़ की थी। उन दो पीएसयूज में से वर्ष 2017–18 में एक पीएसयू की ₹ 0.10 करोड़ की हानि हुई थी और वर्ष 2017–18 में एक पीएसयू को हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचयी हानि ₹ 210.59 करोड़ थी। 10 राज्य पीएसयूज, में से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (–) ₹ 205.21 करोड़ था जिसमें से ₹ 4.43 करोड़ की पूँजी निवेश का पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था।

(कंडिका 3.17)

लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने राज्य पीएसयूज के लिए कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 से 2017–18 के दौरान केवल 2.33 प्रतिशत एवं 10.49 प्रतिशत के मध्य रहा। उनमें से नौ राज्य पीएसयूज जिसने ₹ 44.28 करोड़ की शासकीय पूँजी पर ₹ 94.05 करोड़ का एकीकृत लाभ प्राप्त किया था, केवल छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने ₹ 2.41 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया था।

(कंडिका 3.18)

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान अंतिमीकृत किये सभी 14 लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित घोषित किया गया है। चार लेखों में पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना नहीं करने के सात मामले थे।

(कंडिका 3.21 एवं 3.22)

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड लोक निर्माण विभाग के डिपाजिट आधार पर सौंपे गए गोदाम के निर्माण कार्य की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप गोदाम को किराए से लेने के कारण ₹ 1.64 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने 2016–17 की आवश्यकताओं के विरुद्ध वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2017) पुरानी तिथि पर 73.95 लाख मल्टीविटामिन सिरप की बोतलों का क्रय आदेश जारी किया, परिणामस्वरूप 30.81 लाख बोतलों के कालातीत और उच्च दरों पर सिरप क्रय के कारण ₹ 6.84 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.2)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने मुख्यमंत्री ठीबी पोषण योजना के तहत एकल अयोग्य बोलीदाता से अत्यधिक उच्च दरों पर, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा योजना के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ₹ 409 प्रति फूड बॉस्केट की लागत से किए गए व्यय को नजर अंदाज करते हुए, क्रय किया। कप्पनी ने प्रारंभ में ₹ 1,039.50 प्रति फूड बॉस्केट की उच्च दर पर क्रय आदेश दिया जिसे छत्तीसगढ़ शासन से कम राशि की प्राप्ति के कारण कम कर ₹ 892.50 किया गया और लेखापरीक्षा के द्वारा बताये जाने के बाद इसे कम कर ₹ 714 कर दिया गया। परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3)

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के
कार्यकलाप

प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सामान्य

1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2018 तक, छत्तीसगढ़ में 26 पीएसयूज थे, जिनमें एक¹ सांविधिक निगम एवं 25 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें तीन गैर-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सम्मिलित हैं) थीं जो भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन थीं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनियाँ शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थीं।

2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 31 दिसम्बर 2018 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। पीएसयूज की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति तालिका-1 में दर्शाई गई है।

तालिका-1: प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें (कुल बकाया लेखें) 31 दिसम्बर 2018 को बकाया हैं
		2017–18 ² तक के लेखें	2016–17 तक के लेखें	2015–16 तक के लेखें	योग	
इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हुए पीएसयूज						
सरकारी कम्पनियाँ	17	7	10	—	17	10 (10)
सांविधिक निगम	1	1	—	—	1	—
योग	18	8	10	—	18	10 (10)
इस प्रतिवेदन में न सम्मिलित हुए पीएसयूज						
पीएसयूज जिनके लेखें तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया थे/प्रथम लेखा जमा नहीं किया/बकाया था, या जिन्होंने व्यवसाय संचालन प्रारंभ नहीं किया	5	1	—	—	1	4 (10)
गैर-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	3	2	1	—	3	1 (1)
गैर-कार्यरत सांविधिक निगम	—	—	—	—	—	—
योग	8	3	1	—	4	5 (11)
महायोग	26	11	11	—	22	15 (21)

इस प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज को सम्मिलित नहीं किया गया है जिनके लेखें तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया हैं या गैर-कार्यरत/परिसमाप्त के अधीन थे या प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ या बकाया था या जिन्होंने व्यवसाय संचालन प्रारंभ नहीं किया जैसा अनुलग्नक-3.2 में विवरणित किया गया है। इस प्रतिवेदन में

¹ छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम

² जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक

सम्मिलित 18 राज्य पीएसयूज³ ने 31 दिसम्बर 2018 को इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,802.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017–18 (₹ 2,91,681 करोड़) के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 9.87 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज ने इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 158.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य पीएसयूज में लगभग 18,270 कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) जिनका कुल निवेश ₹ 394.63 करोड़, जिसमें पूँजी (₹ 160.65 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 233.98 करोड़) था, को सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य क्षेत्र है क्योंकि इन पीएसयूज में किए गए निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धाराएँ 139 एवं 143 में उल्लेखित है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंशपूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार सरकारी कम्पनी के मामले में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अंदर किया जाना है एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के संचालक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप—धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप—धारा (5) या उप—धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

³ इन आंकड़ों में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं 13 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज सम्मिलित हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरण एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा इनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के प्रकरण में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

5 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अंदर तैयार किया जाना है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ सदनों या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये भी लगभग समान प्रावधान हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तिथि से अगली एजीएम की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमण्डल की भूमिका

6 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल पीएसयूज में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किये गये अनुसार राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां

तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7 छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) की पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण** — अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन समय—समय पर पीएसयूज को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** — छत्तीसगढ़ शासन पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारंटियाँ** — छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुनर्भुगतान की गारंटी भी देता है।

8 31 मार्च 2018 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका—2 में दिया गया है।

तालिका—2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम		योग	निवेश (₹ करोड़ में)		
	कार्यशील	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गई	कार्यशील	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गई		पूँजी	दीघावधि ऋण	योग
ऊर्जा	5	—	—	—	5	6,591.89	13,511.91	20,103.80
ऊर्जा के अतिरिक्त	12	8	1	—	21	217.87	803.67	1,021.54
योग	17	8	1	—	26	6,809.76	14,315.58	21,125.34


(नोट: पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी एवं ऋण के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयूज में किए गए निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2015—16 से 2017—18 की अवधि के दौरान ₹ 1,541.82 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 1,142.83 करोड़ (74.12 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में ऊर्जा एवं ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश चार्ट—1 में दर्शाया गया है।

चार्ट—1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग—⁴ में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज एवं प्रतिवेदन के भाग—⁵ में 21 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁴ भाग—1 में अध्याय—1 (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय—2 (ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) सम्मिलित है।

⁵ भाग—2 में अध्याय—3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के कार्यकलाप) एवं अध्याय—4 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका) सम्मिलित हैं।

भाग-1

अध्याय-१

भाग—1

अध्याय—1

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. प्रस्तावना

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य की जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण तालिका—1.1 में दिया गया है।

तालिका—1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण

विवरण	2015–16	2016–17	(₹ करोड़ में) 2017–18
टर्नओवर	15,166.73	20,024.86	20,024.86
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	18.71	32.03	—
छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी	2,34,212	2,62,263	2,91,681
विगत वर्ष की जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	5.91	11.98	11.22
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.48	7.64	6.87

(स्त्रोत : सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आंकड़ों तथा छत्तीसगढ़ शासन की 2017–18 की आर्थिक समीक्षा में इंगित जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में वृद्धि हुई तथा यह 2015–18 की अवधि में 18.71 प्रतिशत एवं 32.03 प्रतिशत के बीच थी जबकि समान अवधि में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में वृद्धि 5.91 प्रतिशत एवं 11.98 प्रतिशत के बीच थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि¹ 7.59 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विभिन्न समय अवधियों में वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में जीएसडीपी की 7.59 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने टर्नओवर में 9.70 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की। जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्रों के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 6.48 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 6.87 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गरन

1.2 राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2008 द्वारा 1 जनवरी 2009 से तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का पाँच नई कम्पनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)

¹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [$\{(2017-18 \text{ की राशि} / 2015-16 \text{ की राशि})^{(1/3)} - 1\} * 100$]

एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल) में विभाजित कर दिया गया तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों (पूँजी ₹ 4,475.90 करोड़² और ₹ 2,985.41 करोड़ के सीएसईबी के ऋणों एवं पूँजीगत दायित्व सम्मिलित) को स्थानान्तरण योजना नियमावली 2010 के अनुसार इन कम्पनियों के बीच विभाजित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (31 मार्च 2010) स्थानान्तरण योजना नियमावली 2010 के अनुसार पूर्ववर्ती सीएसईबी के सम्पत्तियों एवं सभी हितों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि को 1 जनवरी 2009 के तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार में स्थानान्तरित एवं निविष्ट कर दिया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 इस अवधि में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि—वार सारांश तालिका—1.2 में दिया है।

तालिका—1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि—वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
विद्युत का उत्पादन	1	2,814.30	8,249.63	11,063.93
विद्युत का पारेषण	1	904.71	1,101.72	2,006.43
विद्युत का वितरण	1	2,263.10	4,160.56	6,423.66
अन्य ³	2	609.78 ⁴	—	609.78
योग	5	6,591.89	13,511.91	20,103.80

(स्त्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी एवं ऋणों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2018 को, पाँच ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 20,103.80 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी 32.79 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 67.21 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 1.13 प्रतिशत (₹ 152.44 करोड़) थे। जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 98.87 प्रतिशत (₹ 13,359.47 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था। हॉलांकि

² छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना संख्या 1816/एफ-21/13/13-2/2014 दिनांक 17 जुलाई 2017 के अनुसार पूँजी की समापक राशि में से सीएसपीएचसीएल (₹ 715.58 करोड़), सीएसपीजीसीएल (₹ 1,230.26 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 749.05 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 1,780.96 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) की राशि प्रभाजित की गई।

³ अनुलग्नक—1.1 का स. क्र. 4 और 5.

⁴ छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल को पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ जारी किये जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की राशि सम्मिलित जो कि सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) ने अपनी सहायक कम्पनियों अर्थात् सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जैसा कि तालिका—1.2 और अनुलग्नक—1.1 में उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं अन्य क्षेत्र में दर्शाया गया है। अतः वर्णित आंकड़े (₹ 609.78 करोड़) में सीएसपीएचसीएल की पूँजी ₹ 609.73 करोड़ (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहायक कम्पनियों के लिये प्रदत्त ₹ 5,982.16 करोड़ की राशि को छोड़कर) तथा सीएसपीटीआरसीएल की पूँजी ₹ 0.05 करोड़ सम्मिलित है।

2015–16 की अवधि में, 30 सितम्बर 2015 को सीएसपीडीसीएल के कुल बकाया ऋणों (₹ 1,153.60 करोड़) में से राज्य सरकार ने (मार्च 2016) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना⁵ (उदय) योजना के अंतर्गत ₹ 870.12 करोड़ (राज्य सरकार का अंश) वापस ले लिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक वर्ष प्रदत्त अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं वर्ष के दौरान पूँजी में परिवर्तन के रूप में बजटीय सहायता का संक्षिप्त विवरण तालिका-1.3 में दिया गया है।


**तालिका-1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण
(₹ करोड़ में)**

विवरण ⁶	2015–16		2016–17		2017–18	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की निकासी (अ)	—	—	1	490.00	—	—
दिये गये ऋण (ब)	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (स)	1	2,658.68	1	1,291.46	1	2,911.29
कुल निकासी (अ+ब+स)	1	2,658.68	2	1,781.46	1	2,911.29
ऋण का भुगतान/अपलेखन	—	—	—	—	—	—
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	—	—	—	—	—	—
बकाया गारंटी	2	827.46	2	2,739.59	1	2,318.12
गारंटी प्रतिबद्धता	2	1,327.46	2	3,118.88	1	2,955.00

(स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी, ऋणों एवं गारंटियों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता व्यय का विवरण चार्ट-1.1 में दिया गया है।

चार्ट-1.1: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता



वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 2,911.29 करोड़ एवं ₹ 1,781.46 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017–18 के दौरान अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त ₹ 2,911.29 करोड़ की बजटीय सहायता

⁵ डिस्कॉम के वित्तीय एवं परिचालन सुधार हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई योजना।

⁶ वर्णित राशि केवल राज्य सरकार के बजट से निकासी को दर्शाती है।

विभिन्न योजनाओं⁷ के क्रियान्वन एवं राजस्व सब्सिडी के लिए थीं।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन सुधार हेतु उदय योजना प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों एवं सीएसपीडीसीएल द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय की कंडिका 1.19 के अन्तर्गत की गई है। वर्ष 2015–16 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी/अनुदान (₹ 2,658.68 करोड़) में उदय योजना के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को प्रदत्त सहायता (₹ 870.12 करोड़) भी सम्मिलित है।

छत्तीसगढ़ शासन राज्य के पीएसयूज को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गारंटी नियमावली (सीएसजीजीआर), 2003 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सीएसजीजीआर 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत, पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋण के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऋण लेने वाली संस्थाओं पर एक निश्चित दर से गारंटी शुल्क भारित की जाती है, जिसकी निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि अनुदान आदेश में निर्दिष्ट होती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धता 2016–17 के ₹ 3,118.88 करोड़ से 5.25 प्रतिशत घटकर 2017–18 में ₹ 2,955 करोड़ हो गयी।

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन

1.6 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से संबंधित आंकड़ों का छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। यदि उक्त आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे संबंधित स्थिति तालिका-1.4 में दर्शित है।

तालिका-1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर
पूँजी	6,416.05	6,591.89	175.84 ⁸
ऋण	108.71	152.44	43.73
गारंटी	2,318.12	2,190.00	128.12

(स्त्रेट: पीएसयूज एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

आंकड़ों में अन्तर विगत कई वर्षों से सतत आ रहे हैं। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। पूँजी में सर्वाधिक अंतर (₹ 175.84 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में देखा गया। इसलिए, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को आंकड़ों में अंतर का एक समयबद्ध तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

⁷ एकल बल्ब कनेक्शन के लिए सब्सिडी/अनुदान, कृषि पम्प को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना, कृषि पम्पों का विद्युतीकरण इत्यादि और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को दी गई राजस्व सब्सिडी।

⁸ सीएसपीएचसीएल के लेखों में ₹ 175.84 करोड़ की अंश पूँजी की राशि को अंश आवेदन राशि के रूप में रखा गया जिसके विरुद्ध सीएसएचपीएचसीएल द्वारा कोई भी अंश पूँजी जारी नहीं किया गया है। तदानुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने उसे निवेश नहीं माना है जिसके फलस्वरूप वित्त लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेशित अंश पूँजी की राशि में अंतर है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

1.7 31 मार्च 2018 को सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में पाँच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। किसी भी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज ने 31 दिसम्बर 2018 तक, वर्ष 2017–18 के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुये विगत तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया से संबंधित विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

संख्या	विवरण	2015–16	2016–17 ⁹	2017–18 ¹⁰
1.	पीएसयूज की संख्या	5	5	5
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	5	5	5
3.	पीएसयूज की संख्या जिनके द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए लेखें अंतिमीकृत किए गए	—	—	—
4.	विगत वर्षों के लेखों की संख्या जो वर्तमान वर्ष में अंतिमीकृत हुए	5	5	5
5.	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें बकाया है	5	5	5
6.	बकाया लेखों की संख्या	5	5	5
7.	बकाया लेखों की अवधि	1 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष

(स्रोत: 31 दिसम्बर 2018 तक प्राप्त पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों की 31 दिसम्बर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम, इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, **अनुलग्नक-1.2** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश की राशि ₹ 20,103.80 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 13,511.91 करोड़ (सरकारी ऋण 152.44 करोड़¹¹ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण ₹ 13,359.47 करोड़) सम्मिलित थे जैसा कि **अनुलग्नक-1.1** में दिया गया है। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज¹² में छत्तीसगढ़ शासन का निवेश ₹ 6,744.28 करोड़ है जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 6,591.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 152.44 करोड़ सम्मिलित थे।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की

⁹ वर्ष 2016–17 हेतु, 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखों को दर्शाया गया है।


¹⁰ वर्ष 2017–18 हेतु, 31 दिसम्बर तक प्राप्त लेखों को दर्शाया गया है।

¹¹ ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2015–16 से ऋण एवं ब्याज का समायोजन नहीं किया गया है और इसलिए बकाया राशि को छत्तीसगढ़ शासन के ऋण के रूप में बहाल किया गया है।

¹² छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में इसकी चार सहायक ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज के लिये पूँजी जारी की। इसलिये, सरकार की निधि के निवेश हेतु होल्डिंग कम्पनी की कम हुई पूँजी (सहायक कम्पनियों में निवेश की गयी पूँजी की सीमा तक) एवं तीन सहायक पीएसयूज की अंश पूँजी (जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के सीधे ऋण/अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश किया है) को लिया गया है (**अनुलग्नक-1.1**)। छत्तीसगढ़ शासन के निवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी को नहीं लिया गया है।

अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति चार्ट-1.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.2: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश




कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि¹³ की समग्र स्थिति को चार्ट-1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



¹³ आंकड़े संबंधित वर्ष के अद्यतन अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 187.84 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017–18 में अर्जित लाभ ₹ 64.82 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पीएसयूज के अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, तीन पीएसयूज ने ₹ 489.52 करोड़ का लाभ कमाया तथा दो पीएसयूज को ₹ 424.70 करोड़ (**अनुलग्नक-1.2**) की हानि हुई। लाभ कमाने वाली कम्पनियों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 336.49 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹ 152.06 करोड़) थीं जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को अत्यधिक (₹ 421.76 करोड़) हानि हुई थी।

2015–16 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि की स्थिति को तालिका –1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान लाभ/हानि नहीं हुआ
2015–16	5	3	2	—
2016–17	5	3	2	—
2017–18	5	3	2	—

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.10 सरकार द्वारा चार ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता लगाने के लिये धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई। राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना पूर्ववर्ती बिजली बोर्ड (2008–09) के पुनर्गठन के बाद इन कम्पनियों की बैलेस शीट को अंतिम रूप दिये जाने से 31 मार्च 2018 तक की गई है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों के रूप में निवेश किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि के वर्तमान मूल्य की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है :

- ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाया गया है तथा उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। कांडिका 1.19 में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को छोड़कर राजस्व अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁴ के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिये सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

एक¹⁵ ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया था ने 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि वहन की थी, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन की अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनी के निवल मूल्य के क्षरण पर कंडिका 1.12 में टिप्पणी की गई है।

1.11 इन चार ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/बकाया दीर्घावधि ऋण एवं पूँजी अनुदानों के रूप में निवेश की स्थिति एवं इनमें 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक के लिये राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका-1.7 में दर्शाई गयी है।

¹⁴ सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त (छत्तीसगढ़ शासन) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान $\{(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं\}/2\} \times 100$

¹⁵ सीएसपीडीसीएल

तालिका–1.7: 2000–01 से 2017–18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पैंजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त / भुगतान न किया गया ऋण, पैंजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ ¹⁶
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi/100}	x
2007–08 तक	—	24.92	—	24.92	—	—	41.31	—	—
2008–09	41.31	5,106.84	29.50	5,136.34	7.36	5,177.65	5,558.72	381.07	136.94
2009–10	5,558.72	0.00	200.80	200.8	7.13	5,759.52	6,170.17	410.65	435.29
2010–11	6,170.17	0.00	78.49	78.49	7.34	6,248.66	6,707.32	458.65	296.51
2011–12	6,707.32	900.00	100.00	1,000.00	7.08	7,707.32	8,252.99	545.68	280.80
2012–13	8,252.99	704.00	182.73	886.73	6.34	9,139.72	9,719.18	579.46	–1,883.53
2013–14	9,719.18	22.00	172.12	194.12	6.12	9,913.30	10,520.00	606.69	–492.35
2014–15	10,520.00	0.00	200.81	200.81	6.16	10,720.81	11,381.21	660.40	–1,334.29
2015–16	10,727.09	–654.12 ¹⁷	1,102.70	448.58	6.25	11,175.67	11,874.15	698.48	–185.68
2016–17	11,874.15	488.20 ¹⁸	296.47	784.67	6.62	12,658.82	13,496.83	838.01	67.76
2017–18	13,496.83	0.00	1,338.11	1,338.11	6.38	14,834.94	15,781.41	946.47	67.76
कुल योग	6,591.84	3,701.73	10,293.57						

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन चार कम्पनियों में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2007–08 में ₹ 24.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 10,293.57 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने पैंजी (₹ 6,566.92 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण एवं पैंजी अनुदान (₹ 3,701.73 करोड़) के रूप में अतिरिक्त धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 15,781.41 करोड़ आता है।

2008–09 से 2011–12 (2009–10 को छोड़कर) की अवधि के दौरान इन पीएसयूज का कुल लाभ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रहा। इसके अलावा, इन पीएसयूज का कुल लाभ 2012–13 से 2015–16 के दौरान संबंधित वर्ष के लिए ऋणात्मक रहा जो कि यह दर्शाता है कि

¹⁶ वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए उन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

¹⁷ पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि से संबंधित अधिशेष राजस्व को सीएसईबी के विभाजन के बाद सीएसपीएचसीएल द्वारा अंश आवेदन राशि के रूप में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया (2015–16) कि राशि ₹ 654.12 करोड़ सीएसपीडीसीएल की आय थी और इसलिये सीएसपीडीसीएल को हस्तांतरित की गयी, जिसे सीएसपीडीसीएल के 2015–16 के लाभ एवं हानि खाते में असाधारण मद (आय) के रूप में माना गया। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन की पैंजी निवेश उस सीमा तक कम कर दिया गया है।

¹⁸ आंकड़े में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिडग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड को पैंजी के रूप में प्रदान की गई ₹ 490 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन की दिनांक 17 जुलाई 2017 की अधिसूचना क्रं. 1816/एफ-21/13/13-2/2014 द्वारा सीएसपीएचसीएल की पैंजी को अंतिम बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए ₹ (–) 1.80 करोड़ से समायोजित किया गया था। अतः वर्ष 2016–17 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेशित कुल पैंजी को ₹ 488.20 करोड़ (₹ 490.00 करोड़ – ₹ 1.80 करोड़) लिया गया है।

निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कम्पनियाँ इस अवधि के दौरान सरकार की धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन के निवेश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को उदय योजना के अंतर्गत कम्पनी के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के अधिग्रहण हेतु 2015–16 के दौरान ₹ 870.12 करोड़ का अनुदान भी सम्मिलित है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.12 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय एवं आधिक्य लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2018 की स्थिति में दो पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 6,839.32 करोड़ थी। इन दो पीएसयूज में से, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) ने वर्ष 2017–18 में ₹ 421.76 करोड़ की हानि उठाई एवं एक पीएसयू (सीएसपीजीसीएल) को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचित हानि ₹ 843.04 करोड़ (**अनुलग्नक-1.2**) थी। कोई भी पीएसयू विघटन/समापन/परिसमापन/रणनीतिक विनिवेश के अधीन नहीं था।

दो पीएसयूज में से एक (सीएसपीडीसीएल) के निवल मूल्य का संचित हानि द्वारा पूर्णतया क्षरण हो चुका था एवं इसका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2018 की स्थिति में पूँजी निवेश ₹ 2,263.10 करोड़ के विरुद्ध पीएसयूज का निवल मूल्य (-) ₹ 3,733.18 करोड़ था।

एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) के संबंध में जिसकी पूँजी का क्षरण हो चुका था, 31 मार्च 2018 को सरकार के बकाया ₹ 86.42 करोड़ ऋण का भी स्वतः क्षरण हो गया।

एक पीएसयू (सीएसपीजीसीएल) के संबंध में 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर निवल मूल्य ₹ 1,971.26 करोड़, प्रदत्त पूँजी ₹ 2,814.30 करोड़ से कम था जो इसकी संभावित वित्तीय कमजोरी का संकेत करता है।

2015–16 से 2017–18 के दौरान सीएसपीडीसीएल की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य तालिका-1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.8: 2015–16 से 2017–18 के दौरान हानि में चल रहे ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम सीएसपीडीसीएल का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ(+) / हानि(-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2015–16	2,326.37	-5,574.52	-	-3,248.15
2016–17	2,263.10	-5,996.28	-	-3,733.18
2017–18	2,263.10	-5,996.28	-	-3,733.18

लाभांश का भुगतान

1.13 राज्य सरकार ने राज्य पीएसयूज के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है। चार पीएसयूज में से तीन जिन्होंने ₹ 4,328.74 करोड़¹⁹ की सरकारी पूँजी पर ₹ 489.52 करोड़ का कुल लाभ कमाया, उनके अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके लाभ से कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं था। चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश किया गया था, के लिए अवधि के दौरान लाभांश भुगतान तालिका-1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.9: 2015–16 एवं 2017–18 की अवधि के दौरान चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन का पूँजी निवेश है		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाली पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2015–16	4	6,103.64	3	3,777.27	—	—	—
2016–17	4	6,591.84	3	4,328.74	—	—	—
2017–18	4	6,591.84	3	4,328.74	—	—	—

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभ कमाने वाली तीन पीएसयूज में से किसी भी पीएसयू ने छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया। आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन कम्पनियों में से किसी ने भी रथापना के बाद से कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.14 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²⁰ वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभों के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि एवं छत्तीसगढ़ शासन के ऋणों के योग से विभाजित कर के की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

तीन लाभ कमाने वाली ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के लिए पूँजी पर प्रतिफल की गणना की गई है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए इन लाभ कमाने वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण तालिका-1.10 में दिया गया है।

¹⁹ सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल की प्रदत्त पूँजी इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार।

²⁰ पूँजी पर प्रतिफल = (कर के बाद का शुद्ध लाभ एवं अधिमान्य लाभांश/पूँजी)*100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी+मुक्त संचय +छत्तीसगढ़ शासन के ऋण-संचय हानि-रथापन राजस्व व्यय।

तालिका—1.10: तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन ²¹ (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2015–16	366.27	2,869.72 ²²	12.76
2016–17	489.52	3,910.71 ²³	12.52
2017–18	489.52	3,910.71 ²⁴	12.52

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, मार्च 2018 को समाप्त अन्तिम तीन वर्षों के दौरान, शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि अवधि 2015–16 से 2017–18 के दौरान 12.52 प्रतिशत से 12.76 प्रतिशत के मध्य रही।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों के पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²⁵ से विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के लिए 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान आरओसीई का विवरण तालिका—1.11 में दिया गया है।

तालिका—1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2015–16	720.03	10,858.17	6.63
2016–17	1,507.91	12,808.47	11.77
2017–18	1,507.91	12,808.47	11.77

मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानियों में कमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड के लाभों में वृद्धि के कारण ईबीआईटी वृद्धि के कारण आरओसीई 2015–16 में 6.63 प्रतिशत से सुधरकर 2017–18 में 11.77 प्रतिशत हो गया।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.16 कम्पनियाँ जिनमें 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऋण थे, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों

²¹ संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखों के आधार पर।

²² शेयरधारकों की निधि के आंकड़े में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 2,803.70 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है।

²³ शेयरधारकों की निधि के आंकड़े में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 3,844.69 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है।

²⁴ शेयरधारकों की निधि के आंकड़े में सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य (₹ 3,844.69 करोड़) एवं सीएसपीजीसीएल (₹ 50.33 करोड़) तथा सीएसपीटीसीएल (₹ 15.69 करोड़) का छत्तीसगढ़ शासन का ऋण सम्मिलित है जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक—1.2 एवं अनुलग्नक—1.1 में दर्शाया गया है।

²⁵ नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार है।

के भुगतान करने की कम्पनियों की क्षमता का मूल्याकांन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्याकांन ब्याज कवरेज अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज कवरेज अनुपात

1.17 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ईबीआईटी को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक के नीचे का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज जिनमें बकाया ऋण थे, के 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-1.12 में दिया गया है।

तालिका-1.12: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी ²⁶ (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का दायित्व था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था
2015–16	907.74	721.78	3	2	1
2016–17	1,442.61	1,509.40	3	2	1
2017–18	1,442.61	1,509.40	3	2	1

यह देखा गया कि 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, की संख्या दो थी। इसके अतिरिक्त, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) के लिए 2015–16 से 2017–18 की पूरी अवधि के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था जो पीएसयू में दिवालियापन के उच्च जोखिम को इंगित करता है।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

1.18 31 मार्च 2018 की स्थिति में, तीन पीएसयूज को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 41.57 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण तालिका-1.13 में दर्शाया गया।

तालिका-1.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

सं. क्र.	पीएसयूज का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम से बकाया	एक से तीन वर्षों से बकाया	तीन से अधिक वर्षों से बकाया	(₹ करोड़ में)
1	सीएसपीजीसीएल	16.61	4.28	8.56	3.77	
2	सीएसपीटीसीएल	5.53	1.40	4.13	—	
3	सीएसपीडीसीएल	19.43	7.41	12.02	—	
योग		41.57	13.09	24.71	3.77	

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.19 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत

²⁶ दीर्घावधि ऋण वाली पीएसयूज के ईबीआईटी संबंधी आंकड़े।

वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.19.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियाँ जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, बिजली चोरी की जाँच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएंडसी हानि को कम किया गया है, आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसरण की भी आवश्यकता थी ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि, सुनिश्चित किया जा सके। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018–19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018–19 तक शून्य करना आदि था।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.19.2 भागीदार राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्स के बकाया ऋण के 75 प्रतिशत का अधीग्रहण करना था, अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय बदलाव के लिए योजना में अन्य बातों के लिए प्रावधान था कि:

- राज्य गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम को स्थानांतरित कर देगा जो बैंकों/वित्तीय संस्थानों की ऋण की राशि का भुगतान कर देगा। इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों की 10 से 15 साल की परिपक्वता अवधि होगी जिसमें 5 साल तक मूलधन न चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम के ऋण में पहले देय ऋण को प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।
- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ तालिका-1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका—1.14: 31 मार्च 2018 तक संचालन निष्पादन के लक्ष्य एवं मापदण्डवार उपलब्धियाँ

मापदण्ड	एमओयू के अनुसार लक्ष्य अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय बदलाव			
डिस्कॉम्स के ऋणों का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान में रूपान्तरण द्वारा अधिग्रहण (₹ करोड़ में)	2015–16	865.20	870.12 (प्राप्ति)
एटीएंडसी हानि में कमी (प्रतिशत में)	2017–18	18	19.07
एसीएस–एआरआर अंतर का विलोपन (₹ प्रति इकाई तक)	2017–18	−0.34	−0.03
समय पर टैरिफ संशोधन	2017–18	समय पर टैरिफ याचिका दाखिल करना	कोई विलंब नहीं
बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	85.28	84.54
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)	2017–18	99.66	82.93
परिवालन बदलाव			
वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग (शहरी) (संख्या में)	2017–18	92,811	1,857
वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	1,04,488	3,859
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	2017–18	2,023	1,687
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	2017–18	2,793	921
500 किलोवाट से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2017–18	2,92,984	कोई प्रगति नहीं
असमंज्ञ परिवारों तक विद्युत पहुँच (लाख में)	2017–18	6.40	7.14 (प्राप्ति)
उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण (लाख में)	2017–18	75	124.85 (प्राप्ति)
भौतिक फीडर पृथकरण (संख्या में)	2017–18	1,179	103

(स्रोत: पीएसयूज से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

राज्य ने 200 इकाई प्रतिमाह से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरस् की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग एवं फीडर पृथकरण में खराब प्रदर्शन किया है जबकि संबंद्ध परिवारों को विद्युत प्रदान करने एवं एलईडीज के वितरण में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य की एटीएंडसी हानि 15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 2018–19 तक 19.84 प्रतिशत थी। अतः राज्य एटीएंडसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

ब. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.19.4 राज्य डिस्कॉम्स की संचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य के साथ ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने, विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ (नवम्बर 2015) की।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के मध्य, पहचाने गये वित्तीय एवं संचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (जनवरी 2016) किए गए। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के

अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक सीएसपीडीसीएल से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 1,740.24 करोड़) में से छत्तीसगढ़ शासन को ₹ 1,305.18 करोड़ (कुल ऋण का 75 प्रतिशत) का अधिग्रहण करना था जिसके विरुद्ध 2015–16 में ₹ 870.12 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 435.06 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जाना था।

हॉलांकि, राज्य सरकार एवं सीएसपीडीसीएल ऋणपत्रों से ऋणों के अपवर्जन के कारण छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीडीसीएल के मूल ऋणों को ₹ 1,153.60 करोड़ द्वारा संशोधित किया जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन केवल ₹ 865.20 करोड़ (₹ 1,153..60 करोड़ का 75 प्रतिशत) का अनुदान देने हेतु उत्तरदायी थी।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

1.20 ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों ने 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अपने पाँच लेखा परीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सभी पाँच लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती है कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015–18 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका-1.15 में दिया गया है।

तालिका-1.15: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	2	9.68	3	20.75		
2	लाभ में वृद्धि	—	—	—	—		
3	हानि में वृद्धि	1	7.93	1	167.79		
4	हानि में कमी	1	26.34	—	—		
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	—	—	4	281.62		
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	—	—	—	—		

(स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र जारी किये थे। पीएसयू द्वारा लेखा मानकों की अनुपालन कमजोर रही थी क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखा में लेखा मानकों के अनुपालन नहीं करने के दो मामलों को उल्लेखित किया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.21 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग-1 के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के “अटल बिहारी वायपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण व परिचालन” ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रधान सचिव को छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है (नवम्बर 2019) एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,099.47 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.22 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किये थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.23 31 दिसम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति तालिका-1.16 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.16: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति पर चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा की गई कंडिकायें	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2008–09	—	04	—	02 (4.3.1, 4.3.2)
2009–10	01(सीएसपीजीसीएल)	—	01	—
2010–11	01(सीएसपीडीसीएल)	01	01	01 (4.3.8)
2011–12	01(सीएसपीटीसीएल)	05	—	05 (3.6 से 3.10)
2012–13	—	03	—	03 (3.7 से 3.9)
2013–14	—	04	—	—
2014–15	—	06	—	—
2015–16	01(आरएपीडीआरपी)	01	—	—
2016–17	—	—	—	—

(स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित)

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.24 मार्च 2006 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन²⁷ पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं (31 दिसम्बर 2018) हुई थीं जैसा कि तालिका-1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.17: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसा की संख्या	अनुशंसा की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2004–05	01	01	01

(स्रोत: कोपू की अनुशंसाओं पर छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही टिप्पणियों के आधार पर संकलित)

²⁷ ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित, जो वर्ष 2004–05 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित था।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2004–05 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ सम्मिलित थी।

अध्याय-२

अध्याय-2

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के “अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण व परिचालन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) का गठन 15 नवम्बर 2000 को विद्युत के उत्पादन, संचारण व आपूर्ति करने के लिए हुआ था। जनवरी 2009 में, सीएसईबी को विखड़ित कर दिया गया तथा विद्युत उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसका निगमन 19 मई 2003 को हुआ था।

सीएसईबी ने जाँजगीर-चाँपा जिले में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफआर) ₹ 4.41 लाख की लागत में बनाने के लिए मेसर्स डेजीन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को नियुक्त किया (22 दिसम्बर 2004) जिसने अपना प्रतिवेदन फरवरी 2005 में प्रस्तुत किया। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के आधार पर सीएसईबी ने राज्य के जाँजगीर-चाँपा जिले के मड़वा ग्राम में कोल आधारित 2X500 मेगावाट ग्रीन फील्ड विद्युत परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी (मार्च 2005)। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार मड़वा में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए समर्थन के तथ्य निम्नवत हैं:

- i) व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार 2005–06 के दौरान 15,146.04 मिलियन यूनिट (एमयू) आवश्यकता के विरुद्ध 11,011.32 मिलियन यूनिट की उपलब्धता थी जोकि 2011–12 तक बढ़कर क्रमशः 31,527.24 मिलियन यूनिट तथा 33,945 मिलियन यूनिट हो जायेगी। अगले पाँच वर्षों के दौरान बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए संयंत्र की आवश्यकता महसूस की गई।
- ii) एक अन्य विद्युत संयंत्र, ऐव्याथान जो कि निर्माणाधीन था स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इसका निर्माण अनिश्चित हो गया है।
- iii) पानी, रेल और सड़क मार्ग की आसान उपलब्धता।
- iv) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी परियोजना स्थल की उपयुक्तता से सहमत है।

तदानुसार, सीएसईबी ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाने के लिए मेसर्स डेजीन को ₹ 5.51 लाख की लागत पर नियुक्त किया (18 जुलाई 2005) जिसने अपना प्रतिवेदन मई 2006 में दिया। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) प्रतिवेदन बनाने के लिए मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (मेसर्स भेल) को ₹ 28.65 लाख की लागत पर नियुक्त किया गया (17 अगस्त 2005) तथा जनवरी 2007 में भेल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2005–06 के दौरान 18,834 मिलियन यूनिट की आवश्यकता के विरुद्ध 15,624.80 मिलियन यूनिट की उपलब्धता परिकल्पित की गयी जिसका 2011–12 तक बढ़कर क्रमशः 38,982 मिलियन यूनिट तथा 46,089.40 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया। डीपीआर व ईआईए प्रतिवेदन के आधार पर सीएसईबी ने परियोजना के कार्य प्रदान की प्रक्रिया को मंजूरी दी (जनवरी 2008)। डीपीआर के अनुसार विद्युत की अनुमानित आवश्यकता व उपलब्धता के विरुद्ध वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक स्थिति क्रमशः 18,908.53 मिलियन यूनिट व 18,767.58 मिलियन यूनिट थी। यह आवश्यकता व आपूर्ति के मध्य लघु अन्तराल को दर्शित करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड ने मुख्य संयंत्र (बॉयलर, टरबाइन व जनरेटर) का कार्य ₹ 2,256.91 करोड़ की लागत पर भेल को उन्हीं तकनीकी वाणिज्यिक शर्तों के अधीन प्रदान करने का निर्णय लिया (मार्च 2008) जिस पर 2X500 मेगावाट ताप विद्युत गृह मौदा परियोजना के निर्माण के लिए नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा आदेश दिया था, जबकि भुगतान की शर्तें, परिसमापित क्षति, सुपुर्दगी अनुसूची व मूल्य भिन्नता सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें संशोधन के साथ अपनायी गयी थी (मार्च 2008)। 10 सितम्बर 2009 को भेल के साथ समझौता क्रियान्वित किया था। इसी प्रकार, मेसर्स बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (बीजीआर) को अगस्त 2009 में ₹ 1,633.71 करोड़ की लागत पर संयंत्र निर्माण का सहायक कार्य (डिमिनरलाइज्ड वॉटर प्लाट, कूलिंग टॉवर, कोल हैंडलिंग प्लांट एवं ऐश हैंडलिंग प्लांट) प्रदान किया गया।

डीपीआर के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 5,119.84 करोड़ थी। परियोजना को 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण होना था जबकि, यह परियोजना तीन वर्ष आठ माह के अतिरिक्त समय तथा 31 मार्च 2019 तक ₹ 3,772.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत सहित 31 जुलाई 2016 को पूर्ण हुई। परियोजना का नाम बाद में परिवर्तित कर (सितम्बर 2018) “अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस)” कर दिया गया।

मझवा विद्युत संयंत्र की दोनों इकाई चालू होने के बावजूद भी कम्पनी विद्युत उत्पादन के न्यूनतम लक्ष्य 850 मेगावाट (85 प्रतिशत पीएलएफ) प्रति घंटा को प्राप्त करने में विफल रही और सिर्फ 575 मेगावाट प्रति घंटा विद्युत उत्पादन कर सकी। 2016–19 के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त न होने का मुख्य कारण दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, अतिरिक्त जनरेटर ट्रॉसफार्मर की अनुपलब्धता तथा कोयले की घटिया गुणवत्ता थी जिसके कारण दोनों इकाईयों का प्रदर्शन खराब था।

संगठनात्मक संरचना

2.2 कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) के पास निहित है, जिसमें राज्य शासन द्वारा नियुक्त पाँच निदेशक शामिल हैं। कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबंध निदेशक (ईमडी) द्वारा किया जाता है, जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी है जिनकी सहायता कार्यकारी निदेशकों (ईडी), मुख्य अभियंताओं (प्रत्येक स्टेशन का प्रमुख), और अधीक्षण अभियंताओं द्वारा की जाती हैं। संयंत्र के कार्यों के संचालन के लिए मुख्य अभियंता (उत्पादन) एबीवीटीपीएस जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या:

- परियोजना की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी थी कि परियोजना को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था।
- परियोजना ने निर्धारित मानदण्डों/मानकों के अनुसार परिचालन दक्षता हासिल की।
- आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रभावी और पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र व लेखापरीक्षा पद्धति

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा में एबीवीटीपीएस (2x500 मेगावाट), मडवा के “सैद्धांतिक स्थीकृति (2004–05)” से मार्च 2018 तक के परियोजना के परिचालन की योजना, निर्माण व परिचालन की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा पद्धति में कम्पनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी), और एबीवीटीपीएस द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच शामिल थी। लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जारी करना। परियोजना के तहत बनायी गयी सम्पत्तियों का कम्पनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र व पद्धति को विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को 10 जनवरी 2019 को सूचित किया गया था, किन्तु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण प्रवेश सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन को मई 2019 में प्रतिवेदित किया गया था। निर्गमन सम्मेलन प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ 15 मई 2019 को आयोजित की गयी थी। शासन का उत्तर नवम्बर 2019 में प्राप्त हुआ था। निर्गमन सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त विचारों तथा शासन के उत्तरों को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को समय पर पूर्ण करने में प्रबंधन द्वारा किये गये सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करती है।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- तापीय विद्युत गृह के निर्माण एवं परिचालन के संबंध में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के दिशानिर्देश/मानक/आदेश तथा ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) व छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के निर्देश;
- बीओडी के मिनिट्स और एजेन्डा पेपर, व्यवहार्यता प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रूपरेखा विनिर्देश, परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची, निविदा दस्तावेज, समझौते, निर्माण विभाग (डब्ल्यूडी) मैनुअल; और
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानक।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

आगामी कंडिकाओं में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा की गयी है।

नियोजन

2.6 इस भाग में, पूर्व कार्यान्वयन गतिविधियों की योजना में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा की गई है:

नियोजन में पायी गई गतिविधि वार कमियों की चर्चा अग्रांकित कण्डिकाओं में की गयी है:

व्यवहार्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

2.6.1 किसी परियोजना की वैचारिकता के बाद, व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिवेदन तैयार की जाती है। इसमें उचित स्थान अध्ययन, वैधानिक मंजूरी पर टिप्पणियाँ, तापीय विद्युत गृह का आकार, उपयोग किये जाने योग्य तकनीक, अनुमानित लागत, वित्तीय विश्लेषण और परियोजना की निवेश स्वीकृति इत्यादि शामिल है। इसके बाद, परियोजना की डीपीआर तैयार की जाती है।

मेसर्स डेजीन प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार) द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन (फरवरी 2005) व डीपीआर (मई 2006) बनाया गया था जो कि सबसे कम निविदा के आधार पर चुना¹ गया था, जिसके लिए सीमित निविदाओं को आमंत्रित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि डीपीआर को मई 2006 में बनाया गया था जबकि ईआईए प्रतिवेदन को मेसर्स भेल² द्वारा जनवरी 2007 में बनाया गया था। जबकि, इसे डीपीआर का भाग होना चाहिए था।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि उपलब्ध भूमि की प्रकृति व्यवहार्यता प्रतिवेदन/डीपीआर में सही ढंग से कल्पित नहीं की गयी थी, भूमि अधिग्रहण में निम्नानुसार त्रुटियाँ थीं जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के कार्य क्षेत्र के अनुसार, सलाहकार द्वारा मानचित्रों का डेस्क-टॉप अध्ययन किया जाना था। स्थल के चयन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, सीएसईबी के अधिकारियों और सलाहकार की संयुक्त टीम ने तीन स्थानों³ का दौरा किया और मङ्घवा स्थल का चयन किया। तदानुसार, सलाहकार ने डीपीआर बनाया। डीपीआर के अनुसार 80 प्रतिशत भूमि बंजर व 20 प्रतिशत कृषि भूमि थी। हालांकि, कम्पनी ने भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए न तो विस्तृत सर्वेक्षण किया और न ही भूमि के राजस्व रिकार्ड का सत्यापन किया। कम्पनी ने कुल 1,728.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जिसमें से सिर्फ 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) भूमि बंजर थी तथा शेष 1,444.96 एकड़ (83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। इन तथ्यों का सत्यापन⁴ लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व विभाग के लेखों से तीन दिनों में किया गया (अप्रैल 2019)। इसे प्रारंभ में ही मुख्य अभियंता (सिविल-परियोजना 1) द्वारा किया जा सकता था। परिणामतः पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) के 15 प्रकरण, भू-विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, काम रोको, तालाबंदी हुए जिससे परियोजना कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कुल अधिग्रहित भूमि 1,766.60 एकड़ थी जिसमें से 790.04 एकड़ बंजर थी अतः बंजर व कृषि भूमि का वास्तविक अनुपात 44.72:55.28

¹ दिसम्बर 2004 में व्यवहार्यता प्रतिवेदन बनाने के लिए और जुलाई 2005 में डीपीआर बनाने के लिए।

² कार्य प्रदाय लागत ₹ 28.65 लाख था

³ मङ्घवा, जरवे और कुरदा

⁴ ग्रामीणों/निजी व्यक्तियों से अधिग्रहित भूमि।

था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने सभी सरकारी भूमि को बंजर माना है यद्यपि उसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया गया था। अतः कृषि व बंजर भूमि का अनुपात 83.59:16.41 था।

- इसी प्रकार, एफआर/डीपीआर/ईआईए प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कोई भी वन भूमि नहीं थी। जबकि, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कम्पनी को 282.57 एकड़ वन भूमि मूल्य ₹ 9.58 करोड़ की अधिग्रहित करनी पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक वनीकरण के लिए 175.93 एकड़ वन भूमि के अधिग्रहण में तीन वर्ष छः माह का विलंब हुआ यद्यपि, इसका संयंत्र की स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परियोजना के लिए चिन्हित भूमि वन भूमि थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एफआर/डीपीआर/ईआईए प्रतिवेदन बनाने के दौरान कम्पनी वन भूमि चिन्हित करने में विफल हुई।

- छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (8 सितम्बर 2006) के अनुसार कम्पनी को सरकारी भूमि एक रूपये के नाममात्र लागत पर प्रदत्त किया जाना था। कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन से 755.63 एकड़ सरकारी भूमि अर्जित किया। जबकि, जिला प्रशासन ने 10 गाँवों में से दो गाँवों⁵ की जमीन को ₹ 7.01 करोड़ में प्रदान किया जबकि शेष गाँवों की जमीन को नाममात्र की दर पर प्रदान किया। अधीक्षण अभियंता (भूमि अधिग्रहण), एबीवीटीपीएस ने भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ की तथा इसे कम्पनी के मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना) ने अनुमोदित किया। कम्पनी के अनुरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा इस राशि को वापस नहीं किया (मई 2019) जिसके कारण उपमोक्ताओं पर परिहार्य अतिरिक्त बोझ पड़ा।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2018) कि भूमि के लागत की वापसी की प्रक्रिया प्रगति पर है।

- जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) ने 977.66 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया, जिसने भूमि आबंटन के दो मामलों⁶ में एक वर्ष से अधिक का असामान्य समय आवेदन प्राप्त होने के बाद से आदेश देने के लिए लिया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आदेश देने के बाद भूमि अधिग्रहण में विलंब परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार न करने के कारण हुआ।

उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित मामले पर जवाब नहीं दिया गया है क्योंकि लेखापरीक्षा ने भूमि अधिग्रहण के लिए आदेश पारित करने से पहले के विलम्ब पर आक्षेप किया है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करते समय (5 फरवरी 2008) यह निर्देश दिया था कि इस परियोजना से संबंधित किसी भी उपयोगिताओं/सुविधाओं के लिए 1,254.76 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जबकि, मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना) ने उक्त पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 1,254.76 एकड़ की सीमा के विरुद्ध कुल 1,728.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (अप्रैल 2017 तक)। जो निर्धारित सीमा से 38 प्रतिशत अधिक थी जिसके लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा जिसके

⁵ तागा और पौना गाँव

⁶ लच्छनपुर और मड़वा में क्रमशः 145.52 एकड़ और 18.91 एकड़।

कारण भी अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे परिणामस्वरूप परियोजना की लागत ₹ 63.32 करोड़ से बढ़ गयी थी। ऐसी परिस्थिति में एमओईएफ एण्ड सीसी मंजूरी को रद्द कर सकता है लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि एबीवीटीपीएस के लिए कुल अधिग्रहित भूमि मूल रूप से उक्त परियोजना के तहत विस्तार इकाईयों को सम्मिलित करने के विचार के साथ की गयी थी। इस प्रकार, वर्तमान 1,000 मेगावाट एबीवीटीपीएस परियोजना के लिए 1,201.58 एकड़ भूमि तथा शेष भूमि संयंत्र के विस्तार वाले इकाई के लिए अधिग्रहित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि यह पश्चविचारित प्रतीत होता है क्योंकि कम्पनी ने न तो डीपीआर में और न ही एमओईएफ एण्ड सीसी से स्वीकृति के समय संयंत्र के भविष्य में विस्तार के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा, कम्पनी ने आधिक्य भूमि अधिग्रहण के लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई स्वीकृति नहीं ली।

अनुशंसा:

कम्पनी को भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही से पहले हमेशा भूमि के विस्तृत सर्वेक्षण का निर्धारण और क्रियान्वयन करना चाहिए। कम्पनी उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर भी विचार कर सकता है जो भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने में असफल रहे।

अनुबंध प्रबंधन

2.7 अनुबंध प्रबंधन में निविदाओं को आमंत्रित करना, निविदाओं का मूल्यांकन, अनुबंध के नियमों और शर्तों को तय करना, कार्य आदेश प्रदान करना तथा अनुबंध के नियमों और शर्तों को लागू करना शामिल हैं। कम्पनी ने इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (इपीसी) अनुबंध आधार पर बीटीजी और बीओपी अनुबंध से संबंधित ₹ 3,890.62 करोड़⁷ मूल्य के दो मुख्य अनुबंधों को क्रियान्वित किया। कार्य प्रदान करने में, नियमों तथा शर्तों को समावेश करने व अनुबंधों के नियमों तथा शर्तों के उल्लंघन में पायी गयी कमियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार द्वारा अनियमितता

2.7.1 कम्पनी के अध्यक्ष ने पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) की अनुमोदित विक्रेता सूची में से सीमित निविदा के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में मेसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स डीसीपीएल) को ₹ 13.99 करोड़ की कुल लागत पर कार्य प्रदान करने का अनुमोदन दिया (अगस्त 2008)।

मेसर्स डीसीपीएल के कार्य का मुख्य क्षेत्र बीटीजी और बीओपी ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों, नक्शा / रूपरेखा की स्वीकृति / समीक्षा, गुणवत्ता निगरानी व आश्वासन, पर्यवेक्षण, परीक्षण और संयंत्र उपकरणों की स्थापना तथा परियोजना की अवधारणा से पूर्णता तक निगरानी थी।

सलाहकार के कार्यों में निम्नांकित त्रुटियाँ थीं:

सामग्री की त्रुटिपूर्ण विशिष्टता की स्वीकृति के कारण वे—ब्रिज की स्थापना नहीं हुई

2.7.1.1 मेसर्स बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (मेसर्स बीजीआर) को प्रदत्त कार्य के

⁷ बीटीजी निर्माण – ₹ 314.91 करोड़, बीटीजी आपूर्ति – ₹ 1,942 करोड़, बीओपी निर्माण – ₹ 691.86 करोड़, बीओपी आपूर्ति – ₹ 941.85 करोड़

अनुसार, उन्हें नैला रेलवे स्टेशन से संयंत्र प्रांगण तक रेलवे अधोसंरचना द्वारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) से प्राप्त कोयले को तौलने के लिए इन–मोशन वे–ब्रिज की आपूर्ति करनी थी। मेसर्स बीजीआर ने 52 किलोग्राम/मीटर रेल के लिए इन–मोशन वे–ब्रिज की डिजाइन मेसर्स डीसीपीएल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जिसकी स्वीकृति मेसर्स डीसीपीएल ने बिना यह जाँच किए दे दी (मार्च 2012) कि रेल नेटवर्क की डिजाइन 60 किलोग्राम/मीटर रेल के अनुरूप तैयार की गयी है। तदानुसार, मेसर्स बीजीआर ने 52 किलोग्राम/मीटर रेल इन–मोशन वे–ब्रिज की आपूर्ति कर दी (अगस्त 2012)। इन–मोशन वे–ब्रिज की विशिष्टताओं में असंगति होने के कारण इसकी स्थापना अभी तक (मई 2019) नहीं हो सकी। इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता (फ्युल प्रबंधन) भी पर्यवेक्षण के अभाव में मेसर्स डीसीपीएल के द्वारा स्वीकृत त्रुटिपूर्ण विशिष्टता को जानने में विफल रहा। वह इन–मोशन वे–ब्रिज की जल्दी स्थापना करवाने के लिए इसकी खरीदी के मामले को मजबूती से अनुसरण करने में भी विफल रहा। यह उल्लेखनीय है कि इन–मोशन वे–ब्रिज की लागत मात्र ₹ 20 लाख थी तथा कम्पनी ने वर्ष 2016–19 की अवधि के दौरान ₹ 1,681.52 करोड़ मूल्य का कोयला प्राप्त किया किन्तु यात्रा के दौरान नुकसान हुए कोयले को सुनिश्चित करने के लिए इसे नहीं मापा जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यात्रा में कोयले के नुकसान के लिए 0.50 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इन–मोशन वे–ब्रिज की स्थापना हो गई है तथा कमीशन प्रगति पर है।

तथ्य यह है कि वे–ब्रिज की स्थापना में विलंब के कारण तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त कोयले को नहीं मापा जा सका।

₹ 19.71 करोड़ की शास्ति की वसूली न होना

2.7.1.2 नेचूरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर (एनडीसीटी)⁸ एक अर्ध बंद उपकरण है जो हवा से संपर्क के द्वारा पानी को वाष्पीकरण के माध्यम से ठण्डा करती है। कूलिंग टॉवर का मुख्य कार्य कंडेनसर से अतिरिक्त गर्मी को वातावरण में मुक्त करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि तकनीकी विशिष्टता के अनुसार मेसर्स बीजीआर को एनडीसीटी में 16 ऑटोमेटिक वाल्वलेस ग्रेविटी (एवीजी) फिल्टर लगाना था किन्तु जनवरी 2019 तक सिर्फ़ छः एवीजी फिल्टर लगाये गये थे। आवश्यक संख्या में एवीजी फिल्टर नहीं लगाये गये थे अतः आवश्यक मानक तापमान अर्थात् 33 डिग्री सेंटीग्रेड बनाये नहीं रखा जा सका। परिणामस्वरूप मार्च 2016 से दिसम्बर 2018 (इकाई–1) की अवधि के दौरान कूलिंग टॉवर से निकासी जल का तापमान मानक से अधिक 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.89 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तथा फरवरी 2017 से नवम्बर 2018 (इकाई–2) की अवधि के दौरान तापमान 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। कम्पनी ने एनटीपीसी को निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण करने के लिए तीसरे पक्षकार के रूप में नियुक्त किया (7 अप्रैल 2017)। कूलिंग टॉवर का पीजी परीक्षण ग्रीष्म माह के दौरान करने के स्थान पर अक्टूबर 2018 में कराया गया इससे पीजी परीक्षण का उद्देश्य असफल हुआ तथा कूलिंग टॉवर के ख्राब प्रदर्शन के बावजूद भी इसे सलाहकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया परिणामतः

⁸ एनडीसीटी प्रवेश द्वारों के माध्यम से हवा को प्रवेश कराने वाली बड़ी ठोस चिमनी है। बेसिन से लगभग 10 मीटर ऊपर स्प्रे नलिका के माध्यम से गर्म पानी को टॉवर में लाया जाता है। स्प्रे जोन का मुख्य कार्य टॉवर में समान रूप से पानी वितरीत करना है। पानी स्प्रे जोन से छोटी–छोटी बूँदों में परिवर्तित होकर नीचे तेजी से गिरती है। यह उष्ण हस्तांरण के लिए अत्यधिक क्षेत्र बढ़ा देती है।

कूलिंग टॉवर से निकासी जल का तापमान बनाए रखने में विफल रहे थे। कार्यकारी निदेशक (पीआरजी 1) कार्य आदेश (एलओए)⁹ के अनुसार ₹ 19.71 करोड़¹⁰ का जुर्माना लगाने में अब तक (मई 2019) विफल रहा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पीजी परीक्षण मेसर्स एनटीपीसी के द्वारा किया गया था और परीक्षण प्रतिवेदन इस बात की पुष्टि करता है कि कूलिंग टॉवर अनुबंध दस्तावेजों के नियमों एवं शर्तों के साथ-साथ उक्त कूलिंग टॉवर के डिजाइन की विशेषताओं का पूर्णता अनुपालन कर रहे हैं।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पीजी परीक्षण अक्टूबर 2018 में किये गये थे और कूलिंग टॉवर के निकासी जल का तापमान गारंटी तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर था। जबकि, अनुबंध के अनुसार इसे सभी मौसमों में एक समान होना चाहिए था जिसमें यह विफल रहा। अतः अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से ₹ 19.71 करोड़ का जुर्माना वसूला जाना था।

झाइंग के अनुमोदन में विलम्ब

2.7.1.3 मेसर्स डीसीपीएल ने झाइंग¹¹ के समीक्षा/अनुमोदन के लिए एक माह से 15 माह का समय लिया जिसके परिणामस्वरूप कार्य क्रियान्वयन में विलंब हुआ।

बीओपी और बीटीजी अनुबंध की नियमों व शर्तों में त्रुटियाँ

2.7.2 निर्माण विभाग नियमावली, छत्तीसगढ़ शासन ठेकेदार द्वारा स्थल पर लायी गयी सामग्रियों के विरुद्ध अग्रिम को प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित मूल्य के 75 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करता है। इस तरह के अग्रिमों की वसूली प्रत्येक अनुगामी चल देयकों से की जायेगी, यह वसूली सम्पन्न कार्य/मद में उपभोग की गयी सामग्री की सीमा तक की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी ने बीओपी अनुबंध के अधीन सामग्री की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्रदान करने की 75 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के विरुद्ध 90 प्रतिशत के नियमों व शर्तों को स्वीकार कर लिया और अनुबंध मूल्य की सिर्फ 10 प्रतिशत को ही वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) तथा पीजी परीक्षण के लिए रखा। कम्पनी ने संयंत्र के वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पहले ही देय राशि ₹ 706.39 करोड़¹² के विरुद्ध एक बड़ी राशि ₹ 847.67 करोड़¹³ का भुगतान किया। परिणामतः ठेकेदार ने समय पर कार्य को पूर्ण करने में बहुत कम रुचि दिखायी क्योंकि परियोजना के निर्धारित पूर्णता दिनांक (नवम्बर 2012) तक 40.37 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

इसी प्रकार, बीटीजी अनुबंध के भुगतान के नियम व शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी के विरुद्ध 15 प्रतिशत का ब्याज मुक्त प्रारंभिक अग्रिम, आपूर्ति के लिए प्रेषण के प्रमाणक के विरुद्ध 60 प्रतिशत प्रगतिशील भुगतान, स्थल पर सामग्री प्राप्त होने के विरुद्ध

⁹ 33 डिग्री सेंटीग्रेड के गारंटी तापमान के ऊपर प्रत्येक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके भाग वृद्धि के लिए ₹ 35 लाख

¹⁰ ₹ 12.07 करोड़ (प्रत्येक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ₹ 35 लाख x 6.9) इकाई-1 के लिए और ₹ 7.64 करोड़ (प्रत्येक 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ₹ 35 लाख x 4.37) इकाई-2 के लिए।

¹¹ सीएचपी भवन के लिए लाइटिनिंग प्रोटेक्शन नक्शा, फायर वाटर पम्प हाउस फूटिंग ले आउट, टीजी भवन में वेन्टिलेशन फैन/एयर कंडिशन प्लांट का नक्शा और आईडी सिस्टम फाउन्डेशन प्लान से संबंधित।

¹² ₹ 941.85 करोड़ x 75 प्रतिशत

¹³ ₹ 941.85 करोड़ x 90 प्रतिशत

20 प्रतिशत, सीओडी पर 2.5 प्रतिशत और प्रत्येक इकाई के लिए निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पर 2.5 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। जबकि, कम्पनी ने स्थल पर सामग्री की प्राप्ति पर 75 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के विरुद्ध 95 प्रतिशत भुगतान किया और सीओडी व पीजी परीक्षण के लिए अनुबंधित कीमत का सिर्फ 5 प्रतिशत ही रखा था और सीओडी के पूर्व ही देय राशि ₹ 1,383.75 करोड़ के स्थान पर ₹ 1,752.75 करोड़ के बड़ी राशि का भुगतान किया। परिणामतः ठेकेदार ने कार्य को समय में पूरा करने के लिए बहुत कम रुचि दिखायी क्योंकि परियोजना पूर्णता की निर्धारित तिथि (नवम्बर 2012) तक 36.82 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि मेसर्स भेल से कार्यों को निर्बाध पूर्वक क्रियान्वयन कराने की सुविधा को ध्यान में रखकर 60 प्रतिशत प्रगतिशील भुगतान जारी किया गया था।

उत्तर खीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने मेसर्स भेल को स्थल पर सामग्री पहुँचाने के विरुद्ध 95 प्रतिशत का भुगतान जारी किया। अतः भुगतान की बड़ी राशि सीओडी के पूर्व ही जारी कर दी गयी थी, और ठेकेदार ने परियोजना को पूरा करने में कम रुचि दिखायी क्योंकि उसे लाभ का बड़ा भाग पहले ही मिल गया था। इसके कारण भी परियोजना को पूर्ण करने में विलंब हुआ।

अनुशंसा:

कम्पनी को चाहिए कि वह अपनी भविष्य की परियोजनाओं में अग्रिम जारी करने के संबंध में अनुबंध के नियमों व शर्तों का निर्धारण करते समय अपने वित्तीय हित की रक्षा करें।

मेसर्स भेल को ब्याज मुक्त अग्रिमों का भुगतान

2.7.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आदर्श मानदण्ड दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम ब्याजयुक्त होना चाहिए और वसूली समय आधारित होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी ने अन्य अनुबंधों में ठेकेदारों को ब्याजयुक्त अग्रिम प्रदान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी ने एबीवीटीपीएस परियोजना को वित्तपोषण करने के लिए मेसर्स पीएफसी से 31 मार्च 2018 तक ₹ 7,365.38 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। ब्याज की दर 9.90 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच थी। भुगतान की शर्तों के अनुसार, कम्पनी ने मेसर्स भेल को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 276.75 करोड़¹⁴ (23 अप्रैल 2008) सामग्री की आपूर्ति के लिए ब्याजमुक्त अग्रिम के रूप में तथा निर्माण, परीक्षण व स्थापना के कार्यों के लिए ₹ 25.40 करोड़ (24 मार्च 2009) ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम के रूप में जारी किया। कम्पनी ने फरवरी 2009 से जून 2017 की अवधि के दौरान आपूर्ति के विरुद्ध दिये सभी अग्रिमों को मेसर्स भेल द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों से 3,347 किश्तों में और फरवरी 2018 तक 345 किश्तों में मोबिलाईजेशन अग्रिम को वसूल किया। विवेकपूर्ण व्यापार नीति के अनुसार, विक्रेता को ब्याज मुक्त अग्रिम देने से बचना चाहिए। पीएफसी से प्राप्त ऋण महंगा होने के कारण, कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल को ब्याज युक्त अग्रिम प्रदान करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, मेसर्स भेल को अनुचित लाभ दिया तथा कम्पनी को ₹ 87.66 करोड़¹⁵ की वसूली योग्य ब्याज की हानि हुई। यद्यपि, मोबिलाईजेशन अग्रिम

¹⁴ अनुबंध के मूल्य का 15 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1,845 करोड़

¹⁵ आपूर्ति अग्रिम ₹ 276.75 करोड़ पर ब्याज की हानि ₹ 76.14 करोड़ और मोबिलाईजेशन अग्रिम ₹ 25.40 करोड़ पर ब्याज की हानि ₹ 11.52 करोड़ जो कि पीफसी से प्राप्त ऋण पर न्यूनतम ब्याज की दर 9.90 प्रतिशत की दर से आगणित की गई थी।

को कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किये गये थे, किन्तु परियोजना समय में पूर्ण नहीं हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में लेखापरीक्षा¹⁶ के द्वारा इसी प्रकार की आपत्ति इंगित की गयी थी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि न तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और न ही कम्पनी के द्वारा सीवीसी के दिशानिर्देशों को अपनाया है। इसके अलावा, शासन ने कहा कि निविदाकारों को ब्याज मुक्त अग्रिम देने से कम्पनी को कम से कम कीमतें प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया में प्राप्त होती है। शासन ने यह भी कहा कि एनटीपीसी ने अपने मौदा परियोजना में अग्रिम प्रदान किया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि शासन/कम्पनी के इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं होने के कारण कम्पनी को एक अच्छी प्रथा के रूप में सीवीसी के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए था। इसके अलावा, शासन का यह उत्तर कि प्रतियोगी निविदा प्राप्त हुई तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मेसर्स भेल का चयन कम्पनी ने आपसी समझौते से किया था। इसके अलावा भी कम्पनी एनटीपीसी के मौदा परियोजना के नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रही, जिसमें एनटीपीसी ने मेसर्स भेल को ब्याज युक्त अग्रिम प्रदान किया था।

प्रतिशत अनुबंध की स्वीकृति

2.7.4 सीवीसी के आदर्श मानदण्ड दिशानिर्देशों के अनुसार सलाहकार का शुल्क मूल अनुबंध मूल्य पर तय किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में कम्पनी सलाहकार शुल्क को अनुबंध मूल्य तक सीमित करती है।

कम्पनी ने मेसर्स भेल को बीटीजी सिविल कार्यों तथा चिमनी निर्माण के संबंध में इंजीनियरिंग/कंसल्टेंसी और पर्यवेक्षण की कार्य लागत में अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत जोड़कर प्रदान किया (दिसम्बर 2008)। बीटीजी सिविल कार्य निर्माण व चिमनी के कार्य आदेश का मूल्य ₹ 180.10 करोड़¹⁷ था और कम्पनी ने इसके विरुद्ध ₹ 19.18 करोड़ की मूल्य वृद्धि को सम्मिलित करते हुए ₹ 194.82 करोड़ का भुगतान किया। परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि पर पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में ₹ 1.92 करोड़ का अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा। यदि कम्पनी ने प्रतिशत अनुबंध के बदले में एकमुश्त (स्थायी/निर्धारित मूल्य) अनुबंध को अपनाया होता तो अतिरिक्त लागत के बोझ को रोक सकता था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीवीसी दिशानिर्देश न तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा और न ही कम्पनी द्वारा अपनाए गये थे। शासन ने यह भी कहा कि कम्पनी ने सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य आदेश प्रदान किया, जो कि अन्य इसी प्रकार के आदेशों से तुलना किये जाने योग्य है और बीटीजी कार्यों के साथ-साथ अनुबंध के तहत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु सभी गंभीर प्रयास किये गये थे।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन/कम्पनी के इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं होने के कारण कम्पनी को एक अच्छी प्रथा के रूप में सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए था। इसके अलावा, शासन ने प्रतिशत अनुबंध की स्वीकृति के मामले में कोई उत्तर नहीं दिया।

¹⁶ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ़ शासन की कंडिका 4.2.10.2

¹⁷ बीटीजी सिविल कार्य का आदेश मूल्य ₹ 156.19 करोड़ + चिमनी आपूर्ति और निर्माण कार्य का आदेश मूल्य ₹ 23.91 करोड़ था।

अनुशंसा:

कम्पनी को सीवीसी के दिशानिर्देशों को आदर्श मानदण्ड मानते हुए लंबी पूर्णता अवधि वाले कंसल्टेंसी कार्यों का आदेश स्थिर मूल्य के आधार पर प्रदान करना चाहिए।

परियोजना का क्रियान्वयन

2.8 परियोजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित हैं, बाधाओं को दूर करने के लिये किये गये प्रभावी कार्य, परियोजना में उपयोग किये गये सामग्री के विभिन्न परीक्षणों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादित किये जा रहे कार्य अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप हैं, विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित किये गये लक्ष्यों से यदि कोई विचलन है तो उसकी विधिवत् स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से ली गई है।

परियोजना शेड्यूल का माइलस्टोन से विचलन

2.8.1 संचालक मण्डल (बीओडी) ने मेसर्स भेल को नेगोसियेशन के आधार पर बीटीजी कार्य अवार्ड किया (मार्च 2008)। आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के बीटीजी पैकेज जिसका मूल्य ₹ 2,256.91 करोड़¹⁸ था, के अवार्ड की अधिसूचना (एनओए) जारी हुई (अप्रैल 2008) तथा शून्य तिथि में परिवर्तन होने के बाद इकाई-1 तथा इकाई-2 का कार्य क्रमशः 30 सितम्बर 2012 तथा 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण/सीओडी किया जाना था। यद्यपि सामग्री की आपूर्ति की पूर्णता तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, कम्पनी ने मेसर्स बीजीआर को परियोजना के बीओपी पैकेज का कार्य जिसकी कुल लागत ₹ 1,633.71 करोड़¹⁹ थी, 30 महीने के निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु कार्य आदेश जारी किया (25 अगस्त 2009)। इस प्रकार, सभी बीओपी कार्य 24 फरवरी 2012 तक पूर्ण किये जाने थे।

परियोजना के प्रमुख लक्ष्य, इनके प्राप्ति तथा उनको प्राप्ति में विलंब (यदि कोई हो) तालिका-2.1 में दिया गया है।

तालिका-2.1: परियोजना के प्रमुख लक्ष्य का विवरण

स.क.	प्रमुख माइलस्टोन	इकाई-1			इकाई-2		
		लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	विलंब ²⁰ (माह में)	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति	विलंब (माह में)
बीटीजी कार्य							
1	बॉयलर निर्माण का कार्य प्रारम्भ	30.01.10	15.02.10	0	30.03.10	26.04.10	1
2	बॉयलर ढांचे का निर्माण अर्थात् बॉयलर इम लिपिटंग	31.08.10	06.08.10	1	21.10.10	06.03.11	4
3	कंडेन्सर इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ	30.11.10	07.03.11	4	31.01.11	15.10.11	4
4	बॉयलर की हाईड्रोलिक टेस्टिंग	30.08.11	05.10.11	2	30.10.11	06.09.12	2
5	टीजी इरेक्शन का कार्य प्रारम्भ	21.12.11	23.02.13	13	21.02.12	02.12.13	11
6	टीजी आईस फ्लाशिंग	28.12.11	14.02.13	1	28.02.12	29.03.14	4

¹⁸ आपूर्ति ₹ 1,942 करोड़ तथा निर्माण हेतु ₹ 314.91 करोड़

¹⁹ आपूर्ति ₹ 941.85 करोड़ तथा निर्माण हेतु ₹ 691.86 करोड़

²⁰ विलम्ब की गणना लक्ष्य की तिथि और वास्तविक तिथि के एक चरण से अगले चरण के बीच के अंतर के आधार पर की गई है।

का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ	का कार्य प्रारम्भ
7 बॉयलर का टेस्टिंग के लिए तैयार होना	30.01.12	14.01.13	2	30.03.12	08.05.14	0	
8 बॉयलर में स्टीम ब्लॉइंग करना	31.03.12	26.10.13	7	31.05.12	03.09.14	2	
9 बारिंग गियर अर्थात् टरबाइन जनरेटर को घुमाना	21.04.12	09.11.13	0	21.06.12	17.01.15	3	
10 रोलिंग तथा सिंप्रोनाइजेशन	26.05.12	21.12.13	1	28.07.12	31.03.15	1	
11 सीओडी	30.09.12	31.03.16	23	30.11.12	31.07.16	12	
बीओपी कार्य							
1 डीएम वाटर की उपलब्धता	24.03.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.03.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	
2 कूलिंग टॉवर का तैयार होना	24.10.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.10.11	23.04.17	सीओडी के बाद पूर्ण	
3 कोल हेण्डलिंग प्लान्ट	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	
4 ऐश हेण्डलिंग प्लान्ट	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	24.02.12	01.05.17	सीओडी के बाद पूर्ण	
(स्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आँकड़े)							

तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना की इकाई-1 तथा इकाई-2 में क्रमशः 42 माह तथा 44 माह का विलंब हुआ। परियोजना की निगरानी प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर की जा रही थी जैसे कि कार्यस्थल पर परियोजना प्रबंधक, कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर कार्यकारी निदेशक/मुख्य अभियंता (पीआरजी 1), प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष द्वारा मुख्यालय स्तर पर परियोजना की प्रत्येक माह की कार्य प्रगति की समीक्षा सम्पूर्ण रूप से की गई। इसमें परियोजनाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई तथा उन्हें जवाबदेयता केन्द्र के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त के अलावा, छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग और भारत सरकार के ऊर्जा विभाग ने एबीवीटीपीएस परियोजना की मॉनीटरिंग की ताकि परियोजना की समयबद्ध रूप से पूर्णता सुनिश्चित हो। यद्यपि इन बैठकों का एबीवीटीपीएस परियोजना में होने वाले विलंब को रोकने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इकाई-1 और इकाई-2 के निर्माण का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो सका। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पूर्व में सीएजी²¹ द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब पर टिप्पणी करने के बाद भी, कम्पनी द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। समय अधिवृद्धि के मुख्य कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

अनुबंध के क्रियान्वयन में विलंब

2.8.1.1 एनओए (अप्रैल 2008) के उपवाक्य 10.0 के अनुसार, “एनओए जारी होने की तिथि से 28 दिनों के भीतर मेसर्स भेल द्वारा अनुबंध दस्तावेजों को तैयार करते हुये अंतिम रूप दिया जाना था जिसका प्रोफार्मा सीएसईबी को स्वीकार हो और जिसमें औपचारिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हो सकें”। मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) ने 10 सितम्बर 2009 को 16 माह (28 दिन को ध्यान में रखते हुये अर्थात् 9 मई 2008 से) के असामान्य विलंब के पश्चात् अनुबंध क्रियान्वयन किया। विलंब होने के प्रमुख कारण कार्यक्षेत्र (बिल ऑफ क्वांटिटी) के अंतिमीकरण में देरी तथा अनुबंध के अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु नियमों एवं शर्तों के निर्धारण में देरी तथा बीटीजी सिविल कार्यों को कराने हेतु एजेंसी के चयन के अंतिमीकरण में देरी होना था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के क्रियान्वयन में विलम्ब होने का कोई प्रभाव परियोजना के क्रियान्वयन में नहीं पड़ा क्योंकि मेसर्स भेल ने अनुबंध क्रियान्वयन

²¹ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ़ शासन की कंडिका क्रमांक 4.2.9.2

के पूर्व से ही विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया था।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं क्योंकि अनुबंध की अनुपस्थिति के कारण आवश्यकता प्रमाण पत्र²² जारी होने में 16 माह का महत्वपूर्ण विलंब हुआ जो कि मेसर्स भेल द्वारा आयातित सामग्री की आपूर्ति में विलंब का कारण बना तथा यह अगले चरणों के लक्ष्य को पूरा करने में हुये विलंब में भी योगदान दिया।

सामग्री की आपूर्ति में विलंब

2.8.1.2 बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर के संयोजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति का मूल्य ₹ 1,845 करोड़ था जिसकी आपूर्ति मेसर्स भेल द्वारा इकाई-1 तथा इकाई-2 के लिए क्रमशः जनवरी 2012 तथा मार्च 2012 तक की जानी थी। यद्यपि, निम्नलिखित कारणों से सामग्री की आपूर्ति में विलंब हुआ।

- आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी होने में विलंब: मेसर्स भेल के साथ अनुबंध के निष्पादन में 16 माह के विलंब होने के पश्चात्, आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। मेसर्स भेल ने प्रारम्भ में अपूर्ण/अहस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ आवश्यकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जिसे बाद में एक से नौ माह²³ के विलंब के साथ प्रस्तुत किया। जिन्हें मुख्य अभियंता (पीआरजी-1) ने एक से पाँच माह के विलम्ब से ऊर्जा विभाग को अग्रेषित किया, जिसके कारण दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे तथा ऊर्जा विभाग ने भी बाद में दो से आठ माह के विलंब से आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी किया जिसका प्रमुख कारण मुख्य अभियंता (पीआरजी-1) द्वारा ऊर्जा विभाग से इस संबंध में सतत पत्राचार न करना था। इस प्रकार, मेसर्स भेल की विभिन्न इकाइयों²⁴ के लिए आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी होने में कुल तीन से 16 माह का विलंब हुआ।
- मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) द्वारा मेसर्स भेल, हरिद्वार को मटेरीयल डिस्पैच क्लीयरेंस सर्टिफिकेट²⁵ (एमडीसीसी) जारी करने में एक से पाँच महीने की देरी हुई, जिसका मुख्य कारण था, मेसर्स भेल द्वारा अधूरे दस्तावेजों का जमा करना जैसे परीक्षण प्रमाण—पत्र, पैकिंग पर्ची आदि और मेसर्स डीसीपीएल द्वारा सामग्री के अनुमोदन में देरी करना।
- मेसर्स भेल द्वारा अन्य परियोजनाओं को हस्तांतरित की गई सामग्री²⁶ को वापस प्राप्त करने में देरी होना जैसे कोरबा पश्चिम एक्सटेन्शन, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), कोडरमा, डीवीसी अंडल, भुसावल आदि। कम्पनी का निगरानी तंत्र एबीवीटीपीएस परियोजना के मामले में महत्वपूर्ण उपकरणों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संयंत्र के ठेकेदार के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आपूर्ति में विलंब के कारणों के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है और अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। शासन ने आगे कहा कि आवश्यकता प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए कम्पनी या मेसर्स भेल से

²² आवश्यकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता विद्युत परियोनाओं हेतु आयातित सामग्री पर लगने वाली कस्टम डियूटी की रियायती दर को प्राप्त करने हेतु होती है।

²³ विलम्ब की गणना समझौता अनुबंध की तिथि अर्थात् 11 सितम्बर 2009 से की गई है न कि मेसर्स भेल द्वारा अपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये गये वास्तविक आवेदन की तिथि से।

²⁴ ईडीएन बैंगलोर, एचपीसीपी त्रिची, पाइपिंग सेंटर चेन्नई, एचईपी हरिद्वार तथा हैदराबाद पम्पस

²⁵ एमडीसीसी कारखाने से परियोजना साइट पर सामग्री की निकासी का एक अधिकृत प्रमाण—पत्र है।

²⁶ बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की संयोजन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे आईडी फैन ब्लेड तथा मोटर, जनरेटर एक्साइटर, जेकिंग आईल पम्प आदि।

अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ने के कारण विलंब हुआ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त जानकारी के लिए लगे समय पर विचार करने के उपरान्त ही आवश्यकता प्रमाण—पत्र जारी करने में हुए विलंब की गणना की है इसमें आगे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

बीटीजी निर्माण कार्य अवार्ड करने और पूर्ण करने में विलंब

2.8.1.3 निगोशियेशन समिति की अनुशन्सा (मार्च 2008) के अनुसार, मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट) को संबंधित बीटीजी सिविल कार्यों²⁷ के लिए निविदा को अंतिम रूप देना था, यद्यपि वे ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण अभिलेखों में उल्लिखित नहीं थे। इसके बाद, उसी कार्य को मेसर्स भेल के कार्य में ही शामिल कर दिया गया (सितम्बर 2008), जिसके परिणामस्वरूप शून्य तिथि 11 अप्रैल 2008 से स्थानांतरित कर 31 दिसम्बर 2008 कर दी गई। आगे, मेसर्स भेल ने मेसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड, (बी एण्ड आर) को ₹ 156.19 करोड़ के कुल अनुबंध मूल्य पर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) की तिथि से 42 माह की निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु एलओआई जारी किया (24 अगस्त 2009)। यह कार्य पूर्ण रूप से 23 फरवरी 2013 तक पूरा किया जाना था। यद्यपि, बीटीजी सिविल कार्य 46 महीनों की असामान्य विलंब के साथ 31 दिसम्बर 2016 को पूरा किया गया जिसका प्रमुख कारण भूविस्थापितों द्वारा चरणबद्ध तरीके से 187 दिनों का विराध, डीसीपीएल द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन में एक से नौ महीने का विलंब करना, अपर्याप्त जनशक्ति का लगाना, बीओपी ठेकेदार द्वारा साइट को उपलब्ध न करना और कम्पनी द्वारा मूल्य विचलन बिलों का भुगतान न करना।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि बीटीजी सिविल कार्य को अवार्ड करने में प्रक्रियात्मक देरी हुई जैसे कि सीमित प्रस्तावों को कॉल करना, उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथ्य यह है कि कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल को बीटीजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने में नौ महीने की महत्वपूर्ण देरी हुई और बाद में मेसर्स भेल ने भी मेसर्स बी एण्ड आर को कार्य अवार्ड करने में चार महीने की देरी की। इसके अलावा, शासन का जवाब सिविल कार्यों के क्रियान्वयन में 46 महीने की हुई देरी के मामले में कुछ नहीं कहता है।

275 मीटर ट्रिविन फ्ल्यू चिमनी के निर्माण कार्य को अवार्ड करने और पूर्ण करने में विलंब

2.8.1.4 मेसर्स भेल ने मेसर्स गैगन डनकर्ले एंड कम्पनी लिमिटेड (जीडीसीएल), कोलकाता को 275 मीटर उच्च प्रबलित सीमेंट कान्क्रीट (आरसीसी) ट्रिविन फ्ल्यू स्टील लाइंड चिमनी के निर्माण का कार्य ₹ 24.81 करोड़ में अवार्ड किया (सितम्बर 2009) किन्तु बालको, कोरबा में जीडीसीएल द्वारा बनाई जा रही चिमनी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने (23 सितम्बर 2009) के कारण इसे रद्द कर दिया गया। मेसर्स भेल ने छह माह बीत जाने के बाद मेसर्स प्रसाद एंड कम्पनी, हैदराबाद को उक्त कार्य पुनः अवार्ड कर दिया (5 अप्रैल 2010) जो कि नवम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि यह कार्य 18 माह के असामान्य विलंब के साथ 30 अप्रैल 2014 को पूरा किया गया जिसका मुख्य कारण, मेसर्स भेल द्वारा प्लेन सीमेंट कान्क्रीट (पीसीसी) के लिए ड्राइंग उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण चिमनी रॉफ्ट की ढलाई में तीन महीने की देरी होना, चिमनी शेल की ढलाई में देरी के कारण छह महीने का विलंब होना और मेसर्स भेल द्वारा

²⁷ साईट लेवलिंग एवं ग्रेडिंग, पावर ब्लॉक के सिविल कार्य और इकाई 1 एवं इकाई 2 के लिए अन्य फाउन्डेशन कार्यों के लिए संरचनात्मक एवं वास्तुकला ढाँचा से संबंधित कार्य।

चिमनी स्लैब ग्रेड ड्राइंग उपलब्ध न करा पाने के कारण चिमनी के स्ट्रक्चरल इरेक्शन में नौ महीने की देरी होना, भूविस्थापितों का विरोध तथा मेसर्स भेल द्वारा फ्ल्यू केन²⁸ और स्ट्रक्चरल स्टील कार्य के लिए अनुभवी इंजीनियर उपलब्ध न करा पाना था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध के समापन के समय विलंब के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।

बीओपी अनुबंधों के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को पूरा करने में विलंब

2.8.1.5 मेसर्स बीजीआर के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार, बीओपी पैकेज के अंतर्गत डी-मिनरलाइज्ड (डीएम) वाटर की उपलब्धता, एनडीसीटी का निर्माण, ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी) तथा कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) जैसी विभिन्न गतिविधियाँ फरवरी 2012 तक पूरी की जानी थी, यद्यपि इन्हें निर्धारित समय से 63 महीने से 74 महीने के विलंब के साथ पूरा किया गया। बीओपी कार्यों को पूरा करने में हुए विलंब के मुख्य कारणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **पर्याप्त जनशक्ति का नियोजन न करना:** समझौते के अनुसार, मेसर्स बीजीआर को अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधनों का नियोजन करते हुए तीन शिफ्ट में काम कराना था, यद्यपि ठेकेदार ने 4,000 लोगों के नियोजन की जगह कार्यस्थल पर कम संख्या में जनशक्ति (1,800–1,900) नियोजित की, इस प्रकार, पूरे क्रियान्वयन काल में नियोजित की गयी जनशक्ति 50 प्रतिशत से भी कम थी। नियोजित किये गये उप-ठेकेदारों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से संसाधनयुक्त नहीं किया गया था।
- **ड्राइंग के अनुमोदन में देरी:** कन्सल्टेंट (मेसर्स डीसीपीएल) द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन में एक से 15 महीने का विलंब किया गया।
- **भूविस्थापितों का विरोध:** भूविस्थापितों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किये गये कुल 187 दिनों के विरोध ने बीओपी कार्य के क्रियान्वयन को प्रभावित किया।
- **मेसर्स बीजीआर द्वारा भुगतान में देरी करना:** कम्पनी ने अनुबंध में निहित प्रावधान के अनुरूप मेसर्स बीजीआर के बिलों को प्रोसेस और पारित किया, यद्यपि, मेसर्स बीजीआर ने अपने सब-वेंडरों को भुगतान नहीं किया जिससे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- **क्रशर हाऊस में आग लगने की घटना का होना:** इकाई-1 को 23 जून 2015 को सीओडी के लिए कोयले से सिंक्रोनाइज़ किया गया था और लोड को 300 मेगावाट तक बढ़ाया गया था। यद्यपि, 14 जुलाई 2015 को कोल हैंडलिंग प्लांट के क्रशर हाऊस में आग लगने की घटना के कारण, इकाई-1 को सीओडी को निर्धारित समय अर्थात् अगस्त 2015 तक प्राप्त नहीं किया जा सका। यह पाया गया कि मेसर्स एलन इंजीनियरिंग, बीजीआर के सब-वेंडर के रूप में सीएसपीजीसीएल के मुख्य अभियंता (पीआरजी 1) द्वारा अनुमोदित नहीं था और वेल्डिंग का कार्य बिना किसी पूर्व अनुमति के किया गया था। मेसर्स बीजीआर ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के लिए फायर डिटेक्टिंग एंड एक्सटींगिसिंग सिस्टम और सीसीटीवी

²⁸ फ्ल्यू केन एक डक्ट, पाइप या चिमनी में खुलता है जो कि फायर प्लेस, फर्नेस तथा बॉयलर से निकलने वाली गैस को बाहर की ओर निकालता है।

कैमरों को भी नहीं लगाया था। इसके अलावा, संयंत्र में जनशक्ति का आधिक्य²⁹ होने के बाद भी, कम्पनी ने मेसर्स बीजीआर द्वारा की जा रही अनाधिकृत गतिविधियों की निगरानी नहीं की। क्रशर हाऊस को सात महीने से अधिक समय के पश्चात 22 फरवरी 2016 को पुनः प्रारंभ किया गया था।

इस प्रकार, मेसर्स बीजीआर द्वारा महत्वपूर्ण सिविल कार्यों का धीमी गति से क्रियान्वयन करने के कारण ये कार्य संयंत्र की स्थापना होने तक पूरे नहीं किये जा सके थे जैसे तापीय संयंत्र के विभिन्न तलों का निर्माण, पम्प हाऊस में धूल सप्रेसन प्रणाली की स्थापना संबंधी कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट और एनडीसीटी के कार्य आदि। कम्पनी का निगरानी तंत्र यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि इस तरह के कार्य समयबद्ध तरीके से कैसे की जाएँ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि अनुबंध के समाप्त के समय उसके प्रावधानों के अनुसार मेसर्स बीजीआर के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही, कम्पनी ने आग लगने की घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की है।

मेसर्स भेल के साथ भुगतान संबंधी मामलों का निपटारा न होने के कारण इकाई-1 और 2 के कमीशन में विलंब

2.8.1.6 कम्पनी ने इकाई-1 और 2 की सीओडी क्रमशः फरवरी 2016 और मार्च 2016 में करने का निर्णय किया था (9 फरवरी 2016)। तदानुसार, कम्पनी ने शेष कार्य को पूरा करने के लिए कमिशनिंग इंजीनियरों की नियुक्ती हेतु मेसर्स भेल से अनुरोध किया, किन्तु मेसर्स भेल ने ₹ 65 करोड़ के बकाया का भुगतान न हो पाने के कारण पर्याप्त कमिशनिंग इंजीनियरों को नियुक्त नहीं किया। कम्पनी द्वारा ₹ 32 करोड़ का भुगतान कर देने का आश्वासन देने के बाद, मेसर्स भेल ने इंजीनियरों को नियुक्त कर दिया। अन्ततः, एक महीने के विलंब के बाद 31 मार्च 2016 को इकाई-1 की सीओडी हो गई।

इसी तरह, लंबित भुगतान के मामले³⁰ का निपटारा न होने के कारण, मेसर्स भेल ने इकाई-2 की सीओडी से पहले इकाई-2 की सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नियोजित नहीं की। परिणामस्वरूप कम्पनी मार्च 2016 में इकाई-2 की सीओडी नहीं कर सकी। कम्पनी द्वारा किये गये सशक्त पत्राचार के बाद, मेसर्स भेल ने पर्याप्त जनशक्ति नियोजित की और इस तरह चार महीने के विलम्ब के बाद 31 जुलाई 2016 को इकाई-2 की सीओडी हो सकी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी द्वारा मेसर्स भेल के भुगतान को रोकने का निर्णय परियोजना के क्रियान्वयन के हित में था।

तथ्य यह रहा है कि कम्पनी द्वारा भुगतान न करने के कारण इकाई-1 और इकाई-2 की सीओडी में क्रमशः एक और चार महीने का विलंब हुआ।

संयंत्र के स्थापना में विलंब का प्रभाव

2.8.2 इकाई-1 एवं इकाई-2 का वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 निर्धारित थी, जबकि इकाई-1 एवं इकाई-2 की

²⁹ 2011–12 से 2016–17 की अवधि के दौरान श्रेणी –1 (कार्यपालन अभियंता से कार्यकारी निवेशक) के अधिकारी 1.34 प्रतिशत से 75.75 प्रतिशत के मध्य रहे, श्रेणी –2 (सहायक अभियंता) के अधिकारी 42.86 प्रतिशत से 295.45 प्रतिशत के मध्य रहे तथा श्रेणी –3 (कनिष्ठ अभियंता) के अधिकारी 30.33 प्रतिशत से 173.12 प्रतिशत के मध्य रहे।

³⁰ दोनों के बीच मूल्य विचलन के भुगतान पर सहमति न होने के कारण।

वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन 31 मार्च 2016 एवं 31 जुलाई 2016 को पूर्ण हुआ। वाणिज्यिक परिचालन में विलंब के कारण उत्पादन हानि, पीएफसी छूट, समता पर प्रत्याय, उच्च दरों पर विद्युत की खरीदी एवं निर्धारित कार्य पूर्ण तिथि पश्चात ब्याज की चर्चा नीचे की गई है:

एबीवीटीपीएस के स्थापना में अधिक समय लगने के परिणामस्वरूप 16,440.07 मिलियन यूनिट उत्पादन हानि हुई।

- एबीवीटीपीएस, मड़वा की इकाई-1 एवं 2 के वाणिज्यिक परिचालन तिथि में क्रमशः 42 एवं 44 महीने की विलंब हुई, यदि इकाई-1 एवं इकाई-2 निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जाती, तो वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान इकाई-1 एवं 2 के औसत उत्पादन के आधार पर कम्पनी 16,440.07 मिलियन यूनिट उत्पादन से ₹ 4,438.82 करोड़ राजस्व अर्जित कर सकती थी। इस प्रकार, इकाई-1 एवं इकाई-2 के निर्धारित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि में विलंब के परिणामस्वरूप कम्पनी को उत्पादन हानि हुई। यह उल्लेखनीय है कि सीएजी³¹ द्वारा इस मामले को उजागर करने के बावजूद, संयंत्रों की स्थापना समय पर करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं की गयी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीएजी प्रतिवेदन जारी होने के पूर्व बीटीजी एवं बीओपी कार्य का आदेश दिया जा चुका था। इसलिए यह एबीवीटीपीएस के लिए उपयुक्त नहीं है।

उत्तर उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कण्डिका संख्या 4.2.9.1 में लेखापरीक्षा ने यह उजागर किया कि परियोजना की स्थापना में विलंब के कारण उत्पादन हानि जो कि कार्य आदेश देने से संबंधित नहीं है।

- प्रचलित नीति के अनुसार, पीएफसी उत्पादन परियोजनाओं के लिए ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की छूट परियोजना के प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से देती है (अगस्त 2007)। इकाई-1 की स्थापना में 42 माह की विलंब के कारण कम्पनी ₹ 17.95 करोड़ की छूट से बंचित हो गयी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परियोजना निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना ग्रीन फील्ड परियोजना थी और इसमें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना, भू अर्जन, सहायक संरचना, पानी की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दे शामिल थे।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि संयंत्र निर्माण हेतु 307.75 एकड़ भूमि कार्य आदेश देने (अप्रैल 2008) के पूर्व अधिग्रहित किया था (मार्च 2008) एवं सहायक संरचना जैसे रेल संरचना उपलब्ध कराने में विलंब का परियोजना के पूर्ण होने में कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि मुख्य संयंत्र एवं बीओपी कार्य निर्धारित तिथि पर पूर्ण नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, भू-विस्थापितों के हड़ताल के कारण परियोजना मात्र 187 दिनों के लिए प्रभावित हुआ था।

- सीएसईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ निर्धारण की शर्ते एवं स्थितियाँ) नियमन, 2010 की उपावाक्य 22.2 के अनुसार यदि कोई परियोजना अप्रैल 2010 या उसके बाद स्थापित होती है, तो ऐसी परियोजना के लिए 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रत्याय की अनुमति होगी यदि ऐसी नयी परियोजना अपने कार्य आरंभ तिथि से 44 माह के भीतर पूर्ण हो जाती है। परियोजना का निर्धारित समय पर पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप समता पर प्रत्याय के रूप में

³¹ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक), छत्तीसगढ़ शासन की कण्डिका संख्या 4.2.9.1

₹ 3.16 करोड़³² की हानि हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सीएसईआरसी बहुवर्षीय टैरिफ नियमन 2010 की अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सीएसईआरसी प्रावधान के अनुसार 44 माह के स्थान पर इकाई-1 एवं इकाई-2 को कार्य आरंभ तिथि से 45 एवं 47 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि इकाई-1 के लिए सीएसईआरसी बहुवर्षीय टैरिफ नियमन को हासिल करने के लिए कम्पनी ने लक्षित निर्धारित कार्य पूर्ण अवधि को एक माह कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इकाई-2 के लिए नियमन 6 माह की अतिरिक्त अवधि की अनुमति देती है जो कि निर्धारित कार्य पूर्ण अवधि के भीतर था। किन्तु कम्पनी परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं कर सकी।

- परियोजना को वर्ष 2012–13 में स्थापित किया जाना था। किन्तु, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) द्वारा निजी क्षेत्रों से उच्च दरों पर विद्युत खरीदी क्योंकि कम्पनी सीएसपीडीसीएल के साथ विद्युत क्रय अनुबंध की थी। इसके परिणामस्वरूप 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान सीएसपीडीसीएल को विद्युत क्रय के लिए ₹ 315.92 करोड़³³ की अतिरिक्त लागत आयी जो कि उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दी गई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विद्युत कमी को पूरा करने के लिए सीएसपीडीसीएल ने विद्युत प्रति इकाई दर ₹ 2.55 से ₹ 3.56 की सीमा में क्रय की। यह भी कहा कि क्रय की गयी विद्युत की दरें एबीवीटीपीएस की उत्पादन लागत से कम थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी के द्वारा मड़वा परियोजना को समय पर पूर्ण न करने के कारण सीएसपीडीसीएल निजी क्षेत्रों से विद्युत खरीदी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के भाग में परियोजना की लागत अधिक हो जाने के कारण डीपीआर में अनुमानित प्रति इकाई लागत ₹ 1.96 एवं ₹ 1.73 की सीमा के विरुद्ध एबीवीटीपीएस की उत्पादन लागत बढ़कर ₹ 4.16 प्रति इकाई हो गई।

- परियोजना के पूर्ण होने में विलंब के कारण निर्धारित कार्य पूर्ण तिथि से वास्तविक कार्य पूर्ण तिथि की अवधि के लिए कम्पनी को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) ₹ 1,317.60 करोड़³⁴ की परिहार्य हानि हुई।

एबीवीटीपीएस की स्थापना में विलंब के कारण लागत बढ़ोत्तरी के रूप में कम्पनी ने ₹ 3,772.67 करोड़ अतिरिक्त व्यय किये।


लागत में बढ़ोत्तरी

2.8.3 परियोजना के पूर्ण होने में विलंब के कारण, परियोजना के अनुमानित मूल लागत ₹ 5,119.84 करोड़ के विरुद्ध 31 मार्च 2019 तक कम्पनी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय ₹ 8,892.51 करोड़ (सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित लागत) थी और कम्पनी द्वारा ₹ 3,772.67 करोड़ अतिरिक्त व्यय किये। लागत बढ़ाने वाले सहायक घटक जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया है:

³² ₹ 6,317.70 करोड़ × 10 प्रतिशत पूंजी × 0.50 प्रतिशत

³³ (डीपीआर और वास्तविक प्रति इकाई दर में अंतर) × क्रय की गई विद्युत

³⁴ ₹ 2,994.54 करोड़ × 44 महीने/100 महीने



लागत बढ़ोत्तरी के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार थे:

पीएफसी ऋण पर निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) में वृद्धि

निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) ₹ 568.50 करोड़ (डीपीआर के अनुसार) से बढ़कर ₹ 2,994.54 करोड़ (अर्थात् 426.74 प्रतिशत) हो गया। निर्माण के दौरान ब्याज बढ़ाने वाले कारणों की चर्चा नीचे की गयी है:

कम्पनी द्वारा पूँजी लगाने में असफल

2.8.3.1 कम्पनी के निर्णय के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत की व्यवस्था पूँजी (स्वंय स्रोत/पूँजी में राज्य सरकार का योगदान) से किया जाना था।

2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान, कम्पनी को परियोजना में 10 प्रतिशत पूँजी राशि के रूप में ₹ 418 करोड़ (2008–09) और ₹ 900 करोड़ (2017–18) की सीमा में लगाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि पीएफसी से ऋण लेने के पूर्व 10 प्रतिशत पूँजी लगाये जाना सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण पूँजी लगाने में कमी की सीमा ₹ 12.99 करोड़ (2013–14) और ₹ 458.19 करोड़ (2011–12) थी। पूँजी से 10 प्रतिशत निवेश करने के लिए कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने ऋण लिया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अतिरिक्त ब्याज भार ₹ 92.56 करोड़ बहन करना पड़ा।

यह भी पाया कि परियोजना की लागत को कम करने के लिए कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन से 2010–11 तक पूँजी राशि प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, छत्तीसगढ़ शासन को एक अनुरोध अगस्त 2011 के बाद किया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पीएफसी के ऋण स्वीकृत आदेश के अनुसार पीएफसी से ऋण लेने के पूर्व 10 प्रतिशत अग्रिम पूँजी लगाने की बाध्यता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विवेकीय व्यवसाय व्यवहार के अनुसार ऋण राशि एवं उस पर ब्याज भार को कम करने के लिए ऋण लेने के पूर्व धन की व्यवस्था स्वयं के साधनों से किया जाना था। किंतु अतिरिक्त ब्याज भार को टालने के लिए, कम्पनी ने न ही 10 प्रतिशत पूँजी लगाने के लिए धन उपलब्धता की निर्धारण करने की कार्यवाही की और न ही 2010–11 तक छत्तीसगढ़ शासन से पूँजी प्राप्त करने का प्रयास किया था।

कम्पनी का ग्रेडिंग निम्नतर होना

2.8.3.2 वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से पीएफसी राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों का परिचालन एवं वित्तीय कार्यान्वयन के साथ नियामकीय वातावरण और लेखापरीक्षित लेखों के मानदण्डों के आधार पर कम्पनियों का मूल्यांकन करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कर्मचारी लागत के संबंध में पूर्व वर्षों के वैधानिक प्रावधान के अनुपालन के कारण कम्पनी को वर्ष 2010–11 में हानि हुई जिसके कारण 16 फरवरी 2012 से 12 सितम्बर 2012 अवधि के दौरान कम्पनी का श्रेणी निर्धारण निम्नतर होकर ए+ से बी हुई जिसके लिए पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर कम्पनी पर लगाया। बाद में 13 सितम्बर 2012 से कम्पनी का श्रेणी निर्धारण बी से ए सुधार हुआ जो कि 6 अक्टूबर 2013 तक बना रहा। जिसके परिणामस्वरूप पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर घटाया। संयंत्र क्षमता का कम उपयोग करने के कारण वर्ष 2013–14 में कम्पनी को हानि हुई जिसके कारण 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 अवधि के दौरान पुनः कम्पनी के श्रेणी निर्धारण में ए+ से बी निम्नतर हुई, जिसके लिए पीएफसी ने वितरित ऋण पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया। परिणामतः कम्पनी को ₹ 18.01 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा साथ ही इसी सीमा तक एबीवीटीपीएस पर परिहार्य वित्तीय भार भी पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी को हानि मुख्यतः लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु लेखों में वैधानिक प्रावधानों के किये जाने के कारण हुआ और 2013–14 में यह सीएसईआरसी के वास्तविक (दू अप) आदेश और उत्पादन हानि के कारण हुई।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी को वर्ष 2010–11 के दौरान हानि पूर्व वर्षों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान किये जाने के कारण हुई। जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी की हानि सीएसईआरसी के वास्तविक (दू अप) आदेश को ध्यान में रखने के बाद भी कर के बाद लाभ नकारात्मक थी।

बीटीजी और बीओपी कार्यों की लागत में वृद्धि

2.8.3.3 बीटीजी आपूर्ति और निर्माण, परीक्षण और स्थापना (ईटीसी) कार्य की लागत बढ़कर ₹ 2,437.01 करोड़ (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार) से ₹ 2,666.91 करोड़ (अर्थात् 9.43 प्रतिशत) हो गई। वृद्धि का मुख्य कारण संविदा अवधि में मूल्य परिवर्तन का भुगतान करना है।

इसी प्रकार बीओपी आपूर्ति और ईटीसी कार्य की लागत बढ़कर ₹ 1,902.05 करोड़ (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार) से ₹ 2,208.57 करोड़ (अर्थात् 16.12 प्रतिशत) हो गई। वृद्धि का मुख्य कारण संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार मूल्य परिवर्तन के लिए ₹ 116.88 करोड़ और पहुँच सङ्क निर्माण पर ₹ 1.42 करोड़ का भुगतान है। बाधारहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण पहुँच सङ्क निर्माण पर परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़ के मामले की चर्चा नीचे की गई है।

पहुँच सङ्क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित किये बिना, कम्पनी ने सङ्क निर्माण के लिए ₹ 2.34 करोड़ मूल्य का कार्य आदेश जारी किया (मई 2012)। बाधारहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण संविदा रद्द कर दिया गया (फरवरी 2013) उस समय तक ठेकेदार द्वारा ₹ 13 लाख मूल्य का कार्य किया था। तत्पश्चात्, कम्पनी द्वारा पहले से ही खरीदी गई भूमि के लिए कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹ 2.01 करोड़ का

कार्य आदेश जारी³⁵ किया गया (मार्च 2014)। इसके अतिरिक्त, शेष भूमि के अधिग्रहण पश्चात् कम्पनी ने कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹ 1.75 करोड़ का एक अन्य कार्य आदेश जारी³⁶ किया (जून 2014)। यदि कम्पनी ठेका देने के पहले भूमि अधिग्रहण कर लेती, तो अतिरिक्त व्यय ₹ 1.42 करोड़ को टाला जा सकता था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य आदेश देने के समय पूर्ण भूमि नहीं ली जा सकी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया था। इसलिए पूर्व अनुबंध रद्द किया गया और नया ठेका प्रदान किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण की समस्या विस्तृत सर्वेक्षण किये बिना भूमि अधिग्रहित किये जाने के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय ₹ 1.42 करोड़ हुआ।

भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एवं आर) की लागत में वृद्धि

2.8.3.4 डीपीआर में भूमि अधिग्रहण और आर एवं आर की लागत ₹ 71.66 करोड़ अनुमानित किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 174 करोड़ (अर्थात् 142.81 प्रतिशत) हुआ जिसमें भूमि पर ₹ 125 करोड़ और आर एवं आर पर ₹ 49 करोड़ शामिल था। भूमि की लागत में वृद्धि का मुख्य कारण अधिक मात्रा में भूमि अधिग्रहण, कृषि और बंजर भूमि के दर में भिन्नता और उच्च दर पर क्षतिपूर्ति भुगतान के कारण आर एवं आर के निपटारे पर अधिक व्यय था।

अनुशंसा:

समय और लागत में वृद्धि और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि को रोकने के लिए कम्पनी को बेहतर योजना, सटीक निगरानी और ठेकेदार और सलाहकारों के साथ उत्कृष्ट तालमेल द्वारा समयबद्ध रूप से तापीय विद्युत संयंत्र की क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

ठेकेदारों से परिसमापन क्षति का हर्जाना वसूल न करना

2.8.4 यद्यपि ठेकेदारों ने निर्धारित तिथि से 42 और 44 महीने के विलंब से काम पूरा किया, किन्तु मेसर्स भेल द्वारा बीटीजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने तथा सामग्री की आपूर्ति में 13 महीने और मेसर्स बीजीआर द्वारा पर्याप्त जनशक्ति नियोजित न करने के कारण 16 महीने के किये गये विलंब के लिए अनुबंध में उल्लेखित परिसमापन क्षति (एलडी) का हर्जाना का वसूल नहीं किया। यह उल्लेख करना उचित है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक³⁷ द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद भी इससे कोई सबक नहीं लिया गया। इससे ठेकेदारों को ₹ 339.31 करोड़³⁸ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि विलंब विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है तथा उसे अंतिम रूप देने के बाद एलडी की प्रयोज्यता सुनिश्चित की जाएगी।

³⁵ मेसर्स आशा कन्स्ट्रक्शन, रायपुर

³⁶ मेसर्स शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स, कोरबा

³⁷ छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल और वाणिज्यिक) की कंडिका संख्या 4.2.9.1 में प्रतिवेदित।

³⁸ बीटीजी ठेका मूल्य ₹ 1,845 करोड़ (कर और शुल्क को छोड़कर ठेका मूल्य) X 10 प्रतिशत= ₹ 184.50 करोड़ और बीओपी का ठेका मूल्य ₹ 1,548.09 करोड़ (कर और शुल्क को छोड़कर ठेका मूल्य) X 10 प्रतिशत = ₹ 154.81 करोड़

अपूर्ण ऐश हैंडलिंग प्लाट (एएचपी) के साथ प्रोजेक्ट कमीशन किया गया

2.8.5 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) एक कण हटाने वाला उपकरण है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का उपयोग करके दहनशील उत्पादों से निलंबित कण को हटाता है। ईएसपी के अधिष्ठापन का कार्य मेसर्स भेल द्वारा किया जाना था।

प्रगति प्रतिवेदन (मार्च 2016) की जाँच से पाया कि सीओडी के बाद भी एएचपी का काम अधूरा रहा। चूँकि एएचपी पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए बॉयलर में उत्पन्न राख ईएसपी की क्षमता से अधिक होने के कारण ईएसपी आवरण के अंदर ही संचित हो गई। जिससे, इसका एक पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे नए पास से बदलने की आवश्यकता थी। मेसर्स भेल ने अनुबंध की शर्तों के आधार पर इस दोष को ठीक करने से मना कर दिया (जुलाई 2016), चूँकि यहाँ कम्पनी की गलती थी क्योंकि उसने एएचपी अपूर्ण होने के बाद भी संयंत्र चालू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप ईएसपी के प्रतिस्थापन/मरम्मत पर ₹ 4.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इकाई-1 और 2 की कमीशनिंग ईएसपी और ऐश हैंडलिंग सिस्टम के पूर्ण होने के बाद ही की गई थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सीओडी के समय पर, एएचपी कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था जो कि 1 मई 2017 को पूरा हुआ था।

अनुशंसा

कम्पनी को उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए सभी सुविधाओं को पूर्ण करने के बाद ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता का अनुपालन न होना

अनियमित पूर्व-परीक्षण

2.8.6 सीएसईआरसी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011 (ग्रिड संहिता 2011) प्रकाशित किया (दिसम्बर 2011)। इसके अनुसार पूर्व परीक्षण किया जाना होगा अर्थात् जनरेटर का निरंतर 72 घंटे परिचालन। कम्पनी³⁹ ने इकाई-1 और इकाई-2 का सीओडी क्रमशः 31 मार्च 2016 के 00:00 घंटे और 31 जुलाई 2016 के 00:00 घंटे में घोषित किया। परियोजना के सीओडी के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएँ लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019):

- एबीवीटीपीएस की इकाई-1 निरंतर 15 मिनट की 108 खण्ड चली न कि निरंतर आवश्यक 72 घंटे की अवधि अर्थात् स्थापित क्षमता के प्रत्येक 15 मिनट की 288 खण्ड।
- ग्रिड संहिता 2011 कुल मिलाकर चार घंटे अवधि की लघु अवरोध की अनुमति देती है और चार घंटे से अधिक होने पर पुनः परीक्षण परिचालन अथवा पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। जबकि, पूर्व परीक्षण अवधि के दौरान इकाई-1 और इकाई-2 में कुल अवरोध क्रमशः 173.25 घंटे और 14.25 घंटे की थी। कम्पनी ने न ही पुनः पूर्व परीक्षण किया और न ही इकाई-1 और इकाई-2 की क्षमता में कमी की।
- तापीय विद्युत उत्पादन गृह के इकाईयों को अपने स्थापित क्षमता (आईसी) के 105 प्रतिशत भार तक संचालित भी करना होगा। इकाई-1 की अधिकतम दर्ज क्षमता 505.02 मेगावाट (29 मार्च 2016 00:24:46 घंटे) और 504.38 मेगावाट

³⁹ मुख्य अभियंता (सी एं सीपी) और कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) द्वारा क्रमशः इकाई-1 एवं इकाई-2 के लिए सीओडी घोषित किया।

(29 मार्च 2016 00:31:14 घंटे) थी। इस प्रकार, इकाई अपनी पूर्ण क्षमता पर कुल अवधि केवल 18 मिनट (अर्थात् 00:31:14 घंटे और 00:13:37 घंटे का अंतर) चली। इकाई-2 केवल एक खण्ड (27 जुलाई 2016 को 04:30:00 घंटे) 502 मेगावाट पर चली। दोनों इकाईयाँ अपनी स्थापित क्षमता (आईसी) के 105 प्रतिशत भार तक नहीं चली।

- ग्रिड संहिता 2011 के अनुसार उत्पादन कम्पनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादन गृह अनिवार्य आशयकताओं और ग्रिड संहिता 2011 के प्रावधानों को पूरा करती है, बीओपी सहायक क्रियाएँ⁴⁰ स्थापित कर लिया गया है और यह पूर्ण भार परिचालन में सक्षम है। कम्पनी ने सीओडी प्रमाणित नहीं की जैसा कि आवश्यक था। अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएँ जैसे टरबाइन संचालित बॉयलर फीड पम्प (टीडीबीएफपी) 2बी, हाईड्रोजन उत्पादन संयंत्र, अग्निरोधी प्रणाली, इफ्लूयैट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), राख परिचालन संयंत्र, क्लोरिनीकरण प्रणाली और कोल परिचालन संयंत्र स्थापित नहीं किये थे।
- उत्पादन कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया जाना था और प्रमाणपत्र की प्रति संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव और संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को सीओडी घोषित करने के पूर्व प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु इकाई-1 और इकाई-2 की सीओडी के लिए प्रमाणपत्र क्रमशः मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक और निगम नियोजन) और कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) द्वारा हस्ताक्षर कर मुख्य अभियंता (एसएलडीसी) को प्रस्तुत किये थे। ग्रिड संहिता 2011 की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति सदस्य सचिव, पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति को प्रस्तुत किया जाना था किन्तु यह अभिलेखों में नहीं पाया गया।
- संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा उत्पादन ऑकड़े प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पूर्व परीक्षण के मंजूरी की सूचना अथवा पूर्व परीक्षण परिचालन में पाई गयी कोई कमियों की सूचना उत्पादन कम्पनी को देना आवश्यक था। किन्तु आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा पूर्व परीक्षण परिचालन में ऊपर इंगित कमियाँ उत्पादन कम्पनी को सूचित नहीं किया गया था।
- ग्रिड संहिता 2011 के किसी प्रावधानों की अनुपालन न करने की स्थिति में विद्युत इकाई को प्रारम्भ न करने के लिए यद्यपि ग्रिड संहिता 2011 में आरएलडीसी को सशक्त किया है, किन्तु आरएलडीसी ने इकाई-1 और 2 की स्थापना का विरोध नहीं किया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि इकाई-1 का पूर्व परीक्षण सीओडी घोषित करने के बाद किया था।

निर्मित परिसंपत्तियों जिसका उपयोग नहीं हो रहा है पर व्यय

मङ्गवा में अस्थायी बांध के निर्माण और संधारण पर ₹1.37 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ

2.8.7 कार्यपालन अभियंता (सिविल –1), एबीवीटीपीएस प्रोजेक्ट ने परियोजना के इनटेक पंप हाऊस के डाउनस्ट्रीम में हसदेव नदी के किनारे एक कॉफर बांध बनाने का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2012), जिसकी द्रायल रन मार्च 2012 में किया जाना निर्धारित

⁴⁰ ईंधन तेल प्रणाली, कोल संचालन संयंत्र, गैर खनिजी संयंत्र, पूर्व उपचारित संयंत्र, अग्निरोधी प्रणाली, राख निस्तारण प्रणाली।

किया गया था। उक्त कार्य के लिये एलओए जारी⁴¹ किया गया (मार्च 2012) और कार्य ₹ 28.58 लाख की लागत से पूरा हुआ (4 जनवरी 2013)।

कम्पनी की बीओडी ने ₹ 78.52 करोड़ जल प्रभार के रूप में बचाने के लिए ₹ 1.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर हसदेव नदी पर इनटेक पम्प हाऊस के पास एक अस्थायी मिट्टी के बाँध के निर्माण और तीन साल की अवधि तक इसके संधारण के लिए मंजूरी दी (जून 2013)। तदानुसार, उक्त बाँध के निर्माण और संधारण के कार्य के लिये निविदा आमत्रित⁴² की गई और ₹ 1.08 करोड़ पर कार्य अवार्ड किया गया (सितम्बर 2013)। यह कार्य 24 फरवरी 2014 को ₹ 1.08 करोड़ की लागत से पूरा हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2018) कि अस्थायी बाँधों के निर्माण के संबंध में निर्णय लेते समय बॉयलर लाइट अप, टीजी बॉक्स अप, सिंक्रोनाइजेशन और सीएचपी जैसे प्रमुख कार्य अपूर्ण थे। उपर्युक्त कार्य पूरे न हो पाने के कारण इकाइयों के कमीशन में देरी हुई। अतः संयंत्र के कार्य को पूरा किये बिना सिंक्रोनाइज करने हेतु अस्थायी बाँधों के निर्माण का निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं मिला जो यह दर्शाता हो कि अस्थायी बाँधों से पानी लिया गया था। चूंकि 24 फरवरी 2014 को अस्थायी बाँध का निर्माण किया गया था और सीओडी मार्च 2016 / जुलाई 2016 को हुई, अर्थात् अस्थायी बाँधों के निर्माण के समय प्रोजेक्ट का कार्य प्रगतिरत था, अतः इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। परिणामस्वरूप इसके निर्माण पर हुआ व्यय ₹ 1.37 करोड़ व्यर्थ हो गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि पूर्व कमीशनिंग और परीक्षण गतिविधियों के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्थायी बाँधों के निर्माण और संधारण का प्रस्ताव लाया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि पूर्व-कमीशन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति चौतरिया नाला से की गई थी और अस्थायी बाँध के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं थी।

ओवर हेड इलेक्ट्रीफिकेशन (ओएचई) कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण ₹ 68.76 करोड़ की रेलवे लाईन का उपयोग नहीं हो सका

2.8.8 कम्पनी ने मेसर्स राइट्स को परियोजना प्रबंधन सलाहकार का कार्य अवार्ड किया (मार्च 2008), जिसने छ: पैकेजों में अन्य ठेकेदारों को रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया।

मेसर्स राइट्स द्वारा पैकेज IV के ओएचई कार्य के लिए मेसर्स ट्रैक्सन टावर्स को ₹ 10.46 करोड़ की लागत का कार्य प्रदान किया गया था (फरवरी 2009)। चूंकि, कम्पनी द्वारा बाधारहित कार्यस्थल सौंप दी गई थी (नवम्बर 2013)। तदानुसार, कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि जुलाई 2014 तक बढ़ा दी गई थी। ओएचई तार स्ट्रिंगिंग कार्य मई 2019 तक पूरा न होने के कारण ओएचई का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। रेलवे से साइट क्लीरिंगेस मिलने में देरी के कारण ठेकेदार ने शेष कार्य को क्रियान्वित नहीं किया और कार्य को जल्द बंद करने का अनुरोध किया क्योंकि अप्रैल 2014 तक कार्य पूर्ण होना था, इस प्रकार, कम्पनी द्वारा रेल ओवर रेल (आरओआर) पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका (मई 2019)।

कम्पनी ने दिसम्बर 2018 तक ₹ 183.19 करोड़ की राशि पहले ही खर्च कर दी थी। किन्तु ओएचई का शेष कार्य पूर्ण न होने के कारण कम्पनी को सिंगल लाईन अर्थात्

⁴¹ कार्यकारी निदेशक (सिविल प्रोजेक्ट) के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता (सिविल)

⁴² कार्यकारी निदेशक (सिविल प्रोजेक्ट)

भरे और खाली दोनों रेक के लिए वापसी लाईन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार, 24.96 किलोमीटर (किमी) की कुल रेलवे लाईन में से केवल 15.59 किमी रेलवे लाईन (अर्थात् 62 प्रतिशत) का उपयोग कम्पनी द्वारा किया जा सकता है। इकाईयों की सीओडी होने के तीन वर्ष बाद भी, ₹ 68.76 करोड़⁴³ की लागत वाली कुल 9.37 किमी (38 प्रतिशत) रेलवे लाईन बिना उपयोग के बेकार पड़ी रही (मई 2019)।



अपूर्ण वायर स्ट्रिंगिंग कार्य

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भूमि अधिग्रहण में देरी, ग्रामीणों द्वारा हड्डताल और रेलवे द्वारा आरओआर के लिए ब्लॉक देने में देरी के कारण ओएचई कार्य में विलंब हुआ। शासन ने आगे कहा कि वर्तमान में ओएचई कार्य प्रगति पर है।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि भूमि का अधिग्रहण बिना किसी विस्तृत सर्वेक्षण के किया गया था और कम्पनी ने सीओडी तक रेलवे से ब्लॉक प्राप्त करने के लिए इस मामले में अधिक गम्भीरता नहीं दिखाई।

अनुशंसा:

कम्पनी को सिस्टम सिंक्रोनाइज़ करने के लिए निर्धारित समय के अंदर सभी संबंधित कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए।

स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली पर ₹ 2.99 करोड़ का निष्फल व्यय

2.8.9 मेसर्स राइट्स द्वारा मेसर्स विजयवर्गीय इंफ्रा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड को सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन (एसएंडटी) का कार्य अवार्ड किया गया। यह कार्य ₹ 2.99 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ (फरवरी 2016)। मेसर्स राइट्स ने सीएसपीजीसीएल को 24 फरवरी 2016 को एसएंडटी सिस्टम सफलतापूर्वक कमीशन कर सौंप दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी प्रारम्भ से ही जानती थी कि एसएंडटी प्रणाली के परिचालन और संधारण के लिए जनशक्ति को नियोजित किया जाना है। यद्यपि, कम्पनी ने न तो प्रशिक्षण⁴⁴ के लिए अपने कर्मचारियों⁴⁵ को नियोजित किया और

⁴³ अप्रयुक्त रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत= ₹ 183.19 करोड़ (कुल लागत) / 24.96 किमी (रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई) x 9.37 किमी (रेलवे नेटवर्क का अप्रयुक्त हिस्सा)

⁴⁴ जैसा मेसर्स राइट्स (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट) द्वारा 02/02/2016 को प्रस्ताव दिया गया।

न ही सिस्टम को परिचालित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनशक्ति को लगाया। कम्पनी ने मेसर्स राइट्स से स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को बंद करने के लिए अनुरोध किया (24/02/2016)। कम्पनी सिस्टम को सौंपने की तिथि से मई 2019 तक मैन्युअल रूप से संचालित कर रही थी। स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली पर ₹ 2.99 करोड़ खर्च करने के बाद भी, तीव्र, विश्वसनीय और सुरक्षित ट्रेन आवागमन का उद्देश्य अधूरा रहा। नीचे दिए गए फोटोग्राफ में इसे दिखाया गया है जिसे संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिया गया था (दिसम्बर 2018)।



पुल संख्या 17 खंड और कटिंग सेक्शन के नल बिंदु के बीच रेलवे लाइन पर स्थित स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली का स्टील उपकरण केस ध्वस्त हो गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि परिचालन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति नियोजन करने के लिए पहल की जा चुकी है।

खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग न होना

2.8.10 भुगतान की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को एमआरसी जारी करने के बाद कार्य स्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान किया गया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि 34 महीने व्यतीत होने के बाद भी तालिका-2.2 में दी गई ₹ 2.11 करोड़ मूल्य की सामग्री का आज दिनांक तक (मई 2019) उपयोग नहीं हुआ।

तालिका-2.2: अनुपयोगी सामग्री का विवरण		
संक्र.	सामग्री	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	एक लाट में से 0.52 लाट हॉइस्टिंग उपकरण	1.48
2	दो में से एक कन्वेयर बेल्ट वल्कानाइजर	0.18
3	दो में से एक ऐलिवेटर (लिफ्ट)	0.45
कुल		2.11
<i>(स्रोत: कम्पनी के अग्रिमेखों से संकलित आंकड़े)</i>		

इन सामग्रियों का इंस्टालेशन नहीं होने से ₹ 2.11 करोड़ का निवेश बेकार हो गया इसके साथ ही दिन-प्रतिदिन के कार्यों में परिचालन संबंधी समस्यायें भी आई। जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति की गई थी और चार साल से अधिक समय बीत चुका है, अतः उपकरणों की गारंटी/वारंटी की अवधि भी समाप्त हो गई है। इससे पता चलता है कि अधीक्षण अभियंता (सीएचपी) द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन सही तरीके से नहीं कराया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करने

⁴⁵ अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्कल-1 ने स्टाफ को तैनात करने के लिए अधीक्षण अभियंता (सर्विसेस) से अनुरोध किया (23/02/2016)।

के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है। शासन ने आगे कहा कि एलडी का आरोपण विलंब विश्लेषण के पश्चात अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अन्य मामले

वैगनों से कोयला अनलोड करने में विलम्ब करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के विलम्ब प्रभार का परिहार्य भुगतान

2.8.11 कम्पनी ने मेसर्स नीलकंठम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा (ठेकेदार) को एक कार्यादेश जारी कर (1 अप्रैल 2016) कोयले की अनलोडिंग की व्यवस्था की। कार्यादेश के अनुसार, वैगनों को 2 घंटे 15 मिनट के निर्धारित समय के भीतर अनलोड करना था। वैगनों को अनलोड करने में विलम्ब होने पर, ₹ 150 प्रतिघंटा प्रति वैगन या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से शास्ति आरोपित की जाएगी और उसे ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 से मई 2019 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कोयला वैगनों को अनलोड करने में देरी के परिणामस्वरूप एसईसीआर को विलम्ब प्रभार के रूप में ₹ 1.46 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि, कम्पनी ठेकेदार से केवल ₹ 0.31 करोड़ ही वसूल कर सकी तथा अधीक्षण अभियंता (सीटीडी) की खराब निगरानी के कारण कम्पनी को ₹ 1.15 करोड़ की शेष राशि का भार वहन करना पड़ा। वैगनों से कोयला अनलोड करने में विलंब होने के मुख्य कारण थे, कोयले की फीडिंग और सम्प्रेषण या क्रशिंग प्रणाली में समस्या आ जाना, कोयले/शेल के बड़े बड़े टुकड़े जो वैगन गेट और हॉपर प्रिल में फँस कर कोयले की निकासी/उत्तराई की प्रक्रिया को बाधित और प्रतिबंधित कर देते थे।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि क्रशर हाऊस अग्नि दुर्घटना के बाद बहाली और सीएचपी की अन्य सहायक गतिविधियों के फिर से चालू हो जाने में काफी समय लग गया था, जिससे विलंब प्रभार का भुगतान करना पड़ा। शासन ने आगे कहा कि वर्ष 2018–19 में अधिक कोयला लेने के बाद भी विलंब प्रभार में महत्वपूर्ण कमी आई है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने क्रशर हाऊस अग्नि दुर्घटना की बहाली के बाद ही विलंब प्रभार पर विचार किया। तथ्य यह रहा कि 2018–19 के पूर्व ₹ 98 लाख की बड़ी राशि का भुगतान विलंब प्रभार के रूप में किया गया था।

एसईसीएल से ₹ 66.08 करोड़ का क्रेडिट नोट प्राप्त न होना

2.8.12 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की वेबसाईट पर उपलब्ध ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अनुसार, कोयले की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिपिट के दौरान और प्रत्येक डिलीवरी पॉइंट पर संयुक्त रूप से मेन्युअल विधि से कोयला का नमूना एकत्र किया जाएगा। संयुक्त सेम्पलिंग के कोयला निरीक्षण उपवाक्य के अनुसार, कोयले की ग्रेड के संबंध में किसी भी तरह के विवाद के मामले में, इसे तीसरे पक्ष को संदर्भित किया जाना था और इस मामले में तीसरे पक्ष का निर्णय अंतिम होगा। काउंसिल ऑफ साइटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) तीसरा पक्ष था। एसईसीएल द्वारा परिणामों की स्वीकृति के सात दिनों के भीतर संयुक्त हस्ताक्षर के साथ ग्रेड स्लिपेज पर क्रेडिट नोट जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि सीआईएमएफआर के विश्लेषण के अनुसार दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2018 के महिनों के दौरान एसईसीएल से प्राप्त कोयला निम्न ग्रेड का था। तदानुसार, कम्पनी को संबंधित महीने के अगले महीने में सात दिनों के भीतर एसईसीएल से ₹ 95.34 करोड़ का क्रेडिट नोट प्राप्त करना था। यद्यपि, कम्पनी ने सितम्बर 2018 से एसईसीएल से क्रेडिट नोट का दावा करना प्रारम्भ किया।

इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (कोल ट्रांसपोर्ट डिवीजन) ने एसईसीएल से मामले का संज्ञान लेने में विलंब किया और ₹ 66.08 करोड़ की क्रेडिट नोट की राशि प्राप्त नहीं हो पाई (मई 2019)। आगे, एसईसीएल द्वारा क्रेडिट नोट के भुगतान में देरी के कारण भी अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बकाया क्रेडिट नोट की राशि को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए गये थे, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2019 तक क्रेडिट नोट की राशि ₹ 66.08 करोड़ से घटकर ₹ 62.63 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, शासन ने कहा कि यदि एसईसीएल क्रेडिट नोट को समायोजित नहीं करेगी, तो कम्पनी अपने बिलों से क्रेडिट नोट के बराबर की राशि का भुगतान रोक देगी।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के साथ अनुबंध के क्रियान्वयन में विलंब होने से ₹ 4.47 करोड़ की शास्ति लगी

2.8.13 2X500 मेगावाट एबीवीटीपीएस मड़वा के लिए कुल पानी की आवश्यकता की पूर्ति परियोजना के किनारे बहने वाली हसदेव नदी से की जानी थी। प्रवाहित जल की आवश्यकता लगभग 35 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)/वर्ष थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि प्रारम्भ में, कम्पनी को 60 एमसीएम/वर्ष पानी आबंटित किया गया था, जिसे दिसम्बर 2016 में घटाकर 35 एमसीएम/वर्ष कर दिया गया था। यद्यपि, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (संचालन और संधारण) ने मई 2017 तक डब्ल्यूआरडी के साथ कोई भी अनुबंध नहीं किया था। अनुबंध के अभाव में, पानी के आहरण को अनाधिकृत और अवैध माना गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी को फरवरी 2017 से मई 2017 की अवधि के दौरान सामान्य दर⁴⁶ से तीन गुना⁴⁷ ₹ 4.47 करोड़ दण्डात्मक जल प्रभार के रूप में वहन करना पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि शास्ति को माफ करने के लिए डब्ल्यूआरडी के साथ मामले पर चर्चा चल रही है।

अनुशंसा:


कम्पनी को समय पर अनुबंध करना चाहिये जिससे शास्ति को टाला जा सकें।

परिचालनात्मक निष्पादन

2.9 तापीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:

⁴⁶ ₹ 5.50 / क्यूबिक मीटर

⁴⁷ ₹ 16.50 / क्यूबिक मीटर



तापीय संयंत्र में, पानी के स्रोत से पानी को प्रारम्भ में बॉयलर में ले जाया जाता है। कोयले की सहायता से बॉयलर को गर्म किया जाता है। तापमान में वृद्धि से पानी को भाप में बदलने में मदद मिलती है। बॉयलर में उत्पन्न भाप को स्टीम टरबाइन के माध्यम से भेजा जाता है। टरबाइन में ब्लेड होती है, जो उच्च वेग की भाप के प्रवाहित होने पर घूमती है। टरबाइन ब्लेड के इस रोटेशन का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। एक जनरेटर स्टीम टरबाइन से जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमता है, तब विद्युत उत्पन्न होती है और जनरेटर द्वारा आउटपुट के रूप में प्रदान की जाती है, जो बाद में उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। विद्युत उत्पादन गृह की परिचालन क्षमता प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट की उपलब्धता, क्षमता उपयोग, आउटेजेज, सहायक खपत और तेल की खपत पर निर्भर करती है। इन पहलुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न होना

2.9.1 वर्ष के दौरान योजनाबद्ध आउटेजेज पर विचार करने के पश्चात सीएसईआरसी द्वारा वार्षिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

तालिका 2.3 अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान स्थापित क्षमता, निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को दर्शाती है।

तालिका 2.3: स्थापित क्षमता बनाम वास्तविक उत्पादन

⁴⁸ 31 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017

कम्पनी उच्च आउटेज दर होने के कारण उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिसके कारण 6,345.53 मिलियन यूनिट की उत्पादन में कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 6,345.53 मिलियन यूनिट की कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था। प्रबंधन⁴⁹ ने उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का प्रमुख कारण आउटेजों की उच्च दर बताया है जो उसके द्वारा पहचाने और प्रतिवेदित किये गये हैं जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

- आउटेज उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके लिए संयंत्र योजनाबद्ध/बाधित रखरखाव के लिए बंद रहा। कुल हानि हुए घंटे की संख्या 2016–17 में योजनाबद्ध आउटेज के कारण 275 घंटे से बढ़कर 2018–19 में 1,313.84 घंटे हो गई। 2016–19 की अवधि के दौरान अनिवार्य आउटेज 8.70 प्रतिशत और 60.43 प्रतिशत के बीच रहा। लेखापरीक्षा के दौरान आउटेज अधिक होने के मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं:

दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना

2.9.2 इकाई-1 के लिए टरबाइन बॉक्स अप फरवरी 2013 में पूरा हो गया था और इकाई-1 को तेल ईंधन के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था (20 दिसम्बर 2013)। उसके बाद, इकाई-1 को फिर से सिंक्रोनाइज किया गया और कोयला के साथ लोड को 500 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया (30 मार्च 2014)। दोनों अवसरों पर इकाई-1 टीजी शॉप्ट कम्पन के कारण ट्रिप हो गया और इकाई स्थिर अवस्था में नहीं आ पायी व्योंगी टरबाइन शॉप्ट के झुकने या मुड़ने की प्रवृत्ति के कारण वह लम्बे समय तक एक ही अवस्था में बने रहता है। क्रशर हाऊस में अग्नि दुर्घटना के कारण 14 जुलाई 2015 से 22 फरवरी 2016 के दौरान इकाई-1 का परिचालन नहीं किया जा सका और इसप्रकार 31 मार्च 2016 को सीओडी हो पाया। टरबाइन समस्या के कारण 14 मार्च 2016 से 2 मई 2016 की अवधि के दौरान इकाई-1, 18 बार ट्रिप हुई। मेसर्स भेल के साइट अभियंताओं ने अपने स्तर पर मामले को सुलझाने के कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे। इसलिए, मेसर्स भेल ने घोषणा की (28 अगस्त 2016) कि टरबाइन परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं था, अतः टरबाइन मरम्मत के लिए मेसर्स भेल, हरिद्वार को भेजा गया था (30 सितम्बर 2016) और 12 मार्च 2017 से वापस परिचालन में लाया जा सका। 2 मई 2016 से 12 मार्च 2017 (314 दिनों) की अवधि के दौरान इकाई-1 बंद रही। आगे, मेसर्स भेल द्वारा मरम्मत करने के बावजूद भी समस्या वैसी ही बनी रही और इकाई-1 को दिसम्बर 2018 तक छः अवसरों पर उक्त कारण से बंद करना पड़ा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि इकाई-1 मार्च 2016 से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (दिसम्बर 2018) तक 24 बार ट्रिप हुई। इस तरह के उच्च कम्पन के सटीक कारण का पता लगाने के लिए मेसर्स भेल और कम्पनी द्वारा कई अध्ययन किये गये, यद्यपि सटीक कारण का पता लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2019) तक नहीं लगाया जा सका जिससे यह संकेत मिलता है कि मेसर्स भेल ने एबीवीटीपीएस मड़वा में ₹ 89.94 करोड़ के दोषपूर्ण टरबाइन की आपूर्ति की और उसे स्थापित किया। टरबाइन में अंतर्निहित दोष के कारण कम्पनी को इकाई-1 के लोड को 150 मेगावाट से 416 मेगावाट के बीच सीमित रखना पड़ा और उसे 736.84 मिलियन यूनिट की आंशिक हानि के कारण ₹ 198.13 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी और इस प्रकार इकाई-1 के डिजाइन किये गये जीवनकाल में इसप्रकार की आंशिक हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

कम्पनी दिसम्बर 2013 में इकाई-1 के पहले सिंक्रोनाइजेशन के बाद से ही टरबाइन में उच्च कम्पन की समस्या से अवगत थी उसके बावजूद भी न तो उसने दोषपूर्ण

⁴⁹ कार्यपालन अभियंता (परिचालन), एबीवीटीपीएस, मड़वा

टरबाइन के प्रतिस्थापन के लिए मेसर्स भेल पर जोर दिया और न ही ऊर्जा विभाग (छत्तीसगढ़ शासन) के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाया। अनुबंध में मध्यस्थता के लिए प्रावधान होने के बाद भी कम्पनी ने मेसर्स भेल के विरुद्ध मध्यस्थता के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि टरबाइन जनरेटर शॉप्ट में पाये गये दोषों और उनके समाधान करने के लिए मेसर्स भेल को तुरंत अवगत कराया गया था। समस्या का समाधान न होने के कारण, कम्पनी ने समस्या का पता लगाने के लिए एचपी टरबाइन को भेल के हरिद्वार स्थित कारखाने भेजने का निर्णय लिया था। शासन ने पुनः कहा कि टरबाइन में कम्पन की समस्या का निदान कर लिया गया है (मार्च 2019)।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी को टरबाइन में कम्पन की समस्या के बारे में पहले सिंक्रोनाइजेशन (दिसम्बर 2013) के समय से ही पता था लेकिन उसने सीओडी तक तीन वर्ष में इसे ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। आगे, कम्पनी को टरबाइन में कम्पन की समस्या के कारण मार्च 2019 तक ₹ 1,256.67 करोड़⁵⁰ मूल्य की 4,654.35 मिलियन यूनिट⁵¹ की उत्पादन हानि वहन करनी पड़ी।

स्पेयर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर (जीटी) की अनुपलब्धता के कारण आउटेज

2.9.3 मेसर्स भेल, भोपाल ने एबीवीटीपीएस के लिए सात जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति की थी (अप्रैल 2013), जिसमें से इकाई-1 और इकाई-2 में छ: जीटी (प्रत्येक में तीन) लगाकर चालू किये गये। एक जीटी को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए स्पेयर (क्रम संख्या 6006970) में रखा गया गया था जिसे आवश्यकता पड़ने पर दोषपूर्ण जीटी के साथ बदला जा सके।

कम्पनी और मेसर्स भेल के संयुक्त सत्यापन करने पर (दिसम्बर 2015) स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) के कोर⁵² में अर्थिंग संबंधी समस्या पाई गई। उसे मेसर्स भेल को मरम्मत के लिए भेजा गया। इसी बीच, कम्पनी द्वारा डीसॉल्व गैस विश्लेषण (डीजीए) के लिए इकाई-2 के जीटी (क्रम संख्या 6006966) का परीक्षण किया गया (सितम्बर 2016) और नमूने में दहनशील गैसों की असामान्य उपस्थिति पायी गई जो किसी भी समय जीटी की विफलता का कारण बन सकती थी। चूंकि मरम्मत के बाद स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) वापस नहीं मिल पाया, इसलिए कम्पनी ने 10 नवम्बर 2016 से 17 नवम्बर 2016 तक इकाई-2 का शटडाउन लेकर 17 नवम्बर 2016 को इकाई-1 के जीटी के साथ दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966) को बदल दिया।

मेसर्स भेल ने जीटी (क्रम संख्या 6006970) को सुधार कर 20 महीने के अंतराल के बाद अगस्त 2017 में कम्पनी को वापस कर दिया। बाद में, दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966)⁵³ को स्पेयर जीटी (क्रम संख्या 6006970) के साथ बदलने के लिए 13 नवम्बर 2017 से 17 नवम्बर 2017 के बीच एक शटडाउन लेना प्रस्तावित किया गया और उसे 22 नवम्बर 2017 को बदल दिया गया।

⁵⁰ 4,654.35 मिलियन यूनिट × ₹ 2.70 प्रति यूनिट

⁵¹ 328 दिनों के लिए इकाई 1 बंद होने और सीमित लोड पर परिचालित होने के कारण क्रमशः 3,917.51 मिलियन यूनिट और 736.84 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि

⁵² कोर एक चुंबकीय सामग्री का टुकड़ा है जो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैग्नेटिक डिवाइस में चुंबकीयता क्षेत्र को दर्ज करने और मार्गदर्शन करने के लिए एक उच्च चुंबकीय पारगम्यता का उपयोग करता है।

⁵³ जिसे इकाई 2 से हटाने के बाद साइट पर मरम्मत करके इकाई 1 में स्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि 20 महीने की असामान्य देरी के बाद स्पेयर जीटी की मरम्मत की गई थी। यदि उचित समय के भीतर जीटी (क्रम संख्या 6006970) ठीक कर लिया जाता तो इकाई-2 के दोषपूर्ण जीटी (क्रम संख्या 6006966) को इकाई-1 के जीटी के साथ प्रतिस्थापन किये जाने के स्थान पर मरम्मत किए गए स्पेयर जीटी से बदला जा सकता था और बाद में 13 नवम्बर 2017 से 23 नवम्बर 2017 की अवधि के दौरान 231.22 घंटे के शटडाउन को टाला जा सकता था। यद्यपि, कम्पनी ऐसा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.23 करोड़⁵⁴ मूल्य की 115.683 मिलियन यूनिट की परिहार्य उत्पादन हानि हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी ने स्पेयर जीटी के दोषों को सुधारने के लिए मेसर्स भेल के साथ बहुत पत्राचार किया और बैठकें की थीं।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्पेयर जीटी में समस्या जनवरी 2016 में पाया गयी थी लेकिन कम्पनी ने मेसर्स भेल से आठ माह के बीत जाने के बाद स्पेयर जीटी की मरम्मत के लिए अनुरोध किया (24 अगस्त 2016)। अगर कम्पनी स्पेयर जीटी को कार्य करने की स्थिति में तैयार रखती, तो एक शटडाउन को टाला जा सकता था।

निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग

2.9.4 एबीवीटीपीएस की इकाई-2 की वार्षिक ओवरहॉलिंग (एओएच) 2017–18 के दौरान की गयी थी (15 फरवरी 2018 से 7 मार्च 2018)। इकाई-2 एओएच के पहले 2017–18 में 556 घंटे के लिए बंद रही (ट्रिपिंग की 16 घटनाएँ) और एओएच के बाद मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान 1,008 घंटे के लिए बंद रही (ट्रिपिंग की 27 घटनाएँ)। एओएच का मुख्य उद्देश्य ट्रिपिंग को कम करना और उत्पादन हानि को बचाना है। लेकिन वास्तव में एओएच के बाद, ट्रिपिंग की संख्या में 68.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भविष्य में ट्रिपिंग से बचने के लिए इकाइयों के परिचालन और रखरखाव में जरूरी सुधार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

आउटेज की उच्च दर रहने के परिणामस्वरूप मानदण्डों के विरुद्ध पर्यूल ऑयल की खपत, ऑंगजलरी पावर की खपत और स्टेशन हीट दर में भी वृद्धि होती है। जिसकी चर्चा आगे की गई है:

₹ 47.72 करोड़ मूल्य के पर्यूल ऑयल की निर्धारित मानदण्डों से अधिक खपत

2.9.5 तापीय विद्युत संयंत्रों में आरंभिक या इग्निशन ईंधन के रूप में हाई फर्नेस ऑयल (एचएफओ), एलडीओ (लाइट डीजल ऑयल) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का उपयोग किया जाता है। इकाई-1 और इकाई-2 के लिए सीएसईआरसी के अंतरिम टैरिफ (अप्रैल 2016) में 0.50 मिलिलीटर प्रति किलोवाट-घंटा (एमएल/केडब्ल्यूएच) पर ऑयल की खपत के लिए मानक निर्धारित किया गया था। निर्धारित मानकों के विरुद्ध, 2016–17 से 2018–19 के दौरान, औसत ऑयल की खपत 0.63 एमएल/केडब्ल्यूएच और 12.18 एमएल/केडब्ल्यूएच के बीच रही। एबीवीटीपीएस ने ₹ 47.72 करोड़ मूल्य के 11,989.35 किलोलीटर एचएफओ और एचएसडी की अधिक खपत की (जैसा कि अनुलग्नक 2.1 में विस्तार से दिया गया है)।

पावर की ऑंगजलरी खपत अधिक होना

2.9.6 पावर स्टेशनों द्वारा सामान्य सेवाओं के लिए अपने उपकरणों को चलाने के

⁵⁴ 115.683 मिलियन यूनिट अर्थात् 11,56,83,000 यूनिट × ₹ 2.70 प्रति यूनिट = ₹ 31,23,44,100

लिए खपत की जाने वाली ऊर्जा को ऑंगजलरी खपत कहा जाता है। सीएसईआरसी द्वारा अपने टैरिफ आदेश में एबीवीटीपीएस के लिए ऑंगजलरी खपत के लिए 5.25 प्रतिशत का मानदंड निर्धारित किया था (30 अप्रैल 2016)। 2016–17 से 2018–19 के बीच वास्तविक ऑंगजलरी खपत 5.24 प्रतिशत और 20.03 प्रतिशत के बीच थी। सीएसईआरसी के मानदंडों के संदर्भ में वहाँ 194.69 मिलियन यूनिट अधिक खपत की गयी, जिसे ग्रिड में प्रेषित कर ₹ 52.57 करोड़⁵⁵ का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता था।

स्टेशन हीट दर

2.9.7 थर्मल पावर स्टेशन की दक्षता का आंकलन करने के लिए स्टेशन हीट दर (एसएचआर) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। एक पावर प्लांट का हीट दर रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करने के लिए आपूर्ति की जानी चाहिए अर्थात् एक किलोवाट-घंटा की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उत्पादन के लिए किलोकैलोरी (केसीएएल) के रूप में हीट एनर्जी इनपुट की आवश्यकता से हैं। किसी भी स्टेशन का यह प्रयास होना चाहिए कि इकाई को उसके डिजाइन हीट दर के यथासंभव निकटतम परिचालित किया जाए।

सीएसईआरसी ने एबीवीटीपीएस की इकाई-1 और इकाई-2 के लिए अंतरिम टैरिफ आदेश को स्वीकृति देते हुए (30 अप्रैल 2016) 2,378 किलोकैलोरी/केडब्ल्यूएच का स्टेशन हीट दर निर्धारित किया था। 2016–17 के दौरान, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंड की तुलना में इकाई-1 और इकाई-2 का एसएचआर क्रमशः 2,708 और 2,593 किलोकैलोरी/केडब्ल्यूएच अधिक था। 2016–17 और 2017–18 के दौरान इकाई-1 और इकाई-2 में उच्च एसएचआर के परिणामस्वरूप 1.54 लाख मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई, जिसका मूल्य ₹ 37.69 करोड़ था (जैसा कि अनुलग्नक-2.2 में विस्तार से दिया गया है)।

डेवियेशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (डीएसएम) प्रभार का परिहार्य भुगतान – ₹ 10.07 करोड़

2.9.8 सीएसईआरसी के विनियम, 2014 की धारा 5 {डेवियेशन सेटलमेंट मैकेनिज्म (डीएसएम) और संबंधित मामले} बताती है कि विक्रेता नियमन में निर्दिष्ट दरों पर सभी समयखण्डों⁵⁶ के लिए पावर के इंजेक्ट करने में विचलन के लिए प्रभार⁵⁷ का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी ने डीएसएम प्रभार के रूप में ₹ 10.07 करोड़⁵⁸ का भुगतान किया क्योंकि वह मई 2016 से मार्च 2019 की अवधि में ग्रिड में निर्धारित ऊर्जा इंजेक्ट करने में विफल रही। जिसके परिणामस्वरूप उसने डीएसएम प्रभार के रूप में ₹ 10.07 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि टरबाइन शॉफ्ट में उच्च कम्पन, राख निकासी की समस्या, गुणवत्ताहीन या कोयले की कम आपूर्ति, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर में उत्सर्जित गैसों का उच्च प्रतिशत और ट्यूब रिसाव आदि उत्पादन कम होने के मुख्य कारण थे। शासन ने आगे कहा कि अनुबंध को समाप्त करने से पहले, मेसर्स भेल और मेसर्स बीजीआर के प्रति सभी देनदारियों का विश्लेषण

⁵⁵ 194.69 मिलियन यूनिट × 10,00,000 × ₹ 2.70 प्रति यूनिट सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित

⁵⁶ 15 मिनट के एक समयखण्ड का अर्थ है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा निर्दिष्ट विद्युतीय पैरामीटर और मात्राओं को दर्ज किया जाता है, पहला समयखण्ड 00:00 घंटे से प्रारम्भ होता है।

⁵⁷ विनियम में निर्दिष्ट दरों पर एक समयखण्ड की औसत आवृत्ति के आधार पर गणना की जाती है।

⁵⁸ अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक

किया जायेगा और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुशंसा:

कम्पनी को पीएलएफ में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोयले और ऑयल की खपत के संबंध में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए।

पर्यावरण संबंधी मामले

2.10 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थानीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। निर्माण और परिचालन संबंधी क्रियाओं के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों में वायु प्रदूषण (सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि), जल प्रदूषण (आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि), भूमि के उपजाऊपन में गिरावट (फ्लाई ऐश भंडारण के लिए भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करना) और ध्वनि प्रदूषण सम्मिलित हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार ने एबीवीटीपीएस को उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए पाँच साल की अवधि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की (फरवरी 2008) और जिसे पुनः अगले पाँच वर्ष के लिए अर्थात फरवरी 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया (मार्च 2016)। कम्पनी द्वारा ईसी की 35 शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक था, किन्तु जिनमें से 17 मामलों में शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ था, जिसका वर्णन **अनुलग्नक 2.3** में किया गया है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) के अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया जो यह दिखाता हो कि कम्पनी के विरुद्ध गैर-अनुपालन के लिए उसने कोई कार्यवाही की हो। कुछ प्रमुख गैर-अनुपालनों की चर्चा नीचे की गई है।

मानक से अधिक स्टैक उत्सर्जन होना

2.10.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने “पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986” में संशोधन किया (दिसम्बर 2015) और यह निर्धारित किया कि अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक (7 दिसम्बर 2015) से दो वर्षों के भीतर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए निर्धारित स्टैक उत्सर्जन मानकों को प्राप्त किया जाना चाहिए। उक्त अधिसूचना के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर स्टैक उत्सर्जन/परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 200 एमजी/एनएम³ के भीतर ही होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दो वर्ष बाद जनवरी 2018 से नवम्बर 2018 के दौरान, संयंत्र के अभिलेखों के अनुसार, 52 अवसरों पर सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर मानक से अधिक था जो 202.10 एमजी/एनएम³ और 246.15 एमजी/एनएम³ (1.05 प्रतिशत से 23.08 प्रतिशत) के बीच था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि 200 एमजी/एनएम³ के भीतर सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के लिए नया मानदंड दिसम्बर 2015 से लागू था। जैसा कि 2007–12 की अवधि के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन की कल्पना की गई थी, परियोजना के घटकों के डिजार्ड ऐरोमीटर को उक्त अवधि के दौरान लागू मानदंडों का ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था। शासन ने आगे कहा कि कम्पनी ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को मानदंडों के अंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी निर्धारित समय में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन स्तर को तय मानक के अंदर बनाए रखने में विफल रही। इसके अलावा, कम्पनी ने अधिसूचना जारी होने के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद एमओईएफ एंड सीसी के मानदंडों के अनुसार पयूल गैसों के उत्सर्जन मानक को प्राप्त

करने के लिए पर्यूल गैस विघटन प्रणाली की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की (मई 2019)।

ध्वनि प्रदूषण का अधिक होना

2.10.2 भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, “औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक दिन के समय⁵⁹ 75 डेसीबल⁶⁰ और रात के समय⁶¹ 70 डेसीबल में होगा”। सीईसीबी द्वारा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति में इस शर्त को भी सम्मिलित किया गया था (मई 2008)।

लेखापरीक्षा ने संयंत्र के अभिलेखों में पाया कि 12⁶² में से 7⁶³ स्थानों में ध्वनि का मासिक औसत स्तर स्टीम टरबाइन जनरेटर, अन्य घूर्णन उपकरण, दहन प्रेरित ध्वनि, प्रवाह प्रेरित ध्वनि और भाप सुरक्षा वाल्व के कारण पर्यावरण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानक से अधिक था। अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान एक दिन के लिए 75 डेसीबल की निर्धारित सीमा के मुकाबले यह 95.74 डेसीबल और 83.64 डेसीबल के बीच था। यद्यपि, कम्पनी ने रात में ध्वनि के स्तर को अभिलेखित नहीं किया। यह भी पाया गया कि कम्पनी के अन्य संयंत्र⁶⁴ में ध्वनि का स्तर मानक के भीतर था। उपरोक्त को प्राप्त करने लिए, उपकरण से ध्वनि उत्सर्जन स्रोत पर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए, ध्वनि के फैलाव को विकरित करने के लिए संयंत्र के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना चाहिए। यद्यपि, कम्पनी ने एमओईएफ एंड सीसी द्वारा निर्धारित (फरवरी 2008) 3.38 लाख⁶⁵ पौधों के मानदंडों के विरुद्ध 1.28 लाख पौधों लगाए।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि 14 मई 2019 की ध्वनि स्तर की निगरानी प्रतिवेदन के अनुसार एबीवीटीपीएस के 12 अलग—अलग चिन्हित स्थानों पर विभिन्न मापदंडों के अनुसार ध्वनि के स्तर को मापा गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा का निष्कर्ष कि कम्पनी ने रात में ध्वनि का स्तर अभिलेखित नहीं किया था, सही नहीं है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि में कम्पनी ने रात में ध्वनि के स्तर को अभिलेखित नहीं किया था। इसके अलावा, कम्पनी ने दिन के समय में ध्वनि प्रदूषण के अतिरिक्त स्तर के बारे में कुछ नहीं कहा।

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया

2.10.3 सीईसीबी ने मंजूरी देते समय (31 मार्च 2014) निर्देश दिया था कि “एक वर्ष के आंकड़ों (चारों मौसमों) को समाहित करते हुए एक ईआईए प्रतिवेदन संयंत्र प्रारंभ होने की तिथि से 15 महीने के भीतर सीईसीबी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।”

⁵⁹ दिन के समय से आशय सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक है।

⁶⁰ ए—भारित डेसीबल, जिसे डेसीबल के रूप में संक्षिप्त किया गया है, हवा में ध्वनियों के साक्षेप शोर की अभिव्यक्ति है जो मानव कान द्वारा महसूस होती है।

⁶¹ रात के समय से आशय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक है।

⁶² टरबाइन हाऊस, एयर कम्प्रेशर क्षेत्र, मिल क्षेत्र, ईएसपी क्षेत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट, बॉयलर हाऊस, क्रशर हाऊस, सीएचपी क्षेत्र, सीडब्ल्यू पम्प हाऊस, मुख्य द्वार, हॉस्पिटल और इनटेक पम्प हाऊस।

⁶³ टरबाइन हाऊस, एयर कम्प्रेशर क्षेत्र, मिल क्षेत्र, बॉयलर हाऊस, क्रशर हाऊस और कूलिंग वाटर पम्प हाऊस।

⁶⁴ कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन

⁶⁵ कुल संयंत्र क्षेत्र 225 हेक्टेयर × 1,500 पौधे प्रति हेक्टेयर = 3,37,500 पौधे

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्लांट के चालू होने के 30 महीने के बाद भी एबीवीटीपीएस ने कोई ईआईए प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। ईआईए प्रतिवेदन के अभाव में, संयंत्र के परिचालन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2019) कि एबीवीटीपीएस में पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के आंकलन के लिए निविदा सूचना आमंत्रण (एनआईटी) जारी की जा चुकी है (8 जुलाई 2019)।

एमओईएफ एण्ड सीसी के ऐश उपयोग मानदंडों का अनुपालन न करना

2.10.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत सरकार ने अधिसूचित किया (25 जनवरी 2016) कि कोयला या लिंगनाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र 31 दिसम्बर 2017 से पहले उनके द्वारा उत्पन्न फलाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के प्रावधान का अनुपालन करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओईएफ एण्ड सीसी के निर्देशों के अनुसार मार्च 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ऐश का उपयोग 100 प्रतिशत के विरुद्ध केवल 24.07 प्रतिशत था, क्योंकि भारी बाहनों के आवागमन के लिए प्लांट तक पहुँचने के लिए एप्रोच रोड पूरा नहीं हो पाया था तथा अधीक्षण अभियंता (सिविल-III), एबीवीटीपीएस द्वारा अपनी वेबसाइट पर फलाई ऐश की उपलब्धता संबंधित आंकड़ों को अपलोड न किया जाना था जिससे अपेक्षित उपयोगकर्ताओं को ऐश की उपलब्धता की जानकारी हो सके और वे ऐश की मांग और संग्रहण कर सके। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा नाममात्र लीज शुल्क पर भूमि का आबंटन, विद्युत खपत के शुल्क पर रियायत और उचित तकनीकि, प्रबंधकीय और विपणन सहायता जैसे कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे, जिससे कि कम्पनी की ऐश उपयोग क्षमता में सुधार हो सके, जैसा कि डीपीआर में परिकल्पित है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कम्पनी ने ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग संबंधी निर्देश के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है।

तथ्य यह है कि ऐश का उपयोग 100 प्रतिशत के विरुद्ध केवल 24.07 प्रतिशत था।

सेनोस्फेयर का आरक्षित मूल्य तय करने में विफलता

2.10.5 सेनोस्फेयर विद्युतगृहों में कोयले के दहन से उत्पन्न फ्यूल ऐश से निर्मित एक सह-उत्पाद है। सामान्य रूप से फलाई ऐश में सेनोस्फेयर का उत्पादन 0.2 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक होता है। यह प्लास्टिक घटकों के रूप में प्लास्टिसोल, थर्मोप्लास्टिक, लेटेक्स, पॉलिस्टर, एपॉक्सी, फिनोल रेजिन और यूरिथेन्स के लिए एक्सटेंडर के रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। सिंथेटिक फोम भी सेनोस्फेयर के साथ बनाया जाता है। यह सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री जैसे कोटिंग्स और कंपोजिट के लिए भी अनुकूल है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पादों में विस्तृत रूप से किया जाता है, जिसमें खेल उपकरण, इन्सुलेटर, ऑटोमोबाईल बॉडी, मेरीन क्राफ्ट बॉडी, पेन्ट और अग्नि और ऊषा संरक्षण उपकरणों को बनाने में किया जाता है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान, एबीवीटीपीएस ने 40.62 लाख मीट्रिक टन ऐश का उत्पादन किया था, जिसमें 8,124 मीट्रिक टन सेनोस्फेयर (0.2 प्रतिशत का न्यूनतम अनुमान मानते हुए) का योगदान होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी ने एबीवीटीपीएस के ऐश डाइक से सेनोस्फेयर के संग्रहण, प्रबंधन, प्रसंस्करण, परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से

ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग की जगह केवल 24.07 प्रतिशत उपयोग हो पाया।

कम्पनी ने सेनोस्फेयर का आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया जिसके कारण वह ₹ 11.67 करोड़ का राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

निपटान के लिए ठेकेदार⁶⁶ को कार्य आदेश जारी किया (22 नवम्बर 2017) जिससे कम्पनी को ₹ 3.18 लाख प्रतिवर्ष की आय हुई। सेनोस्फेयर के रूप में, जिसकी बाजार में उच्च मांग और मूल्य है और कम्पनी के लिए अधिक राजस्व अर्जित कर सकता था, के लिए आरक्षित मूल्य/मीट्रिक टन⁶⁷ निर्धारित होना चाहिए था। यदि कम्पनी द्वारा आरक्षित मूल्य तय करके अनुबंध करने का निर्णय किया जाता, तो वह ₹ 11.67 करोड़⁶⁸ का राजस्व अर्जित कर सकती थी। इसी प्रकार, कम्पनी अन्य संयंत्रों में भी आरक्षित मूल्य तय करने में असफल रही और 2016–17 से 2017–18 के दौरान डीएसपीएम, टीपीएस, कोरबा पूर्व ने ₹ 6.23 करोड़⁶⁹ के बजाय ₹ 6.26 लाख का राजस्व अर्जित किया और कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन, टीपीएस ने ₹ 6.16 करोड़⁷⁰ के बजाय ₹ 7.84 लाख का राजस्व अर्जित किया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भू-विस्थापितों द्वारा गठित सहकारी समिति को उनके लिए रोजगार सृजन हेतु सेनोस्फेयर संग्रहण का कार्य दिया गया था। शासन ने आगे कहा कि सेनोस्फेयर संग्रहण का कार्य ऐसी सहकारी समिति को दिया गया था जिन्होंने उच्चतम दर प्रस्तुत की थी।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने भू-विस्थापितों को मासिक भत्ते और रोजगार प्रदान किया था इसलिए, कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना सेनोस्फेयर के संग्रहण का कार्य प्रदान करना न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा आरक्षित मूल्य तय करने के अभाव में सहकारी समितियों से प्राप्त उच्चतम दर बहुत नाममात्र की थी।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होना

2.10.6 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत सीईसीबी द्वारा जारी (31 मार्च 2016) नवीनीकरण हेतु दी गई सहमति की शर्तों के अनुसार ‘उद्योग छ: महीने के भीतर आवश्यक रूप से घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना करेंगे’।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि एबीवीटीपीएस ने 30 महीने बीत जाने के बाद भी सीईसीबी की उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए आज दिनांक तक (मई 2019) कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट⁷¹ नहीं लगाया है। जिसके कारण कम्पनी के अभिलेखों में दर्ज नहीं थे।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आवासीय क्षेत्र में एसटीपी की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है।

अनुशंसा:

कम्पनी को पर्यावरण अधिनियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

⁶⁶ श्री हरिदास भू-विस्थापित जनकल्याण सेवा समिति, जरवे, जांजगीर-चाँपा

⁶⁷ कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन, तेलंगाना ने ₹ 14,360 प्रति मीट्रिक टन की दर से बेचा।

⁶⁸ ₹ 14,360 / मीट्रिक टन × 8,124 मीट्रिक टन

⁶⁹ 21,71,023 मीट्रिक टन का 0.2 प्रतिशत × ₹ 14,360 / मीट्रिक टन

⁷⁰ 21,47,070 मीट्रिक टन का 0.2 प्रतिशत × ₹ 14,360 / मीट्रिक टन

⁷¹ लागत ₹ 3.04 करोड़

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

2.11 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधकीय उपकरण है जिसका उपयोग उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए किया जाता है कि संगठन के उद्देश्यों को एक कुशल, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से प्राप्त किया जा रहा है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी तंत्र की कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

कार्य नियमावली तैयार न करना

2.11.1 कम्पनी का निगमन मई 2003 में किया गया था। कम्पनी ने अपने विद्युत गृहों में एबीवीटीपीएस सहित विभिन्न प्रकार के सिविल कार्य जैसे कि सड़के, पुलिया, उद्यान, आवासीय घरों का निर्माण और बीटीजी/बीओपी ठेकेदारों के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि कार्य क्रियान्वित किये। इस संबंध में यह पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी ने न तो अपनी कार्य नियमावली तैयार की और न ही उसने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), छत्तीसगढ़ शासन की नियमावली को अपनाया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने किसी व्यवधान पंजी का संधारण नहीं किया और उसी कारण से बीटीजी/बीओपी अनुबंध आज दिनांक तक समाप्त नहीं हो पाये।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कार्य नियमावली शीघ्र ही तैयार कर ली जाएगी।

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना

2.11.2 कम्पनी ने परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कराया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि 2009–10 से 2018–19, की अवधि के दौरान ₹ 6.62 करोड़ मूल्य के 56 कार्य स्थानीय प्रशासन, जांजगीर–चाँपा के माध्यम से क्रियान्वित किए गए, जिसके लिए अब तक कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2019)। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी स्थानीय प्रशासन को दिये गये कोष की उपयोगिता की स्थिति और कार्य प्रगति का आंकलन नहीं कर सकी।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि जिला प्राधिकारियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ₹ 2.77 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं।

तथ्य यह है कि ₹ 3.85 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

ऊर्जा लेखापरीक्षा न कराया जाना

2.11.3 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम), के प्रावधानों के अनुसार, सभी ऊर्जा आधारित उद्योगों को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी इकाइयों की लेखापरीक्षा करावाना चाहिए। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 28 अप्रैल 2010, को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक नामित उपभोक्ता को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के 18 महीनों के भीतर मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा पहली ऊर्जा लेखापरीक्षा करानी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि कम्पनी को सीओडी की तिथि से 18 महीने के अंदर अर्थात् सितम्बर 2017 तथा जनवरी 2018 तक इकाई-1 और इकाई-2 की ऊर्जा लेखापरीक्षा कराना था किन्तु इन दोनों इकाइयों की अभी तक (मार्च 2019) कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ऊर्जा लेखापरीक्षा के लाभों से वंचित रह गई तथा इसके अलावा उसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के

प्रावधानों का उल्लंघन भी किया गया।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि ऊर्जा लेखापरीक्षा कराने के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है (जुलाई 2019)।

तथ्य यह है कि इकाई-1 और इकाई-2 के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 में निर्धारित समय के भीतर आयोजित नहीं की गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर ही कम्पनी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कमज़ोर और अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

2.11.4 आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य है और इसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक इकाई के कामकाज का एक सतत और महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिसमें कम्पनी के समग्र शासन तंत्र को मजबूत करने लिए और मूल्य आधारित बनाने का सुझाव दिया जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी के पास अपना स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था और अभी तक इसने आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं की थी। कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा 2016–17 तक एबीवीटीपीएस की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई (अप्रैल 2017)। आंतरिक लेखापरीक्षा में डीपीआर तैयार करने, प्रमुख अनुबंधों की शर्तों और नियमों के अनुपालन, परियोजना के लिए धन की व्यवस्था, सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और परिचालन दक्षता जैसे परियोजना के मुख्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अवलोकन के लिए संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

सीओडी के बाद संयंत्र का बीमा नहीं कराया गया

2.11.5 बीमा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना और जोखिम को कम करना है। यह पाया (जनवरी 2019) कि इकाई-1 और इकाई-2 की सीओडी क्रमशः 31 मार्च 2016 और 31 जुलाई 2016 को की गयी परंतु संयंत्र का कोई बीमा नहीं कराया गया। यह मुख्य रूप से कम्पनी का प्राथमिक उत्तरदायित्व था कि वह संयंत्र का बीमा करवाये किंतु उसने पूर्ण संयंत्र का कोई बीमा कवरेज नहीं लिया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कम्पनी पहले ही 14 जुलाई 2015 को क्रशर हाऊस में बड़ी अग्नि दुर्घटना का सामना कर चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों इकाइयों की सुविधाओं/सीओडी को पूरा करने में निर्धारित समय से सात माह का विलंब हो गया था और इससे उसे 5,352 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि भी वहन करनी पड़ी थी। कम्पनी को अपने पिछले अनुभव से सबक सीखना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम अपने उत्पादन संयंत्रों का बीमा कराते हैं।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि शीघ्र ही अन्य संयंत्रों के साथ एबीवीटीपीएस का भी बीमा कराया जायेगा।

एसएपी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से परियोजना की निगरानी न करना

2.11.6 मुख्य अभियंता का कार्यालय, एनर्जी इन्फोटेक सेंटर⁷² (ईआईटीसी) एसएपी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से कम्पनी की वित्तीय, परिचालन और अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करता है। यद्यपि, एबीवीटीपीएस मड़वा में की गई निर्माण गतिविधियों पर एसएपी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कमियां पायी गई (जनवरी 2019):

- एसएपी एक लेन-देन आधारित सॉफ्टवेयर है और जिसके आधार पर सिस्टम में प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं। यद्यपि, एसएपी में कार्य प्रवाह मॉड्यूल लागू नहीं किया गया था। अतः, विक्रेता बिलिंग प्रक्रिया में अनुमोदन ठीक तरीके से नहीं लिए गए थे।
- एसएपी-ईआरपी प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि अनुबंधों के सभी नियमों और शर्तों के सत्यापन के बाद ही भुगतान किया गया था, इसके बजाय बिलों को मैन्युअल रूप से पारित किया गया था और यह बिल पारित करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता था कि वे अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करें।
- एसएपी-ईआरपी प्रणाली में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान नहीं था कि निर्धारित समय से परे कार्यों/आपूर्ति के पूरा होने में विलंब होने पर स्वचालित रूप से शास्ति काट ली जाए। यद्यपि, परियोजना को चालू होने में 44 महीने की देरी हुई थी लेकिन कम्पनी ने कोई शास्ति नहीं काटी।
- यदि कार्य के क्रियान्वयन/निष्पादन में कोई कमी रह गई हो तो निष्पादन आधारित दंड की निगरानी के लिए एसएपी-ईआरपी प्रणाली में जाँच की कोई व्यवस्था नहीं थी। कूलिंग टॉवर 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आउटलेट तापमान की गारंटी के अनुरूप निष्पादन करने में विफल रहा, यद्यपि कम्पनी ने कोई शास्ति नहीं लगायी।
- एसएपी प्रणाली में समय-समय पर बैंक गारंटी की वैधता की समीक्षा करने का प्रावधान नहीं था। यह देखा गया कि बैंक गारंटी (01310100003179) 30 सितम्बर 2017 को समाप्त हो गई थी, लेकिन 36 दिनों बाद इसे 6 नवम्बर 2017 को नवीनीकृत किया गया।
- एसएपी प्रणाली में अनुबंध समझौते में निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा जमा (एसडी) प्राप्त कर ली गई थी, की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- विक्रेता की बयाना जमा राशि को सुरक्षा जमा में परिवर्तन करने पर प्रतिबंध का एसएपी-ईआरपी प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं था कि अग्रिम सुरक्षा जमा की वसूली किए बिना कोई चल देयक पास नहीं किया जाए।

एसएपी-ईआरपी प्रणाली में उपरोक्त कमियां मुख्य रूप से कम्पनी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित करने में विफलता के कारण थी। यहाँ उचित कार्य प्रवाह मॉड्यूल के बिना मैन्युअल प्रणाली को लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एसएपी-ईआरपी प्रणाली में वे ही लेन-देन प्रदर्शित होते थे जिन्हें मैन्युअली दर्ज किया गया हो।

⁷² मुख्य अभियंता इस प्रभाग का प्रमुख है।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कर्मियों को दूर करने के लिए निकट भविष्य में उपयुक्त कार्य प्रवाह मॉड्यूल विकसित किया जायेगा।

अनुशंसा:

कम्पनी को एसएपी-ईआरपी प्रणाली के माध्यम से पूर्व क्रियान्वयन गतिविधियों, परियोजना के क्रियान्वयन, नियमों और शर्तों के अनुपालन से संबंधित अपने आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

- कम्पनी ने डीपीआर की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए भूमि की प्रकृति का आंकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया या भूमि के राजस्व अभिलेखों की जाँच नहीं की इसके कारण कम्पनी द्वारा अधिग्रहित कुल 1,728.73 एकड़ भूमि में से केवल 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) बंजर भूमि थी और शेष 1,444.96 एकड़ (83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। इसके परिणामस्वरूप 15 पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) मामले, भू-विस्थापितों का विरोध, हड्डताल, कामरोको, तालाबंदी जैसी घटनायें हुई जिससे परियोजना के कार्य में रुकावटें आईं।
- बीटीजी और बीओपी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंधित मूल्य का 95 / 90 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,600.42 करोड़ का अग्रिम भुगतान आपूर्ति को निर्माण कार्यों के साथ बिना लिंक किये किया गया था जिससे ठेकेदारों ने निर्माण कार्य पूरा करने में बहुत कम रुचि दिखाई जिसके परिणामस्वरूप कंडेनसर इरेक्सन, टीजी इरेक्सन, स्टीम ब्लोइंग गतिविधि, सीएचपी, एएचपी इत्यादि को पूर्ण करने में विलंब हुआ, निर्धारित तिथि तक केवल 36.82 प्रतिशत / 40.37 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हुआ था।
- एबीवीटीपीएस की इकाई-1 और इकाई-2 को 30 सितम्बर 2012 और 30 नवम्बर 2012 तक पूरा किया जाना था, यद्यपि अनुबंध के क्रियान्वयन, सामग्री की आपूर्ति, बीटीजी सिविल कार्य प्रदान करने और पूर्ण करने तथा बीओपी कार्य पूर्ण करने में विलंब के कारण यह क्रमशः 42 और 44 महीने के विलंब के साथ 31 मार्च 2016 और 31 जुलाई 2016 को पूरा किया गया।
- संयंत्र के चालू होने में विलंब होने के कारण 16,440.07 मिलियन यूनिट की संभावित उत्पादन हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 4,438.82 करोड़ था, कम्पनी पीएफसी ऋण पर मिलने वाली ₹ 17.95 करोड़ की ब्याज की छूट से वचित हो गई और ऋण पर निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, बीटीजी और बीओपी कार्य की लागत, भूमि अधिग्रहण की लागत और पुनर्वास और पुनर्स्थापन व्यय में वृद्धि के कारण ₹ 3,772.67 करोड़ की लागत अधिवृद्धि हुई।
- कम्पनी द्वारा अनुबंधों को समाप्त नहीं करने के कारण वह चूककर्ता ठेकेदारों से ₹ 339.31 करोड़ की परिसमापन क्षति की वसूली नहीं कर सकी।
- विद्युत संयंत्र की दोनों इकाइयों के चालू होने के बाद भी कम्पनी कम से कम 850 मेगावाट (85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर) प्रति घंटा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही, यह केवल 575 मेगावाट प्रति घंटा का ही उत्पादन कर सकी। तदानुसार, कम्पनी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और 6,345.53 मिलियन यूनिट के विद्युत उत्पादन की कमी रही जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था। खराब परिचालनात्मक निष्पादन के मुख्य कारणों में दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, स्पेयर जीटी की अनुपलब्धता और निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग के कारण आऊटेज की उच्च दर थी, साथ-साथ सीएसईआरसी मानदंडों के विरुद्ध

ईंधन, ऑग्जलरी खपत और कोयले की अधिक खपत जिसके कारण ₹ 85.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- पर्यावरण अधिनियमों, विनियमों और मानदंडों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट स्टेक उत्सर्जन स्तर, ध्वनि स्तर और ऐश के निपटान संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।
- पर्याप्त जनशक्ति होने के बाद भी, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र की कमी रही जिसके कारण कार्य नियमावली तैयार नहीं की जा सकी, ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालित नहीं हो पाई, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी रही, संयंत्र का बीमा नहीं कराया जा सका और एसएपी-ईआरपी प्रणाली में भी कमी पाई गई।

भाग-2

अध्याय-३

भाग—2

अध्याय—3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

प्रस्तावना

3.1 31 मार्च 2018 को 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1981–82 एवं 2017–18 के मध्य निर्गमित थे एवं इनमें 20 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम समिलित थे एवं तीन अकार्यशील कम्पनियाँ अर्थात् छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएसपीजीसीएल ईईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड एवं सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड, जिन्होंने 2017–18 तक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया था। इस वर्ष तीन नई कम्पनियाँ अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य इनफारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड, अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड¹ एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन हुआ।

राज्य के कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में से 13 पीएसयूज का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन (**अनुलग्नक—3.1**) में समिलित है एवं इन पीएसयूज का स्वरूप तालिका—3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका—3.1: इस प्रतिवेदन में समिलित पीएसयूज की व्याप्ति एवं स्वरूप

पीएसयूज का स्वरूप	पीएसयूज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में समिलित पीएसयूज की संख्या			योग	प्रतिवेदन में समिलित नहीं किए गए पीएसयूज की संख्या		
		तक के लेखें		2017–18				
		2015–16	2016–17					
सरकारी कम्पनियाँ	20	07	05	—	12	08		
सांविधिक निगम	01	01	—	—	01	—		
योग	21	08	05	—	13	08		

इस प्रतिवेदन में वैसे आठ पीएसयूज जिनके लेखें तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर—कार्यशील / परिसमापन के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो या बकाया न हो या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो, समिलित नहीं किए गए हैं जैसा कि **अनुलग्नक—3.2** में दर्शाया है।

राज्य सरकार समय—समय पर राज्य पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अनुदान / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 13 राज्य पीएसयूज (जो इस प्रतिवेदन में समिलित हैं) में से 10^2 राज्य पीएसयूज में पूँजी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने चार राज्य पीएसयूज³ जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर—कार्यशील / परिसमापन के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो

¹ इस वर्ष एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, रायपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड का नाम बदलकर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड हो गया है।

² **अनुलग्नक—3.1** के स. क्र. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एवं 12 पर उल्लेखित पीएसयूज।

³ **अनुलग्नक—3.2** के स. क्र. 1, 2, 4 एवं 5 पर उल्लेखित पीएसयूज।

या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो में भी पूँजी का निवेश किया। राज्य शासन ने ऐसी सात कम्पनियों, जो उपरोक्त राज्य पीएसयूज के संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियाँ हैं, में कोई पूँजी नहीं लगाई है। इन सात⁴ कम्पनियों की पूँजी में संबंधित सहभागी/होल्डिंग कम्पनियाँ द्वारा योगदान दिया गया।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

3.2 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण तालिका-3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18 (₹ करोड़ में)
टर्नओवर	7,924.14	8,687.38	8,778.13
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	-12.61	9.63	1.04
छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी	2,34,212	2,62,263	2,91,681
विगत वर्ष की जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	5.91	11.98	11.22
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	3.38	3.31	3.01

(स्रोत: कार्यशील पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों एवं छत्तीसगढ़ शासन की 2017–18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित)

2015–16 में इन पीएसयूज के टर्नओवर में 12.61 प्रतिशत की कमी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के टर्नओवर में कमी के कारण थी। इसके अतिरिक्त, टर्नओवर में वृद्धि हुई एवं 2016–17 में यह 9.63 प्रतिशत रही। हॉलांकि वर्ष 2017–18 की अवधि में टर्नओवर में 1.04 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि हुई। 2015–16 और 2017–18 की अवधि के बीच, टर्नओवर (-) 12.61 प्रतिशत एवं 9.63 प्रतिशत के बीच रहा जबकि इसी अवधि में राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि 5.91 प्रतिशत एवं 11.98 प्रतिशत के बीच रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁵ 7.59 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समयावधियों के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 7.59 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध इस अवधि में गैर-ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 3.47 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 3.38 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 3.01 प्रतिशत रह गयी।

⁴ अनुलग्नक-3.1 में स. क्र. 9, 10 एवं 13 पर उल्लेखित पीएसयूज एवं अनुलग्नक-3.2 में स. क्र. 3, 6, 7 एवं 8 पर उल्लेखित पीएसयूज।

⁵ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर $[(2017-18 \text{ की राशि} / 2015-16 \text{ की राशि})^{(1/3)} - 1] * 100$

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

3.3 31 मार्च 2018 तक, 13 राज्य पीएसयूज⁶ जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के निवेश का विवरण अनुलग्नक-3.3 में विवरणित है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज को निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा गया है :

1. पीएसयूज जो खुली बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकार प्राप्त पीएसयूज): छत्तीसगढ़ में, 13 कार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज को रखा गया है क्योंकि इनका संचालन का स्वरूप एकाधिकार/अल्पधिकारी का है अर्थात् इनके संचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत ही सीमित प्रतिस्पर्धा है।
2. निश्चित आय वाली पीएसयूज: इस वर्ग में ऐसे पीएसयूज सम्मिलित हैं जिनकी आय के बृहद भाग निश्चित आय के स्त्रोतों से प्राप्त होती है जैसे सरकारी अनुदान/सब्सिडी, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि। इस वर्ग में नौ पीएसयूज को रखा गया है।
3. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज: इस वर्ग में दो पीएसयूज को रखा गया है जो प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यवसाय करते हैं।

3.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश तालिका –3.3 में दिया है।

तालिका— 3.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश						कुल	
		पूँजी			दीर्घावधि ऋण				
		राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य ⁷	राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य ⁷		
एकाधिकार प्राप्त पीएसयूज	2	25.88	0.92	—	—	—	—	26.80	
निश्चित आय वाली पीएसयूज	9	22.30	—	2.22	159.57	—	223.32	407.41	
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज	2	1.00	—	4.90	179.32 ⁸	—	7.48	192.70	
कुल (इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज)	13	49.18	0.92	7.12	338.89	—	230.80	626.91	
पीएसयूज जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हैं	8	31.35	—	129.30	—	—	233.98	394.63	
कुल योग	21	80.53	0.92	136.42	338.89	—	464.78	1,021.54	

(स्त्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखों एवं ऋणों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2018 को, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 13 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य⁹ ₹ 626.91 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी

⁶ इसमें ऐसे पीएसयूज, जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर-कार्यशील/परिसमाप्त के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो या बकाया न हो या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो, सम्मिलित नहीं है।

⁷ अन्य में होल्डिंग कम्पनियाँ, वित्तीय संस्थानों, बैंकों द्वारा निवेश सम्मिलित है।

⁸ ऋण की राशि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हुई है इसलिए इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश माना गया है।

⁹ पूँजी की वास्तविक कीमत जो अंशधारकों द्वारा भुगतान की गयी।

9.13 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 90.87 प्रतिशत थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों के 54.49 प्रतिशत (₹ 338.89 करोड़) थें जबकी कुल दीर्घावधि ऋणों का 40.51 प्रतिशत (₹ 230.80 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (₹ 52.08 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (₹ 171.24 करोड़) एवं संबंधित होल्डिंग कम्पनियों (₹ 7.48 करोड़) से प्राप्त किया गया।

इस प्रतिवेदन में समिलित 13 राज्य पीएसयूज में निवेश 2015–16 के ₹ 278.96 करोड़ से 124.73 प्रतिशत बढ़कर 2017–18 में ₹ 626.91 करोड़ हो गया। निवेश में वृद्धि का मुख्य कारण 2015–16 से 2017–18 के दौरान दीर्घावधि ऋणों में ₹ 343.85 करोड़ की वृद्धि थी।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

3.5 वर्ष 2017–18 की अवधि में, राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य पीएसयूज में विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

3.6 छत्तीसगढ़ शासन राज्य पीएसयूज को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों में पीएसयूज को वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं ऋण का पूँजी में परिवर्तन के रूप में बजटीय सहायता का संक्षिप्त विवरण तालिका-3.4 में दिया गया है।

तालिका- 3.4: वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता का विवरण


विवरण ¹⁰	2015–16		2016–17		2017–18	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की निकासी (अ)	—	0.00	1	4.00	—	—
दिये गये ऋण (ब)	2	31.00	1	81.86	1	2.81
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (स)	7	2,129.38	9	2,883.71	9	3,292.31
कुल निकासी (अ+ब+स)	8	2,160.38	11	2,969.57	10	3,295.12
ऋण का भुगतान/अपलेखन	—	0.00	—	0.00	—	0.00
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	—	0.00	—	0.00	—	0.00
बकाया गारंटी	1	26.63	1	12.00	1	8.50
गारंटी प्रतिबद्धता	1	26.00	1	32.50	1	32.50

(स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी, ऋणों एवं गारंटियों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता व्यय का विवरण चार्ट-3.1 में दिया गया है।

¹⁰ वर्णित राशि केवल राज्य सरकार के बजट से निकासी को दर्शाती है।

चार्ट-3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 2,160.38 करोड़ एवं ₹ 3,295.12 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017–18 की अवधि में प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 3,295.12 करोड़ में से ₹ 2,81 करोड़ ऋण एवं ₹ 3,292.31 करोड़ अनुदान/सब्सिडी के रूप में थे। अनुदान/सब्सिडी का वृहद हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 2,241.92 करोड़) को जनता को रियायती दरों पर खाद्यन्न प्रदान करने एवं छत्तीसगढ़ सङ्क विकास निगम लिमिटेड (₹ 853.53 करोड़) सङ्क निर्माण परियोजनाओं के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को (₹ 40.66 करोड़) औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को (₹ 44.72 करोड़) कृषि बीज/कीटनाशक/उपकरणों के क्रय एवं वितरण के लिए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को (₹ 20.16 करोड़) खनिज अन्वेषण कार्य के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस गृह निगम लिमिटेड को (₹ 79.82 करोड़) पुलिस थाना/क्वार्टर के निर्माण के लिए जिसमें ₹ 5.50 करोड़ स्थापना अनुदान था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को (₹ 0.96 करोड़) वृक्षारोपण कार्य के लिए तथा छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 0.54 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 10 करोड़) को स्थापना व्यय मद में, भी अनुदान/सब्सिडी दी गयी।

छत्तीसगढ़ शासन, राज्य के पीएसयूज को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियमावली (सीएसजीजीआर) 2003 के अन्तर्गत, गारंटी प्रदान करता है। सीएसजीजीआर 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत, पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋण के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऋण लेने वाली संस्थाओं पर एक निश्चित दर से गारंटी शुल्क भारित की जाती है, जिसकी निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि अनुदान आदेश में निर्दिष्ट होती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धता वर्ष 2017–18 में ₹ 32.50 करोड़ थी। वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएसयूज द्वारा कोई गारंटी भुगतान नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन

3.7 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से संबंधित आंकड़ों का छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। यदि उक्त आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे संबंधित स्थिति तालिका-3.5 में दर्शित है।

तालिका—3.5: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया राशि	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
पूँजी	47.78	80.53	32.75 ¹¹
ऋण	159.57	338.89	179.32 ¹²
गारंटी	835.31	832.50	2.81

(स्त्रोत: पीएसयूज एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया, उनमें से सात पीएसयूज में सदृश अंतर पाये गये जैसा अनुलग्नक—3.4 में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अन्तर विगत कई वर्षों से निरतरं आ रहे हैं। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय—समय पर उठाया गया है। सर्वाधिक अंतर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (पूँजी: ₹ 19.18 करोड़¹³), छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (पूँजी: ₹ 21.50 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (पूँजी: ₹ 9.50 करोड़¹⁴), छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (ऋण: ₹ 179.32 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम लिमिटेड (पूँजी: ₹ 1.52 करोड़) में अवलोकीत हुए। इसलिए लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

3.8 31 मार्च 2018 को, सीएजी के अधिकार क्षेत्र के अधीन कुल 21 राज्य पीएसयूज में से 18 कार्यरत पीएसयूज अर्थात् 17 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम और तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) थे। राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समयबद्धता की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है।

राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

3.8.1 वर्ष 2017–18 के लेखे सभी कार्यशील पीएसयूज द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक अन्तिमीकृत किए जाने थे। 17 सरकारी कम्पनियों में से आठ सरकारी कम्पनियों ने अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये जबकि नौ सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। वर्ष 2017–18 के लिए

¹¹ आंकड़ों में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (सीएमडीएफ) से छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल) को दिए गए ₹ 21.50 करोड़ सम्मिलित है जबकि उक्त राशि सीआरसीएल के लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश के रूप में दिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों में छत्तीसगढ़ इंफोटेक संवर्धन सोसायटी (चिप्स) से छत्तीसगढ़ राज्य इनफारमेशन इनफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड (सीएसआईआईसी) को दिये गये ₹ 0.05 करोड़ सम्मिलित हैं, जबकि उक्त राशि सीएसआईआईसी के लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश के रूप में दिखायी गयी है।

¹² उक्त राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीएमडीएफ से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिये गये ₹ 179.32 करोड़ के ऋण से संबंधित है एवं जिसे सीएमडीसी के लेखों में सीएमडीएफ से ऋण के रूप में दिखाया गया है।

¹³ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की पूँजी की राशि में अन्तर का कारण, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 7 जनवरी 2008 के आधार पर ₹ 20.11 करोड़ के ऋणों का पूँजी में रुपान्तरण है जिसका वित्त लेखे में लेखांकन नहीं किया गया है।

¹⁴ पूँजी की राशि में ₹ 9.50 करोड़ का अंतर सीएसआईडीसी द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश वित्तीय विकास निगम (जिसका राज्य के विभाजन के पश्चात सीएसआईडीसी में विलय कर दिया गया) की पूँजी को अपने लेखों में संचय एवं आधिकाय में रखने के कारण है।

एक कार्यशील सांविधिक निगम के लेखे लेखापरीक्षा हेतु समय पर प्रस्तुत किए गए। तीन गैर-कार्यशील राज्य पीएसयूज में से दो पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 के लिए लेखे प्रस्तुत किए एवं एक पीएसयू के लेखे बकाया थे।

31 दिसम्बर 2018 को कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका-3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका- 3.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगम		
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31.03.2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा अधिकार के अन्तर्गत पीएसयूज की कुल संख्या	20 ¹⁵	1	21
घटाया – नई पीएसयूज जिनके 2017–18 के लेखे बकाया थे	—	—	—
पीएसयूज जिनके लेखे 2017–18 के लिए बकाया थे	20	1	21
पीएसयूज की संख्या जिन्होंने सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु 31 दिसम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए	10	1	11
बकाया लेखों की संख्या	16 ¹⁶	—	16
बकाया का विच्छेदन	(i) परिसमापन के अधीन	—	—
	(ii) गैर-कार्यरत	1	—
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किया	2	—
	(iv) अन्य	13	—
अन्य वर्ग के बकाया का आयुवार विश्लेषण	एक वर्ष (2017–18)	5	5
	दो वर्ष (2016–17) एवं (2017–18)	1	—
	तीन वर्ष एवं अधिक	7	—

इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिमीकृत एवं अंगीकृत किए जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में निरन्तर सूचित किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन ने 10 राज्य पीएसयूज, जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत नहीं हुए थे, में से पाँच को ₹ 2,597.28 करोड़ (अनुदान: ₹ 302.43 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 2,294.85 करोड़) प्रदान किये जबकि शेष पाँच पीएसयूज में उस अवधि में जिनमें लेखे बकाया थे, कोई निवेश नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा लेखों के बकाया अवधि में किये गये निवेश का पीएसयूजवार विवरण **अनुलग्नक-3.5** में दर्शाया गया है।

शेष पाँच पीएसयूज में लेखों के अंतिमीकरण एवं उनके उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्ययों का उचित रूप से लेखांकन किया गया एवं निधि का उपयोग उसी प्रायोजन के लिये किया गया जिसके लिये उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

¹⁵ आंकड़ों में तीन अकार्यशील पीएसयूज सम्मिलित हैं।

¹⁶ आंकड़ों में 2017–18 के लिए एक गैर-कार्यशील पीएसयू का एक लेखा सम्मिलित है।

गैर कार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

3.9 31 मार्च 2018 को तीन राज्य पीएसयूज जो गैर कार्यरत¹⁷ कम्पनियाँ थीं, का कुल निवेश ₹ 338.68 करोड़ जिसमें मुख्यतः पूँजी (₹ 104.70 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 233.98 करोड़) था, जिसमें छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (पूँजी: ₹ 21.94 करोड़), सीएसपीजीसीएल ईल पारसा कोलियरीज लिमिटेड (पूँजी: ₹ 0.16 करोड़, ऋण: ₹ 2.27 करोड़) एवं सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (पूँजी: ₹ 82.60 करोड़, ऋण: ₹ 231.71 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में गैर कार्यरत पीएसयूज की संख्या तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका—3.7: गैर कार्यरत राज्य पीएसयूज

विवरण	2015–16	2016–17	2017–18
गैर कार्यरत पीएसयूज की संख्या	—	03	03
उपर्युक्त में से ऐसे पीएसयूज की संख्या जो परिसमापन के अधीन थे	—	—	—

(स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज), छत्तीसगढ़ शासन एवं अनुलग्नक 3.2 में सम्मिलित जानकारी से संकलित)

दो वर्षों से तीन गैर कार्यरत पीएसयूज के सम्बन्ध में इन पीएसयूज के समापन के संबंध में उपर्युक्त निर्णय सरकार ले सकती है।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

3.10 जैसा कि कंडिका 3.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त लेखों की बकाया की स्थिति को वर्ष 2017–18 के लिए, राज्य की जीडीपी में राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का वास्तविक योगदान और अर्जित लाभ/की हुई हानि को शामिल करते हुए उसकी लाभदायकता का आकलन नहीं किया जा सका तथा उनके राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं गया।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। शासन को भी पीएसयूज द्वारा लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

3.11 इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिए गये अद्यतन लेखों¹⁸ के अनुसार 13 पीएसयूज को शामिल किया गया है जैसा कि वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम को अनुलग्नक—3.1 में दिया गया है।

पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार के इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार और अन्य की कुल निवेश ₹ 626.91 करोड़ जिसमें ₹ 57.22 करोड़ पूँजी के रूप में तथा ₹ 569.69 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल 13 पीएसयूज की थी। इनमें से 10 राज्य पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन का निवेश ₹ 388.07 करोड़ है जिसमें पूँजी के रूप में


¹⁷ तीन राज्य पीएसयूज जिनके कोल ब्लॉक रद्द करने के कारण गैर कार्यरत थे।

¹⁸ वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखें।

₹ 49.18 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 338.89 करोड़ सम्मिलित हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति चार्ट–3.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट–3.2: पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में छत्तीसगढ़ शासन का कुल निवेश




कम्पनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि के संबंधित पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है और कुल निवेश के लाभ को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जिसकी गणना करों के पश्चात् के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदायकता एवं उसी दक्षता को उसके उपयोग की गयी कार्यरत पूँजी से मापता है और जिसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

3.12 निवेश पर प्रतिफल जो लाभ एवं हानि का कुल निवेश का प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान 13 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ /उठायी गयी हानियों¹⁹ की समग्र स्थिति को चार्ट–3.3 में दर्शाया गया है।

¹⁹ आंकड़े संबंधित वर्ष के अद्यतन अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

चार्ट-3.3: वर्षों के दौरान कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/उठायी गयी हानियाँ



इन कार्यरत पीएसयूज में अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 120.76 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 93.85 करोड़ रह गया। इन कार्यरत राज्य पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 10 पीएसयूज ने ₹ 94.28 करोड़ लाभ अर्जित किया तथा तीन पीएसयूज ने ₹ 0.43 करोड़ की हानि उठायी जैसा कि **अनुलग्नक-1.3** में दर्शाया गया है।

3.12.1 2015–16 में आठ पीएसयूज की तुलना में 2017–18 में लाभ अर्जित करने वाले कुल 10 पीएसयूज²⁰ थे। इन पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 122.35 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 94.28 करोड़ हो गया था। इससे, इन 10 पीएसयूज का पूँजी का प्रतिफल (आरओई) 2015–16 में आठ पीएसयूज की 18.14 प्रतिशत की तुलना में 2017–18 में घटकर 7.97 प्रतिशत रह गया। सभी 13 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) जिसमें हानि उठाने वाली तथा शून्य लाभ कमाने वाली कम्पनियों को शामिल करते हुए पूँजी पर प्रतिफल 2017–18 में 15.60 प्रतिशत था।

वर्ष 2017–18 के दौरान पीएसयूज का क्षेत्रवार लाभ का विवरण तालिका-3.8 में सारांशकृत किया गया है।

तालिका-3.8: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभप्रदायकता

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज की संख्या	करों के पश्चात् लाभ (₹ करोड़ में)	करों के पश्चात् कुल लाभ पर लाभ का प्रतिशत
एकाधिकार क्षेत्र में पीएसयूज	2	20.94	22.21
निश्चित आय वाली पीएसयूज	6	70.87	75.17
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज	2	2.47	2.62
कुल	10	94.28	

(स्त्रोत: पीएसयूज की अद्यतन अंतिमीकृत हुए वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया है कि 13 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने लाभ

²⁰ 2016–17 से दो पीएसयूज जैसे— केसीएल और सीएमडीसी के अर्जित लाभ के आंकड़े शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 2016–17 में निगमित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं 2017–18 में निगमित अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड में प्रारम्भ से लगातार हानि रही है।

(₹ 91.81 करोड़) 97.38 प्रतिशत अर्जित किया जो कि एकाधिकार का लाभ प्राप्त होने से अथवा बजटीय सहायता, सेन्ट्रेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त होने वाली निश्चित आय थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा की दृष्टि में इन पीएसयूज की स्थिरता राज्य पर निर्भर है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली पीएसयूज में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 33.88 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 25.91 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 16.20 करोड़) थीं जबकि तीन²¹ राज्य पीएसयूज को ₹ 0.43 करोड़ की मामूली हानि उठानी पड़ी थी।

31 मार्च 2018 की स्थिति पर इस प्रतिवेदन में शामिल 13 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), की 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान अर्जित लाभ/उठायी गयी हानि, की स्थिति को तालिका-3.8.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.8.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/उठायी गयी हानि की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली ²² / शून्य लाभ/हानि थी
2015-16	11	8	2	1
2016-17	12	10	2	--
2017-18	13	10	3	--

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक निवेश पर प्रतिफल

3.13 10 राज्य पीएसयूज जिसमें राज्य सरकार द्वारा निधियाँ निवेश की गयी थीं, इन पीएसयूज की लाभदायकता का मूल्यांकन करने के लिए आय का एक विश्लेषण किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इस तरह, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए धन का वर्तमान मूल्य मान लेने के पश्चात् निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। इन कम्पनियों में 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना की गयी जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/विफल ऋण एवं पूँजी अनुदान के रूप में धन का निवेश किया गया था। 2008–09 से 2017–18 अवधि के दौरान, निवेश पर प्रतिफल इन पीएसयूज में धनात्मक था। इस प्रकार इन वर्षों के निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है एवं इसे वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेश की धनराशि पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्न अवधारणाओं से की गई है:

- ऋण को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन के निवेश के रूप में माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में वर्तमान मूल्य की गणना पूर्ण अवधि के द्वौरान ऋण के घटे हुए शेषों पर की गयी है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध किये गये धन को पूँजीगत अनुदान के अलावा निवेश नहीं माना

²¹ सीआरडीसीएल, आरएससीएल तथा एएनएससीएल

²² ऐसी पीएसयूज जिसकी अर्जित लाभ/हानि ₹ एक लाख से कम है।

गया है चूंकि वे निवेश के रूप में माना जाने योग्य नहीं हैं जैसा कि कंडिका 3.6 में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।

- वर्तमान मूल्य की गणना के लिए छूट दर संबंधित वित्तीय वर्ष²³ के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को ब्याज के रूप में अपनाया गया है क्योंकि वह सरकार द्वारा किये गये धन के निवेश को वर्ष के दौरान लागत को दर्शाता है तथा इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया गया है।

3.14 10 राज्य पीएसयूज में 2008–09 से 2017–18 की अवधि के लिए पूँजी, ब्याज मुक्त/विफल ऋण एवं पूँजी अनुदान के रूप में ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के धन निवेश की पीएसयूवार स्थिति **अनुलग्नक-3.6 में दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त, समान अवधि के लिए इन पीएसयूज में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को तालिका-3.9 में दर्शाया गया है।**

तालिका –3.9: 2007–08 से 2017–18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	वर्ष के शुरूवात में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी	वर्ष ²⁴ के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण एवं पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार की उधारी पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश पर वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	(₹ करोड़ में) वर्ष ²⁵ के दौरान कुल आय
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1 + vi)/100}	ix={vii*vi)/100}	X
2007–08 तक	—	15.19	21.11	36.30	—	53.26	57.51	—	—
2008–09	57.51	20.11	−20.11 ²⁶	0.00	7.36	57.51	61.74	4.23	40.22
2009–10	61.74	0.00	0.00	0.00	7.13	61.74	66.14	4.40	40.29
2010–11	66.14	3.53	8.92	12.45	7.34	78.59	84.36	5.77	17.24
2011–12	84.36	2.00	0.00	2.00	7.08	86.36	92.48	6.11	28.14
2012–13	92.48	2.00	0.00	2.00	6.34	94.48	100.47	5.99	5.31
2013–14	100.47	1.00	0.00	1.00	6.12	101.47	107.68	6.21	69.47
2014–15	107.68	5.35	0.45	5.80	6.16	113.48	120.47	6.99	99.12
2015–16	120.47	0.00	81.05	81.05	6.25	201.52	214.11	12.59	120.76
2016–17	214.11	0.00	18.02	18.02	6.62	232.13	247.50	15.37	76.47
2017–18	247.50	0.00	20.16	20.16	6.38	267.66	284.74	17.08	93.95
कुल	49.18	129.60	178.78						

²³ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (छत्तीसगढ़ शासन) पर भारत के सीएजी का प्रतिवेदन जिसमें ब्याज के भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज का भुगतान / [(पिछले वर्ष की धनराशि पर राजकोषीय देयताएँ) / 2] * 100, से अपनाई गयी थी।

²⁴ इस कॉलम में दर्शाये गये ऋण के ऋणात्मक आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार को ऋणों का पुनर्भुगतान दर्शाता है।

²⁵ वर्ष के दौरान कुल आय उन 10 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था, की संबंधित वर्ष की शुद्ध आय (लाभ/हानि) के कुल योग को दर्शाता है। किसी कारण यदि किसी पीएसयू के वार्षिक लेखे किसी वर्ष लिखित है तब संबंधित पीएसयू की उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) अद्यतन अंकेक्षित लेखों से लिया गया है।

²⁶ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की ₹ 20.11 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण को बजटीय सहायता के रूप में पूँजी में परिवर्तित करने वाले आंकड़े से सम्बंधित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2007–08 में ₹ 36.30 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 178.78 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2008–09 से 2017–18 की अवधि के बीच पूँजी (₹ 33.99 करोड़) एवं ऋण/पूँजी अनुदान (₹ 108.49 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी निधियों का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 तक ₹ 284.74 करोड़ था। वर्ष 2008–09 से 2017–18 अवधि के बीच, इन पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश की गयी निधियों की लागत वसूली करने के लिए इन कम्पनियों ने पर्याप्त लाभ (2012–13 को छोड़कर) अर्जित किया।

पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल

3.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²⁷ कम्पनियों की वित्तीय निष्पादन की एक माप है जिसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की निधि तथा छत्तीसगढ़ शासन के ऋण से विभाजित करके की गयी है। पीएसयूज²⁸ जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया है, की क्षेत्रवार आरओई को तालिका-3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका- 3.10: क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल

संक्र.	क्षेत्र	वर्ष 2015–16 के दौरान आरओई		वर्ष 2016–17 के दौरान आरओई		वर्ष 2017–18 के दौरान आरओई	
		पीएसयूज की संख्या	आरओई (%)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (%)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (%)
1	एकाधिकार क्षेत्र में पीएसयूज	2	14.98	2	3.98	2	6.58
2	निश्चित आय वाली पीएसयूज	6	16.01	7	12.63	7	12.86
3	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज	2	(–) 1.44	2	0.34	2	1.19
कुल		10		11		11	

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान एकाधिकार का लाभ होते हुए अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि सहायता प्राप्त निश्चित आय होते हुए, एकाधिकार क्षेत्र एवं निश्चित आय क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई कम हुई। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयू (सीएमडीसी) में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में बहुत अधिक धनराशि निवेशित किया था एवं वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के लिए क्रमशः ₹ 81.05 करोड़, ₹ 95.16 करोड़ एवं ₹ 179.32 करोड़ की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में बकाया थी। हॉलांकि, वर्ष 2015–16 में प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई मुख्य रूप से सीएमडीसी द्वारा (₹ –1.51 करोड़) हानि उठाये जाने के कारण (–)1.44 प्रतिशत से ऋणात्मक थी। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयू में आरओई केवल क्रमशः 0.34 प्रतिशत एवं 1.19 प्रतिशत थी। जो यह दिखाता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाली पीएसयू में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पर्याप्त धनराशि के निवेश के बावजूद आरओई उनकी आय के अनुरूप नहीं थी।

²⁷ पूँजी पर प्रतिफल = (कर के बाद का शुद्ध लाभ एवं अधिमान्य लाभांश / पूँजी)*100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी+मुक्त संचय+छत्तीसगढ़ शासन के ऋण-संचय हानि-स्थगित राजस्व व्यय।

²⁸ उन पीएसयूज की आरओई जिस में आरओई/शेयरधारकों की निधि धनात्मक थी।

तालिका—3.10.1 एकाधिकार²⁹ वाली पीएसयूज और बिना एकाधिकार वाली पीएसयूज (जिसने लाभ अर्जित की थी/शेयरधारकों की निधि धनात्मक हो) के मध्य आरओई की तुलना को दर्शाता है।

तालिका— 3.10.1: पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल की तुलना एकाधिकार/सहायता प्राप्त आय बनाम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र

वर्ष	एकाधिकार/सहायता प्राप्त पीएसयूज		बिना एकाधिकार (प्रतिस्पर्धी) वाली पीएसयूज	
	पीएसयूज की संख्या	आरओई (%)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (%)
2015–16	8	15.63	2	(-)1.44
2016–17	9	9.41	2	0.34
2017–18	9	10.52	2	1.19

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

3.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आरओसीई की गणना कम्पनी के करों एवं ब्याज से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी³⁰ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की आरओसीई का विवरण दिये गये तालिका—3.11 में दिया गया है।

तालिका—3.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%) में
2015–16	172.26	784.10	21.97
2016–17	121.86	879.52	13.86
2017–18	140.58	1,186.61	11.85

यह पाया गया था कि वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि के दौरान 13 पीएसयूज की आरओसीई मुख्य रूप से वर्ष 2015–16 की तुलना में दो³¹ पीएसयूज के लाभ में कमी और तीन³² पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि होने के कारण, कम हुई थी।

पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण

3.17 31 मार्च 2018 तक, दो³³ पीएसयूज की संचयी हानियाँ ₹ 211.09 करोड़ की थीं। उनमें से दो पीएसयूज की, जिसमें वर्ष 2017–18 में एक³⁴ पीएसयू में उठायी गयी

²⁹ एकाधिकार का अर्थ होता है—ऐसी बाजार संरचना जिसमें अकेला विक्रेता, बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेच रहा हो। एक एकाधिकार बाजार में विक्रेता की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है जैसे माल का अकेला विक्रेता वह है जिसका कोई दूसरा स्थानापन्न न हो। एक पीएसयू को एकाधिकार में माना जाता है यदि उस भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ संचालित है कोई प्रतिस्पर्धा न हो।

³⁰ नियोजित पूँजी=प्रदत्त अशंपूँजी+स्वतंत्र संचय और आधिक्य+दीर्घावधि ऋण—संचित हानियाँ—स्थगित राजस्व व्यय

³¹ सीआरबीबीएनएल एवं सीएसबीसीएल।

³² सीएनजेबीबीएन, सीपीएचसीएल एवं सीएमडीसी।

³³ सीएससीएससीएल एवं सीआरडीसीएल।

³⁴ सीआरडीसीएल।

हानि की धनराशि ₹ 0.10 करोड़ थी और 2017–18 में एक³⁵ पीएसयू ने हानि नहीं उठायी थी, यद्यपि इसकी संचयी हानि ₹ 210.59 करोड़ थी।

31 मार्च 2018 तक उन दो राज्य पीएसयूज में से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (₹ 205.21 करोड़) का पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका था जैसा कि कम्पनी की ₹ 4.43 करोड़ की पूँजी निवेश के विरुद्ध (–) ₹ 210.59 करोड़ की संचयी हानि हो गयी थी। हॉलांकि, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को वर्ष 2017–18 के दौरान बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार से सब्सिडी की प्राप्ति से, आय के रूप में अमानत राशि (ईएमडी) के हरण/निविदाओं से सुरक्षा जमा और बैंक जमाओं पर ब्याज से ₹ 1.96 करोड़ की सीमित लाभ को प्राप्त हुआ था जबकि पूँजी (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य होते हुए) कम हो चुकी थी।

लाभांश का भुगतान

3.18 राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ करने वाली पीएसयूज को कर के पश्चात् के लाभ/प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता होती।

10 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) से संबंधित लाभांश भुगतान, जिनमें इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया को तालिका-3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.12: वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान 10 पीएसयूज का (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2015–16	10	49.18	8	43.28	2	4.54	10.49
2016–17	10	49.18	9	44.28	1	1.03	2.33
2017–18	10	49.18	9	44.28	2	2.41	5.44

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज की संख्या आठ एवं नौ के मध्य सीमा में थी। इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या एक एवं दो के मध्य सीमा में थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 से 2017–18 के दौरान केवल 2.33 प्रतिशत एवं 10.49 प्रतिशत के मध्य सीमा में रहा। अग्रिम विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि पीएसयूज की लाभांश की घोषणा/भुगतान किये एवं लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 में 10.49 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 5.44 प्रतिशत हो गया।

2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ लाभांश की घोषणा/भुगतान किया था।

³⁵ सीएससीएससीएल।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

3.19 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऐसी पीएसयूज जो ऋणयुक्त थी, की दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्याकांन करने के लिए किया गया। इसका मूल्याकांन ब्याज कवरेज अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

ब्याज कवरेज अनुपात

3.20 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयू की ब्याज एवं करों के पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज भुगतान करने की पीएसयू की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि पीएसयू अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल बकाया ऋण वाले पीएसयूज की धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-3.13 में दिया गया है।

तालिका-3.13 ऋण दायित्व सहित कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर के पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिन पर ऋण दायित्व है	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज कवरेज नुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है
2015–16	8.01	98.18	4	1	3 ³⁶
2016–17	11.75	86.67	4	1	3 ³⁷
2017–18	12.28	103.87	5	1	4 ³⁸

2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान सभी राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन पर दीर्घावधि ऋण का दायित्व था, केवल छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने ऋण का ब्याज भुगतान किया था एवं ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। इसके अतिरिक्त, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज भुगतान न करने वाले पीएसयूज की संख्या तीन से चार के मध्य थी जो यह दर्शाता है कि इन पीएसयूज में इस अवधि के दौरान ब्याज पर उनके व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं किया जा सका।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

3.21 12 सरकारी कम्पनियाँ जो इस प्रतिवेदन में शामिल हैं जिनमें से 12 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 13 लेखापरीक्षित लेखें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की

³⁶ सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था।

³⁷ सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था।

³⁸ सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था। 2017–18 अवधि के दौरान सीपीएचसीएल का ऋण पर ब्याज देय नहीं था।

अवधि के दौरान महालेखाकार को अग्रेषित किये। इसमें से 12 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाते हैं कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका-3.14 में दिया गया है।

तालिका-3.14 कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

सं. क्र.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18 ³⁹	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	21.41	6	93.89	6	152.23
2.	लाभ में वृद्धि	4	177.42	3	1.46	5	38.41
3.	हानि में वृद्धि	2	0.01	1	0.01	4	68.11
4.	हानि में कमी	3	0.24	—	—	2	179.34
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	6	581.49	1	2,007.02	4	2,218.82
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	3	17.12	1	15.37	—	—

(स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखों पर मर्यादित प्रमाण–पत्र प्रदान किये थे। पीएसयू द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमज़ोर रही थी क्योंकि चार लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालन नहीं करने के सात मामलों को इंगित किया गया।

3.22 राज्य में एक सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम है जिसे इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। चालू वर्ष के दौरान निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए अपना लेखा अग्रेषित किया जो पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक निगम से संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका-3.15 में दिया गया है।

तालिका-3.15: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

सं. क्र.	विवरण	2015–16		2016–17		2017–18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	74.86	1	2.60		
2.	लाभ में वृद्धि	—	—	—	—		
3.	हानि में वृद्धि	—	—	—	—		
4.	हानि में कमी	—	—	—	—		
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	—	—	—	—		
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	—	—	—	—		

(स्रोत: सांविधिक निगम के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

³⁹ लेखों पर प्रभाव के आंकड़े इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज के जो लेखे 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त किये गये अंतिमीकृत होने थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

3.23 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर प्रतिवेदन हेतु, छत्तीसगढ़ मैडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेरेरेजेस निगम लिमिटेड से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उत्तर प्रदान करने के आग्रह के साथ जारी किय गये। दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त किया जा चुका है तथा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। इन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 13.52 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

3.24 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच का उत्पाद है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) की प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, उनकी विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से तीन माह की अवधि के अंदर प्रेक्षित करने के निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किये थे।

उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं की स्थिति तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 की स्थिति)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अप्राप्त हैं	
		पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2008–09	26 मार्च 2010	1	3	–	2
2014–15	31 मार्च 2016	1	7	1	0
2016–17	10 जनवरी 2018	1	4	1	4

(स्त्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित)

छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं और दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक लंबित थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

3.25 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित पीएसयूज से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति तालिका-3.17 में दिया गया है।

तालिका–3.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 31 दिसम्बर 2018 तक चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षा / कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं / कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा की गई कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2008–09	1	3	1	1
2009–10	—	8	—	8
2010–11	—	7	—	5
2011–12	—	5	—	4
2012–13	1	6	1	6
2013–14	1	7	1	7
2014–15	1	7	—	4
2015–16	—	9	—	2
2016–17	1	4	—	—

(स्त्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित)

वर्ष 2007–08 तक और 2009–10, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.26 नवंबर 2007 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन⁴⁰ पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं (31 दिसंबर 2018) हुई थीं जैसा कि तालिका–3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.18: कोपू प्रतिवेदनों पर अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2002–03	01	01	01

(स्त्रोत: कोपू की अनुशंसाओं पर छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही टिप्पणियाँ के आधार पर संकलित)

उपर्युक्त दर्शाये गये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्ष 2002–03 के लिए सम्मिलित किये छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की कंडिकाओं के संबंध में कोपू प्रतिवेदन की अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं।

⁴⁰ वर्ष 2002–03 के लिए भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में जिसे शामिल किया है जो छत्तीसगढ़ शासन के एक विभाग अर्थात् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित है।

अध्याय-४

अध्याय-4

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के पीएसयूज की लेन-देन की नमूना जाँच पर आधारित तीन कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

4.1 गोदाम किराया का परिहार्य भुगतान

निर्माण गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता के कारण ₹ 1.64 करोड़ की राशि का परिहार्य भुगतान

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने खरीद की गई शराब के भण्डारण के लिए ₹ 8.75 लाख¹ के वार्षिक खर्च पर गतौरी, बिलासपुर में एक गोदाम किराए पर लिया (जुलाई 2002)। बाद में, गोदाम किराए के खर्च को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के संचालक मण्डल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से (दिसम्बर 2006) डिपाजिट कार्य के आधार पर अपने स्वंय के गोदाम का निर्माण करवाने का निर्णय लिया (जुलाई 2005)।

संचालक मण्डल के निर्देश के अनुपालन में कम्पनी ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में ₹ 1.18 करोड़ की भूमि का अधिग्रहण किया (नवम्बर 2010) तथा ₹ 5.91 करोड़ की स्वीकृत लागत पर पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य का काम सौंपा² (अक्टूबर 2012)। पीडब्ल्यूडी ने मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बिलासपुर (ठेकेदार) को ₹ 5.89 करोड़ पर (अर्थात ₹ 5.16 करोड़ के प्रांकलित मूल्य के विरुद्ध एसओआर से 14.11 प्रतिशत अधिक) निर्माण कार्य प्रदान किया (जनवरी 2014) जिसे 3 जुलाई 2015 तक पूर्ण करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2018) कि कम्पनी ने पीडब्ल्यूडी को ₹ 5.05 करोड़³ की राशि (जून 2014 तक) जारी की जो कि गोदाम के निर्माण कार्य के मूल्य का 85.74 प्रतिशत थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिला जो इस बात पुष्टी की कर सके कि गोदाम के निर्माण कार्य की निगरानी कम्पनी के अधिकारियों द्वारा की गई थी। पीडब्ल्यूडी ने शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 2.25 करोड़⁴ की माँग की (अगस्त 2014) परंतु कम्पनी ने यह उल्लेख करते हुए इसे जमा नहीं किया कि कार्य की प्रगति पीडब्ल्यूडी को जमा की गई राशि के अनुपात में नहीं है। हॉलांकि, पीडब्ल्यूडी ने कई बार स्पष्ट किया कि कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन, कम्पनी द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक करके मामले का निराकरण नहीं किया। चूंकि पीडब्ल्यूडी ने कार्य किया था तथा शेष कार्य निष्पादन के लिए पीडब्ल्यूडी के पास कोई राशि उपलब्ध नहीं थी इसलिए ठेकेदार ने दिसम्बर 2014 से कार्य बंद

¹ अक्टूबर 2014 से संशोधित दर ₹ 39.53 लाख

² नए एसओआर के आधार पर प्रांकलन में संशोधन, अनुमानित लागत को कम करने तथा इसके संचालक मण्डल में अनुमोदन के कारण अंतिम प्रांकलन प्रशासकीय अनुमोदन के साथ पीडब्ल्यूडी को अक्टूबर 2012 में प्रदान किया गया।

³ ₹ 3.04 करोड़ (अप्रैल 2012) + ₹ 2.01 करोड़ (जून 2014)

⁴ ₹ 7.30 करोड़ (एसओआर का 14.11 प्रतिशत, अतिरिक्त पर्यवेक्षण शुल्क तथा वृद्धि को ₹ 5.09 करोड़ में जोड़ने के पश्चात) - ₹ 5.05 करोड़

कर दिया। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि व्यतीत होने के बाद ही कम्पनी के महाप्रबंधक ने कार्य की प्रगति की जानकारी के लिए पीडब्ल्यूडी को एक पत्र भेजा (अगस्त 2015) तथा इस संबंध में सितम्बर 2016 तक कोई और कार्यवाही नहीं की गई। महाप्रबंधक के कार्यस्थल पर दौरे (अक्टूबर 2016) के दौरान यह पाया गया कि कुछ अनुसंगिक कार्य⁵ अपूर्ण थे तथा कार्य की वास्तविक प्रगति पीडब्ल्यूडी द्वारा दी गई (अगस्त 2016) जानकारी के अनुरूप नहीं थी। इसलिए, मामले को एक वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से निरीक्षण करवाने के लिए प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) (नवम्बर 2016) तथा सचिव (पीडब्ल्यूडी) (जनवरी 2017) के पास ले जाया गया। प्रतिक्रिया में, उप सचिव, पीडब्ल्यूडी ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि शेष कार्य छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा, बशर्ते कि कम्पनी द्वारा शेष राशि जमा करायी जाएँ। उप सचिव, पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी कम्पनी ने शेष राशि पीडब्ल्यूडी को जमा नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप, पूर्ण होने कि निर्धारित तिथि के चार वर्षों बाद भी कार्य अभी तक (मार्च 2019) अपूर्ण है तथा भण्डारण स्थानांतरित (जुलाई 2009) किराए के गोदाम लिंगियाडीह, बिलासपुर से प्रबंधित किया जा रहा है। इसके अलावा, कम्पनी ने बहुत आवश्यक कार्य करवाने के लिए ₹ 1.16 करोड़ जमा किए (13 मार्च 2018/ 2 मई 2019) जो कि प्रगति पर है (अगस्त 2019)।

इस प्रकार, निर्माण गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने तथा गोदाम निर्माण पर समय से कार्यवाही करने में कम्पनी कि विफलता के परिणामस्वरूप गोदाम किराए पर ₹ 1.48 करोड़⁶ (मार्च 2019 तक) का परिहार्य व्यय हुआ तथा ₹ 7.39 करोड़⁷ मूल्य की सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी रही। इसके अलावा, नवम्बर 2010 में भूमि के अधिग्रहण करने के बाद कम्पनी ने गोदाम का प्रांकलन पीडब्ल्यूडी को उपलब्ध कराने में छः माह अर्थात जून 2011 का समय लिया, यद्यपि, इसे जनवरी 2006 में तैयार कर लिया गया था तथा 19 मार्च 2007 को आयोजित संचालक मण्डल की 23 वीं बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी। यदि कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण करने के तुरंत बाद गोदाम निर्माण का प्रांकलन पीडब्ल्यूडी को उपलब्ध करा दिया होता तो गोदाम निर्माण की गतिविधियों के लिए छः माह का समय बचा सकती थी तथा ₹ 0.16 करोड़⁸ का गोदाम किराया बचा सकती थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) की कंडिका 4.3.6 के माध्यम से गोदाम निर्माण के लिए कम्पनी के अप्रभावी दृष्टिकोण के मुद्दे को इंगित किया था फिर भी कम्पनी ने निर्माण कार्य पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के गोदाम किराए का परिहार्य भुगतान किया गया।

शासन ने कहा (अप्रैल 2019) कि पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य में देरी की थी, जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह कम्पनी के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की निगरानी और इस संबंध में समय पर कार्यवाही न करने के कारणों को संबोधित नहीं करता है। इसके अलावा, कम्पनी ने शेष कार्य के निष्पादन के लिए तीन वर्ष से अधिक

⁵ कार्यालय भवन, सार्वजनिक शौचालय, श्रमिक शेड, विद्युत कमरा का निर्माण तथा नाली का कार्य इत्यादि।

⁶ 30,000 वर्गफुट X ₹ 10.98 /वर्गफुट/माह (अक्टूबर 2014 से लागू) X 45 माह (अर्थात जुलाई 2015 से मार्च 2019)

⁷ भूमि पर ₹ 1.18 करोड़ + ₹ 6.21 करोड़ पीडब्ल्यूडी को अग्रिम भुगतान

⁸ 30,000 वर्गफुट X ₹ 9 /वर्गफुट/माह X 6 माह (अर्थात दिसम्बर 2010 से मई 2011)

का समय बीत जाने के बाद राशि जमा की। यदि कम्पनी ने यह पहले ही जमा कर दिया होता तो गोदाम का कार्य समय से पूरा हो सकता था तथा कम्पनी दिसम्बर 2010 से मई 2011 और जुलाई 2015 से मार्च 2019 तक 51 महिनों का गोदाम किराया बचा सकता था।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

4.2 उच्च दरों पर मल्टीविटामिन सिरप का गैर आवश्यक क्रय

शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुरानी तिथि पर क्रय आदेश देकर उच्च दरों पर मल्टीविटामिन सिरप का गैर आवश्यक क्रय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हानि

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (डीएचएस) से प्राप्त मॉगपत्र के आधार पर दवा खरीदती हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016–17 के मॉगपत्र के लिए मल्टीविटामिन सिरप के क्रय के मामले में उपार्जन प्रक्रिया में अनियमितता थी, आवश्यकता से अधिक मात्रा का उच्चतर दर पर विलंबित उपार्जन/आपूर्ति एक ऐसे स्त्रोत से किया गया जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

राज्य सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों को वर्ष 2016–17 में दवाओं की आपूर्ति हेतु मॉगपत्र के एक भाग के रूप में डीएचएस ने मल्टीविटामिन सिरप की 100 मिली लीटर की दो करोड़ बोतलों के क्रय हेतु मॉग की (23 फरवरी 2016)। एंड

कम्पनी ने मॉगपत्र प्राप्ति के छः महीने के बाद ॲनलाइन निविदा⁹ आमंत्रित की (12 अगस्त 2016)। चूंकि निविदा को अंतिम रूप देने में जनवरी 2017 तक का विलंब था, इसलिए कम्पनी ने 23 आवश्यक दवाओं (मल्टीविटामिन सिरप सहित) को उनके निर्धारित दर पर क्रय करने के लिए ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) से जानकारी मांगी थी (23 जनवरी 2017)। बीपीपीआई ने 23 दवाओं की दर सूची की जानकारी दी (25 जनवरी 2017) और कहा कि आपूर्ति उनके रखानीय वितरक अर्थात् मेसर्स नाहर मेडिकल ऐंजेंसी, रायपुर (नाहर) द्वारा की जाएगी। साथ ही में, कम्पनी ने डीएचएस से 23 दवाओं (मल्टीविटामिन सिरप 100 मिली लीटर सहित) की तीन महीने की आवश्यकता को पूरा करने कि मात्रा बिना निविदा आमंत्रित किए सीधे बीपीपीआई से क्रय के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (डीसीएंडआई) से अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया (24 जनवरी 2017)। डीएचएस ने डीसीएंडआई से 23 आवश्यक दवाओं की बीपीपीआई से न्यूनतम दर सुनिश्चित करते हुए बिना निविदा आमंत्रित किए केवल 2016–17 के लिए क्रय की अनुमति प्राप्त की (23 फरवरी 2017)।

यह देखा गया कि मल्टीविटामिन सिरप की बोतलों (प्रत्येक 100 मिली लीटर) की तीन महीने की आवश्यकता 50,58,540 थी। बीपीपीआई ने मल्टीविटामिन सिरप 200 मिली लीटर प्रति बोतल ₹ 27.64 की दर का प्रस्ताव दिया (28 जनवरी 2017)। चूंकि डीएचएस का मॉगपत्र 100 मिली लीटर की बोतलों के लिए था, इसलिए कम्पनी ने मल्टीविटामिन सिरप की 200 मिली लीटर बोतलों की क्रय की अनुमति के लिए

⁹ निविदा संख्या 03 दवाईयाँ जिसकी जमा करने की निर्धारित तिथि 19 सितम्बर 2016 थी जिसे 26 अक्टूबर 2016 तक बढ़ाई गई थी।

डीएचएस से अनुरोध (8 मार्च 2017) किया। प्रतिउत्तर में, डीएचएस ने कम्पनी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया (27 मार्च 2017) और मल्टीविटामिन सिरप (200 मिली लीटर) के स्थान पर मल्टीविटामिन टैबलेट क्रय करने का निर्देश दिया। इसलिए, क्रय केवल 100 मिली लीटर की बोतलों/मल्टीविटामिन टैबलेट के लिए किया जाना था।

तत्पश्चात्, कम्पनी ने बीपीपीआई से स्पष्ट रूप से 31 मार्च 2017 को 100 मिली लीटर की बोतलों (73.95 लाख) के लिए दर प्राप्त किया और ऐसा प्रतित होता है कि उसी दिन जून 2017 तक आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया। इसके विरुद्ध, वास्तविक आपूर्ति केवल सितम्बर एवं अक्टूबर 2017 में कि गयी जो तालिका-4.1 में वर्णित है।

तालिका-4.1

100 मिली लीटर बोतलों की दर प्राप्त करने की तिथि	बीपीपीआई को आदेश जारी करने की तिथि और मात्रा	आपूर्ति करने लिए निर्धारित समय	100 मिली लीटर बोतलों का वास्तविक आपूर्ति
31.03.2017	31.3.2017 को 73.95 लाख बोतल के लिए	29.06.2017 तक	सितम्बर और अक्टूबर 2017 72.59 लाख बोतल

इस प्रकार कम्पनी ने डीएचएस के माँगपत्र के अनुसार वितरण हेतु दवाओं के उपार्जन के उद्देश्य को विफल करते हुए वर्ष 2016–17 की आवश्यकता के लिए स्पष्ट रूप से वर्ष के अंतिम दिन क्रय आदेश दिया जिसकी आपूर्ति 2017–18 में निर्धारित थी।

यद्यपि 2016–17 के क्रय को (जिसके लिए निविदा अगस्त 2016 में मंगाई गई थी) अंतिम रूप नहीं दिया गया था, डीएचएस ने पुनः वर्ष 2017–18 के लिए दो करोड़ मल्टीविटामिन सिरप के 100 मिली लीटर बोतलों के क्रय के लिए माँगपत्र जारी किया (18 अक्टूबर 2016)। इस माँगपत्र को कम करके पाँच लाख बोतलों के लिए संशोधित किया गया (28 अप्रैल 2017)। डीएचएस ने अपने पत्र में यह भी निर्देश दिया (28 अप्रैल 2017) कि 2016–17 के माँगपत्र के विरुद्ध जिस मात्रा तक दवाओं का आदेश/क्रय अभी तक नहीं किया गया है इतनी मात्रा की दवाओं का क्रय आदेश 2017–18 में जारी नहीं किया जाएँ। जैसा कि लेखापरीक्षा जाँच से यह सामने आया है कि 27 अप्रैल 2017 तक कोई क्रय नहीं किया गया था और सभी प्रक्रिया पुरानी तिथि में की गई थी (बिंदु संख्या—क में विस्तृत)। इस प्रकार डीएचएस ने, संक्षेप में, अप्रैल 2017 में 2016–17 के लिए माँगपत्र को रद्द कर दिया।

2017–18 के लिए पाँच लाख मल्टीविटामिन सिरप की बोतलों के लिए डीएचएस के दूसरे माँगपत्र के विरुद्ध कम्पनी ने निविदा को अंतिमीकृत करने के पश्चात् मेसर्स गल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड अंकलेश्वर¹⁰ को ₹ 16.60 प्रति बोतल (वैट/जीएसटी रहित) की दर से क्रय आदेश जारी किया (23 मई 2017)। इस आदेश के विरुद्ध आपूर्ति जुलाई 2017 में पूरी की गयी।

¹⁰ कम्पनी ने मेसर्स गल्फा लेबोरेटरीज जो कि न्यूनतम बोलीदाता था के साथ मल्टीविटामिन सिरप के लिए दर अनुबंध को अंतिमीकृत किया। कम्पनी ने अनुबंध का निष्पादन 26 अप्रैल 2017 को किया।

यह देखा गया कि 2016–17 के आदेश को रद्द/संशोधन के लिए कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, इसके बावजूद कि वास्तविक आदेश (31 मार्च 2017 की पुरानी तिथि को) जारी करने के पहले उपलब्ध दरों की जानकारी थी जिसमें आपूर्ति करने कि तिथि जून 2017 थी और जिसके विरुद्ध वास्तविक आपूर्ति केवल सितम्बर/अक्टूबर 2017 में की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने 2016–17 के माँगपत्र के लिए क्रय की प्रक्रिया में कम्पनी द्वारा की गई निम्नलिखित अनियमिताएँ/विसंगति पायी:

क. बीपीपीआई को पुरानी तिथि में अनियमित क्रय आदेश जारी करना

- आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश (पीओ) जारी करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, कम्पनी आदेश जारी करने के ही दिन ईमेल के माध्यम से सिस्टम जनित क्रय आदेश विक्रेताओं को भेजती है। हाँलांकि इस मामले में कम्पनी ने इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया तथा सभी चार क्रय आदेशों को बीपीपीआई को हाथ द्वारा जारी किया और उस व्यक्ति का ब्यौरा/विवरण, जिसे आदेश दिया गया उसे कम्पनी द्वारा संधारित जावक पंजी में नहीं बताया। जावक पंजी के अंतिम पृष्ठ पर केवल क्रय आदेश की तिथि और जावक संख्या दर्शायी गयी थी। इस प्रकार वहाँ प्रक्रिया का उल्लंघन था।
- क्रय आदेश/ भुगतान के नियमों और शर्तों को 5 जुलाई 2017 अर्थात् सामग्री की आपूर्ति की निर्धारित तिथि (29 जून 2017) के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वास्तविक क्रय आदेश 31 मार्च 2017 का नहीं था बल्कि बाद की तारीख में (5 जुलाई 2017 या उसके बाद) जावक पंजी में 31 मार्च 2017 की पुरानी तिथि में इंद्राज कर दिया गया था।
- कम्पनी द्वारा प्रदान किए गए 26 अप्रैल 2017 के बैकअप डेटाबेस में क्रय आदेशों की तिथि 31 मार्च 2017 का विवरण नहीं पाया गया, जो यह पुष्टि करता है कि क्रय आदेश 26 अप्रैल 2017 तक जारी नहीं किये गए थे। इस प्रकार वास्तव में कम्पनी ने अप्रैल 2017 में डीएचएस से संशोधित निर्देश प्राप्त होने तक आदेश जारी नहीं किया था।
- दस्तावेजों से प्रकट हुआ कि कम्पनी द्वारा क्रय आदेश को जारी (31 मार्च 2017) करते समय बीपीपीआई के पास 100 मिली लीटर मल्टीविटामिन सिरप की आपूर्ति हेतु कोई भी दर अनुबंध नहीं था क्योंकि उसके लिए बीपीपीआई ने 70 लाख बोतलों की निर्धारित मात्रा हेतु 22 मई 2017 को निविदा (दर अनुबंध नहीं) आमंत्रित की तथा मूल्य बोलियों को कम्पनी द्वारा बीपीपीआई को क्रय आदेश देने के लगभग 50 दिन पश्चात 21 जून 2017 को खोला। इस प्रकार बीपीपीआई ने स्वयं के दर अनुबंध के अंतिमीकरण के पूर्व ही उपरोक्त दवा के लिए 31 मार्च 2017 को दर उद्धरित की। यह विसंगति डीसीईडआई द्वारा निर्धारित समय—सीमा के पालन हेतु बीपीपीआई से पुरानी तिथि पर उद्धरण प्राप्त करने की संभावना को भी सुदृढ़ करती है।
- बीपीपीआई के स्थानीय एजेंट मेसर्स नाहर द्वारा आपूर्ति की गई मल्टीविटामिन सिरप की बोतलों के लेबल पर दर उत्पादक फर्म का नाम “सियान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, जिला, सोलन (हिमाचल प्रदेश)” छपा था। यद्यपि, तथ्यों के सत्यापन पर यह पाया गया कि सियान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इस दवा का उत्पादक नहीं है और हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ दवा का उत्पादक नहीं है और कच्चे माल के व्यापारी के रूप में पंजीकृत है। इस प्रकार,

आपूर्तिकर्ता फर्म की साख भी संदेह में है और मल्टीविटामिन सिरप के क्रय की पूरी प्रणाली पर सवाल उठाता है।

यद्यपि प्रबंधन ने अक्टूबर 2018 में यह कहा कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होने से ऑनलाइन सर्वरों पर अत्यधिक ड्रैफिक होने के कारण क्रय आदेश 31 मार्च 2017 को ऑफलाइन मोड में जारी किए गए थे और इन आदेशों को 2 मई 2017 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से पुनः जनित किया गया था जो दवा की ऑनलाइन प्राप्ति और वितरण के लिए आवश्यक था। यद्यपि कम्पनी ने इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

यहाँ यह उल्लेखित करना उपयुक्त होगा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अग्रेषित एक शिकायत के उत्तर में कम्पनी ने यह स्वीकार किया (मई 2019) कि डीसीएंडआई द्वारा इस संबंध में दी गई निर्धारित तिथि 31 मार्च 2017 की समय सीमा के पालन हेतु पुरानी तिथि पर क्रय आदेश जारी किया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि अपनाई गई प्रक्रिया अनियमित थी।

ख. दवा की उच्च दरों पर क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की हानि

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (डीसीएंडआई) ने 2016–17 के लिए बीपीपीआई से दवाओं के क्रय के लिए अनुमति प्रदान करते समय यह तय किया कि दवाओं को क्रय करते समय न्यूनतम क्रय मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने मेसर्स गल्फा लेबोरेटरीज को निविदा¹¹ में प्राप्त ₹ 16.60 प्रति बोतल कि दर से 2017–18 के माँगपत्र के विरुद्ध आदेश जारी किया जो कि बीपीपीआई द्वारा प्रस्तावित ₹ 18 प्रति बोतल कि दर से कम था। घटनाओं के कालक्रम से यह विदित होता है कि यह दर बीपीपीआई के आपूर्ति से पहले कम्पनी को ज्ञात थी क्योंकि बीपीपीआई द्वारा की जानी वाली आपूर्ति के लिए नियमों और शर्तों को 5 जुलाई 2017 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

ऐसे में कम्पनी को क्रय करने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि डीएचएस ने पहले जारी माँगपत्र के विरुद्ध उन मात्राओं के लिए क्रय आदेश जारी करने से मना किया था जिनका क्रय नहीं हुआ था। यद्यपि कम्पनी ने न केवल क्रय प्रक्रिया को आगे जारी रखा बल्कि अप्रैल 2017 में प्राप्त कम दर के आधार पर बीपीपीआई के साथ की गई पूर्व प्रक्रिया को संशोधित/रद्द नहीं किया। यह ज्ञात है कि बीपीपीआई ने कम्पनी को मल्टीविटामिन आपूर्ति के लिए निविदा 22 मई 2017 को बुलाई थी और जून 2017 के बाद उसको अंतिम रूप दिया। इसलिए, कम दरों पर दवा खरीदने के लिए कम्पनी के पास अवसर था। कम दर की जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही में कमी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 1.02 करोड़¹² की हानि हुई और बीपीपीआई के माध्यम से निजी आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित वित्तीय लाभ दिया।

प्रबंधन ने अक्टूबर 2018 में यह कहा कि 31 मार्च 2017 को आदेश जारी किए गए थे और अगली निविदा के लिए वित्तीय बोली उसके उपरांत 6 अप्रैल 2017 को खोली गयी थी, अतः कम्पनी को आदेश जारी करते समय कम दरों की प्राप्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि आदेश जारी करने के बाद क्रय आदेश को रद्द करने के संबंध में क्रय आदेश में कोई वाक्य नहीं था। यद्यपि प्रबंधन ने मई 2019 में यह स्वीकार किया था कि आदेश पुरानी तिथि 31 मार्च 2017 में जारी किया गया था जो उनके पूर्व के जवाब और दावों को गलत साबित करता है।

¹¹ वित्तीय बोली 1 अप्रैल 2017 को खोली गयी और निविदा 6 अप्रैल 2017 को अंतिमीकृत की गयी।

¹² 72,59,250 X (₹ 18 - ₹ 16.60)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में अग्रेषित शिकायत के जवाब में कम्पनी द्वारा यथोचित कार्यवाही की कमी को स्वीकारा गया है। कम्पनी ने यह स्वीकार किया (मई 2019) कि यदि उसने नियमित निविदा में प्राप्त कम दरों के मद्देनजर अगस्त 2017 तक दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण बीपीपीआई को जारी क्रय आदेश को रद्द कर दिया होता तो ₹ 1.02 करोड़ की बचत हो सकती थी जैसा कि लेखापरीक्षा ने पाया है।

ग. आवश्यकता से अधिक क्रय एवं आपूर्ति में विलंब के परिणामस्वरूप 30.81 लाख बोतलों का कालातीत तिथि से पहले उपयोग करने कि विफलता के कारण ₹ 5.82 करोड़ की हानि

डीएचएस द्वारा अप्रैल 2017 के माँगपत्र में कमी करने के बावजूद, कम्पनी ने पुरानी तिथि प्रक्रिया के कारण अक्टूबर 2017 तक 77.59 लाख मल्टीविटामिन सिरप की बोतलें (बीपीपीआई: 72.59 लाख एवं गल्फा लेबोरेटरीज़: 5 लाख बोतले क्रमशः ₹ 18 प्रति बोतल एवं ₹ 16.60 प्रति बोतल की दर से) अक्टूबर 2017 तक क्रय की। लेखापरीक्षा ने पाया कि मल्टीविटामिन सिरप के 77.59 लाख बोतलों में से 30.81 लाख बोतलों¹³ का मल्टीविटामिन सिरप का स्टाक 28 फरवरी 2019 तक कालातीत हो गया था। इन कालातीत दवाईयों की कीमत ₹ 5.82 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को प्रत्यक्ष हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मल्टीविटामिन सिरप के स्टाक को कम करने के उद्देश्य से, कम्पनी ने स्वास्थ्य संस्थाओं को 17.23 लाख बोतलें जारी किया जो कि दो वर्षों के उपभोग को ध्यान में रखते हुए (जुलाई 2017 से दिसम्बर 2018 की खपत के अनुसार), 2.26 लाख की औसत मासिक वितरण से बहुत ज्यादा था। स्वास्थ्य संस्थाओं ने भी जनवरी 2019 में 16.03 लाख बोतलें बाहरी/अंदरी रोगी विभाग (ओपीडी/आईपीडी) को मरीजों में वितरण हेतु जारी किया। उपरोक्त कार्यवाही कालातीत होने के कगार पर पड़े मल्टीविटामिन सिरप के जारी/वितरण में हड्डबड़ी को साफ साफ दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग साथ ही साथ कम्पनी के एमआईएस प्रणाली ओपीडी/आईपीडी में मरीजों को जारी दवाओं और स्वास्थ्य संस्थाओं के ओपीडी/आईपीडी वार्डों में बची हुई दवाईयों का कोई भी ब्यौरा मुहैय्या नहीं कराता है। इसलिए, ओपीडी/आईपीडी मरीजों में वितरित 16.03 लाख बोतलों का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है और संदेहास्पद भी है क्योंकि पिछले महीने तक दवा का औसत मासिक वितरण 2.26 लाख ही था। अतः कालातीत होने के ठीक पूर्व मल्टीविटामिन सिरप की अत्यधिक मात्रा को जारी करना, कालातीत से होने वाले नुकसान को छुपाने की कोशिश प्रतीत होता है।

माँग करने (फरवरी 2019) पर भी डीएचएस ओपीडी/आईपीडी वार्डों के पास बचे हुए मल्टीविटामिन सिरप का ब्यौरा उपलब्ध कराने में विफल रहा। चूंकि, ओपीडी/आईपीडी वार्डों को दवाईयाँ कालातीत तिथि के मुहाने पर वितरित की गई थी, अतः ओपीडी/आईपीडी के द्वारा दवाईयों के उपयोग की संभावना बहुत कम ही दिखती है। परिणामस्वरूप, जनवरी 2019 के दौरान वितरित की गई 16.03 लाख बोतलों पर ₹ 3.03 करोड़ की संभावित हानि हुई, इसके अलावा कालातीत मल्टीविटामिन सिरप पर ₹ 5.82 करोड़ की हानि हुई जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

¹³ कम्पनी के गोदाम: 17.43 लाख बोतलें, स्वास्थ्य संस्थाओं: 11.05 लाख बोतलें एवं कम्पनी के गोदाम में जनवरी 2019 में ही कालातीत हो चुकी: 2.33 लाख बोतलें।

यहाँ पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि लेखापरीक्षा द्वारा मई 2018 में बताए जाने के बावजूद भी कम्पनी और डीएचएस ने राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं में इस अतिरिक्त स्टॉक के उपयोग हेतु कोई कदम नहीं उठाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मल्टीविटामिन सिरप का अनुपयोग यह दर्शाता है कि कम्पनी ने बिना आवश्यकता के ही दवाईयों का क्रय किया और उसके कारण शासन को नुकसान उठाना पड़ा जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने तथ्यों की सूचना शासन को दी (फरवरी 2019), जिसका उत्तर अपेक्षित है (फरवरी 2020)।

राज्य सरकार को उपरोक्त अनियमितता पर सतर्कता दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय जाँच करवानी चाहिए तथा जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए।

4.3 अत्यधिक उच्च दरों पर फूड बॉस्केटों का क्रय

मुख्यमंत्री टीबी पोषण योजना के तहत एकल अयोग्य बोलीदाता से अत्यधिक उच्च दरों पर फूड बॉस्केटों का क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) ने मुख्यमंत्री क्षय रोग (टीबी) पोषण योजना (योजना) शुरू की (3 मई 2016)। योजना के अनुसार फूड बॉस्केट –सोयाबीन तेल (एक लीटर), मूँगफल्ली (1.5 किलोग्राम) एवं स्किम्ड दूध पाउडर (एक किलोग्राम) मासिक आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाना था। टीबी रोगियों के पूरक पोषण आहार के लिए फूड बॉस्केट का क्रय तथा वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (कम्पनी) को सौंपी गई (18 मई 2016)।

कम्पनी ने 2.13 लाख फूड बॉस्केट की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की (27 सितम्बर 2016) लेकिन केवल एक बोली आने के कारण निविदा रद्द कर दी गई (16 नवम्बर 2016)। कम्पनी ने पुनः निविदा आमंत्रित की (18 नवम्बर 2016), तीन चरणों की निविदा के विरुद्ध केवल दो बोलियाँ अर्थात मेसर्स महादेव फूड्स कार्पोरेशन और मेसर्स श्री श्याम पल्सेस (एसएसपी) से प्राप्त हुई (7 दिसम्बर 2016)। निविदा समिति द्वारा आवश्यक पूर्व–योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण मेसर्स महादेव फूड्स कार्पोरेशन की बोली को खारिज कर दिया गया (दिसम्बर 2016)। तकनीकी रूप से योग्य पाए गए बोलीदाता एसएसपी की मूल्य बोली खोली गई (18 जनवरी 2017)। एसएसपी द्वारा उद्घरित दर ₹ 1,124.55 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) थी जो की कम्पनी द्वारा स्थानीय खुदरा बाजार के माध्यम से एकत्र की गई (19 जनवरी 2017) ₹ 633 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) की कीमत से बहुत अधिक थी। इसलिए कम्पनी ने दर के लिए नेगोशिएशन किया (25 जनवरी 2017) तथा एसएसपी के साथ नेगोशिएशन दर ₹ 1,039.50 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) स्वीकार कर आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किया (31 जनवरी 2017)।

इसी बीच, छत्तीसगढ़ शासन ने फूड बॉस्केट के क्रय के लिए कम्पनी द्वारा ₹ 24.25 करोड़ की माँग (10 फरवरी 2017) के विरुद्ध ₹ 12.20 करोड़ की राशि स्वीकृत की (6 मार्च 2017)। इसे देखते हुए, कम्पनी ने एसएसपी के साथ फिर से मूल्य नेगोशिएशन किया (14 मार्च 2017) जहाँ तीन बार नेगोशिएशन की

बैठकों¹⁴ की एक श्रृंखला के बाद कम्पनी ने ₹ 892.50 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) की दर अंतिमीकृत किया (26 अप्रैल 2017) एवं आपूर्ति अनुबंध को संशोधित किया (28 अप्रैल 2017)।

कम्पनी ने ₹ 4.83 करोड़ मूल्य के 54,084 फूड बॉस्केटों के लिए एसएसपी को प्रारंभिक आपूर्ति आदेश दिया (1 मई 2017), जिसकी आपूर्ति 23 जून 2017 तक की गई।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नांकित आपत्ति पाई:

- निविदा (दिनांक 27 सितम्बर 2016) की नियमों और शर्तों के वाक्य 2.1(xv) प्रदान करता है कि “निविदाकर्ता को निविदा में उद्धरित प्रत्येक खाद्य सामग्री के निर्माता के रूप में कम से कम तीन वर्षों के व्यापार का अनुभव होना चाहिए”। यद्यपि कम्पनी¹⁵ ने एसएसपी के अनुरोध (26 अक्टूबर 2016) पर कोई लिखित औचित्य के पात्रता मानदंड में बदलाव किया (29 अक्टूबर 2016) और यह बदलाव प्रदान करता है कि “निविदाकर्ता के खाद्य सामग्री के विक्रय/निर्माता के रूप में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ता प्रस्तावित वस्तुओं के लिए निर्माता से प्राधिकरण प्राप्त करेगा”। यह तथ्य 18 नवम्बर 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना में नहीं दर्शाया गया था। यह दर्शाता है कि कम्पनी द्वारा पात्रता मानदंडों में उक्त संशोधन एसएसपी को बोली में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था तथा एक निजी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिसके परिणामस्वरूप निविदा को अत्यधिक उच्च दरों पर अंतिमीकृत किया गया जैसा की अग्रवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

शासन ने कहा (अगस्त 2018) कि निविदा की शर्तों में निर्माता से विक्रय/निर्माता का संशोधन कम्पनी द्वारा किया गया क्योंकि फूड बॉस्केट के सभी तीनों खाद्य सामग्रियों के भिन्न-भिन्न निर्माता हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कम्पनी के पास निविदा शर्तों में संशोधन करने की शक्ति है।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि कम्पनी विभिन्न निर्माताओं के बारे में अच्छी तरह से अवगत थी और केवल निर्माताओं से क्रय के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित करके अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त कर सकती थी।

- निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को आदेश की अधिसूचना के 10 दिनों के भीतर अनुबंधित लागत के पाँच प्रतिशत के बराबर अनुबंध की तिथि से दो वर्ष की वैधता के साथ निष्पादन सुरक्षा प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएसपी ने ₹ 95.17 लाख की निष्पादन सुरक्षा के बदले में प्रारंभिक क्रय आदेश मूल्य ₹ 4.83 करोड़ के पाँच प्रतिशत ₹ 25 लाख इस आधार पर जमा किया था (5 मई 2017) कि कुल अनुबंध मूल्य के लिए निष्पादन

¹⁴ 3 अप्रैल 2017 —सहमत दर ₹ 900 प्रति फूड बॉस्केट, 21 अप्रैल 2017 —सहमत दर ₹ 890 प्रति फूड बॉस्केट तथा 25 अप्रैल 2017 —सहमत दर ₹ 850 प्रति फूड बॉस्केट वैट रहित

¹⁵ प्रबंध संचालक

सुरक्षा एक बहुत अधिक राशि है। जिसके परिणामस्वरूप भी एसएसपी को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (सितम्बर 2017) किए जाने पर कम्पनी ने पर्याप्त निष्पादन सुरक्षा जमा न करने के कारण एसएसपी के साथ फूड बॉस्केट की आपूर्ति का अनुबंध को समाप्त कर दिया (28 फरवरी 2018)। एसएसपी ने माननीय उच्च न्यायलय छत्तीसगढ़ में अपील दायर कर कम्पनी की कार्यवाही को चुनौती दी, जिसने अपीलीय अधिकारी सचिव, स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस मामले पर विचार करने का निर्देश दिया (22 जून 2018)। मामले की सुनवाई (29 जून 2018) के बाद, सचिव ने एसएसपी को शेष निष्पादन सुरक्षा जमा कराने का आदेश दिया।

शासन ने कहा (अगस्त 2018) कि एसएसपी ने निष्पादन सुरक्षा की उचित राशि जमा कर दी है।

जबकि तथ्य यह रहा की लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद निष्पादन सुरक्षा प्राप्त की गई थी।

➤ जैसा कि केवल एक सफल बोली प्राप्त हुई थी, जिसे कम्पनी ने बिना कोई लिखित औचित्य के स्वीकार कर लिया था। इसके कारण एसएसपी द्वारा उद्धरित की गई ₹ 892.50 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) की अत्यधिक उच्च दर पर आपूर्ति का आदेश जारी किया तथा कम्पनी ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया की उसी सामग्री/मात्रा के साथ फूड बॉस्केट की लागत पायलट प्रोजेक्ट के दौरान राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के (एसएचआरसी) के लिए ₹ 409 प्रति फूड बॉस्केट थी तथा कम्पनी द्वारा स्थानीय बाजार के माध्यम से एकत्र किया गया (19 जनवरी 2017) स्थानीय मूल्य ₹ 633 प्रति फूड बॉस्केट (वैट सहित) था। बाद में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने (सितम्बर 2017) के बाद, कम्पनी ने एसएसपी से स्पष्टीकरण माँगा (23 नवम्बर 2017)। परिणामस्वरूप एसएसपी ने प्रति फूड बॉस्केट का मूल्य ₹ 892.50 से कम कर ₹ 728 कर दिया (15 फरवरी 2018) तथा सचिव, स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पारित आदेश (29 जून 2018) को दृष्टिगत रखते हुए नेगोशिएशन के दौरान इसे और कम कर ₹ 714 प्रति फूड बॉस्केट (₹ 680 जीएसटी रहित) कर दिया गया (4 जुलाई 2018)। तदनुसार, कम्पनी ने एसएसपी के साथ पूर्व अनुबंध को संशोधित दरों के साथ अगले छः माह अर्थात् 15 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया (16 जुलाई 2018) तथा अनुबंध की वैधता तक 1.11 लाख फूड बॉस्केट का क्रय किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया की कम्पनी ने फिर जुलाई 2018 की नेगोशिएशन बैठक में एसएसपी द्वारा प्रस्तुत की गई ₹ 714 प्रति फूड बॉस्केट की दर का आंकलन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप एसएसपी से खरीदे गए कुल 1.65 लाख फूड बॉस्केटों पर ₹ 5.04 करोड़¹⁶ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने कहा (अगस्त 2018) कि एसएचआरसी ने अपने पायलट प्रोजेक्ट तथा पायलट प्रोजेक्ट में उल्लेखित दरों के बारे में कम्पनी को सूचित नहीं किया था। शासन ने इसके अतिरिक्त कहा कि एसएसपी ने प्रति फूड बॉस्केट दर को ₹ 850 प्रति फूड बॉस्केट से कम कर ₹ 680 प्रति फूड बॉस्केट (वैट रहित) कर दिया तथा पहले से आपूर्ति की गई मात्रा के लिए भी कम कर दिया।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि एसएचआरसी ने पायलट प्रोजेक्ट के प्रतिवेदन की एक प्रति डीएचएस को भेजी थी जिसमें दर का उल्लेख किया गया था

¹⁶ (₹ 714–₹ 409) x 1,65,394 फूड बॉस्केट

अध्याय 4—अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (ऊर्जा क्षेत्र के उपकरणों के अतिरिक्त)

तथा लेखापरीक्षा ने इसे कम्पनी के अभिलेखों में पाया। उत्तर यह भी स्पष्ट करता है कि फूड बॉस्केट की स्वीकृत दर अत्यधिक उच्च थी, जबकि उत्तर में ₹ 633 प्रति फूड बॉस्केट के खुदरा मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया जिसकी जानकारी कम्पनी को बोली के अंतिमीकरण के समय थी। इसके अतिरिक्त, मूल्य में कटौती की दलील भी स्वीकार नहीं है क्योंकि कम्पनी ने नेगोशिएशन बैठक (4 जुलाई 2018) के दौरान एसएसपी द्वारा प्रस्तुत कम की गई दरों का आंकलन नहीं किया तथा ₹ 680 प्रति फूड बॉस्केट की संशोधित दर प्रस्ताव के समर्थन में कम्पनी द्वारा कोई भी विस्तृत मूल्य का विवरण प्रदान नहीं किया जा सका।

रायपुर
दिनांक : 22 जून 2020



(दिनेश आर. पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2020



(राजीव महाषि)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक—1.1

31 मार्च 2018 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भित कंडिका 1.4 एवं 1.8)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीघावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य [#]	कुल	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य [#]	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ. उत्पादन											
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	2,814.30	2,814.30	50.33	—	8,199.30	8,249.63
	योग			—	—	2,814.30	2,814.30	50.33	—	8,199.30	8,249.63
ब. पारेषण											
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	904.71	904.71	15.69	—	1,086.03	1,101.72
	योग			—	—	904.71	904.71	15.69	—	1,086.03	1,101.72
स. वितरण											
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)	ऊर्जा	19.05.2003	—	—	2,263.10	2,263.10	86.42	—	4,074.14	4,160.56
	योग			—	—	2,263.10	2,263.10	86.42	—	4,074.14	4,160.56
द. अन्य											
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिडंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल)	ऊर्जा	31.12.2008	609.73 [€]	—	—	609.73	—	—	—	—
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल)	ऊर्जा	30.12.2008	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—
	योग			609.73	—	0.05	609.78	—	—	—	—
	महायोग			609.73	—	5,982.16	6,591.89	152.44	—	13,359.47	13,511.91

\$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

अन्य में वित्तीय संस्थान, बैंक एवं पीएसयूज इत्यादि सम्मिलित हैं।

€ छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल की पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ की पूँजी प्रदाय की थी। जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जिसे सीएसपीएचसीएल (होलिडंग कम्पनी) द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों जैसे सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जिसे स. क्र. 1, 2, 3, एवं 5 में दिखाया गया है। इसलिए, सीएसपीएचसीएल में पूँजी के आंकड़ों में ₹ 5,982.16 करोड़ को छोड़कर दिखाया गया है जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों के लिए दिया गया था।

अनुलग्नक-1.2

अद्यतन अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम
(संदर्भित कंडिका 1.8, 1.9 एवं 1.12)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी [#]	निवल मूल्य [¥]	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. उत्पादन									
1	सीएसपीजीसीएल	2016–17	1,351.76	336.49	6,193.55	2,814.30	10,865.93	1,971.26	–843.04
	योग		1,351.76	336.49	6,193.55	2,814.30	10,865.93	1,971.26	–843.04
ब. पारेषण									
2	सीएसपीटीसीएल	2016–17	295.22	152.06	994.10	904.71	2,329.92	1,221.95	317.24
	योग		295.22	152.06	994.10	904.71	2,329.92	1,221.95	317.24
स. वितरण									
3	सीएसपीडीसीएल	2016–17	–137.58	–421.76	12,835.76	2,263.10	–1,030.90	–3,733.18	–5,996.28
	योग		–137.58	–421.76	12,835.76	2,263.10	–1,030.90	–3,733.18	–5,996.28
द. अन्य									
4	सीएसपीएचसीएल	2016–17	1.45	0.97	1.45	609.73 [£]	651.48	651.48	41.75
5	सीएसपीटीआरसीएल	2016–17	–2.94	–2.94	0.00	0.05	–7.96	–7.96	–8.01
	योग		–1.49	–1.97	1.45	609.78	643.52	643.52	33.74
	महायोग		1,507.91	64.82	20,024.86	6,591.89	12,808.47	103.55	–6,488.34

नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

¥ निवल मूल्य =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

£ छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसपीएचसीएल की पूँजी के रूप में ₹ 6,591.89 करोड़ की पूँजी प्रदाय की थी। जिसमें ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जिसे सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों जैसे सीएसपीजीसीएल (₹ 2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹ 904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹ 2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹ 0.05 करोड़) में निवेश किया था जिसे स. क्रं. 1, 2, 3, एवं 5 में दिखाया गया है। इसलिए, सीएसपीएचसीएल में पूँजी के आंकड़ों में ₹ 5,982.16 करोड़ को छोड़कर दिखाया गया है जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों के लिए दिया गया था। इसके लिए, सीएसपीएचसीएल की पूँजी में ₹ 5,982.16 करोड़ की धनराशि शामिल थी जिसमें सीएसपीएचसीएल का निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी एवं प्रदत्त अंशपूँजी की गणना के लिए भी इसको छोड़ा जा चुका है।

अनुलग्नक—2.1
ऑयल के आधिक्य उपभोग के कारण कम्पनी को हुई हानि दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भित कांडिका 2.9.5)

इकाई	वर्ष	वास्तविक उत्पादन मिलियन यूनिट में	उत्पादित इकाई किलोवाट घंटा में	वास्तविक ऑयल उपभोग (किलो लीटर में)	वास्तविक ऑयल उपभोग (मिलीलीटर में)	वास्तविक ऑयल उपभोग मिलीलीटर / किलोवाट घंटा में	सीएसईआरसी का मानक मिली लीटर / किलोवाट घंटा में	मानक के अनुसार मान्य ऑयल उपभोग मिलीलीटर में	मानक के अनुसार मान्य ऑयल उपभोग किलो लीटर में	आधिक्य ऑयल उपभोग किलोलीटर में	किलो लीटर के लिए ऑयल की औसत कीमत (₹ में)	आधिक्य ऑयल उपभोग के कारण हानि (₹ में)
इकाई—1	2016—17	294.08	29,40,80,000	3,582.97	3,58,29,70,000	12.18	0.5	14,70,40,000	147.04	3,435.93	35,770	12,29,03,216.10
	2017—18	2,739.96	2,73,99,60,000	2,832.02	2,83,20,20,000	1.03	0.5	1,36,99,80,000	1,369.98	1,462.04	48,031	7,02,23,243.24
	2018—19	2,946.00	2,94,59,60,000	2,379.05	2,37,90,50,000	0.81	0.5	1,47,29,80,000	1,472.98	906.07	48,031	4,35,19,448.17
इकाई—2	2016—17	2,084.66	2,08,46,60,000	5,653.73	5,65,37,30,000	2.71	0.5	1,04,23,30,000	1,042.33	4,611.40	35,770	16,49,49,778.00
	2017—18	2,980.03	2,98,00,26,000	1,867.20	1,86,72,00,000	0.63	0.5	1,49,00,13,000	1,490.01	377.19	48,031	1,81,16,812.89
	2018—19	3,471.31	3,47,13,10,000	2,932.38	2,93,23,80,000	0.84	0.5	1,73,56,55,000	1,735.66	1,196.73	48,031	5,74,80,138.63
कुल		14,516.04	14,51,59,96,000	19,247.35	19,24,73,50,000	1.33	0.5	7,25,79,98,000	7,258.00	11,989.36		47,71,92,637.03
(स्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)												

अनुलग्नक-2.2
आधिक्य स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले का अधिक उपभोग दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भित कांडिका 2.9.7)

विवरण	इकाई-1			इकाई-2			कुल
	2016–17	2017–18	2018–19	2016–17	2017–18	2018–19	
सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट) (क)	294.10	2,739.90	2,945.96	2,326.20	2,980	3,471.31	
सीएसईआरसी के मानक अनुसार स्टेशन हीट रेट (ख)	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378	
वास्तविक स्टेशन हीट रेट (किलोकैलोरी / केडल्यूएच) (ग)	2,708	2,387	2,360	2,593	2,396	2,346	
कोयले का उपभोग (मीट्रिक टन) (घ)	2,18,997.07	17,79,279.51	19,34,944.59	17,22,670.99	19,45,814.96	22,66,487.64	
कोयले की औसत जीसीवी (किलोकैलोरी / किलोग्राम) (ड)	3,467.13	3,660.65	3,544	3,467.13	3,660.65	3,544	
उत्पादन के लिए कोयले से आवश्यक हीट (किलोकैलोरी लाख में) (च) = (क) × (ख) × 10	69,93,698	6,51,54,822	7,00,54,928.80	5,53,17,036	7,08,64,400	8,25,47,751.80	
सकल उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला (मीट्रिक टन) (छ) = (च) / (ड) × 100	2,01,714.33	17,79,870.30	19,76,719.21	15,95,470.49	19,35,842.00	23,29,225.50	
कोयले का आधिक्य उपभोग (मीट्रिक टन) (ज) = (घ) – (छ)	17,282.74	-590.79	-41,774.62	1,27,200.50	9,972.96	-62,737.86	1,54,456.21
कोयले की औसत कीमत (₹ प्रति मीट्रिक टन)	2,462.73	2,112.83	2,234.32	2,462.73	2,112.83	2,234.32	
आधिक्य कोयला उपभोग का मूल्य (₹ करोड़ में)	4.26	0	0	31.33	2.11	0	37.69
(स्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)							

अनुलग्नक—2.3
पर्यावरण मंजूरी के शर्तों का गैर—अनुपालन दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भित कंडिका 2.10)

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	इस परियोजना से संबंधित किसी भी उपयोगिताओं/सुविधाओं के लिए 508 हेक्टेयर (1,254.76 एकड़) से अधिक की कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जायेगी।	कंडिका क्र. 2.6.1 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।
2	99.89 प्रतिशत दक्षता के साथ उच्च दक्षतायुक्त ईएसपी स्थापित किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कणों का निष्कासन 100 मिलीग्राम/एनएम ³ से अधिक न हो।	अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया कि जनवरी 2017, फरवरी 2017 और जून 2017 में औसत एसपीएम स्तर निर्धारित स्तर से अधिक हो गया और 51 मिलीग्राम/एनएम ³ तथा 65 मिलीग्राम/एनएम ³ के बीच रहा (मानक ¹ से 02 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिक था)।
3	पाँच से कम साइकिल ऑफ कान्सेन्ट्रेशन (सीओसी) को ग्रहण नहीं किया जायेगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि नमक घटकों के साथ पानी के पुनः परिचालन के कारण सीओसी अधिकतर समय पाँच से कम रहा है जिसके परिणामस्वरूप नया पानी की अतिरिक्त खपत हुई। हालांकि, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा क्योंकि पानी का उपयोग प्रतिवर्ष 35 एमसीएम की अनुबंधित मात्रा के भीतर था।
4	निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित अपशिष्टों को संयंत्र के भीतर पुनः परिचालित और पुनः उपयोग किया जायेगा। परियोजना सीमा से बाहर किसी भी अपशिष्ट को नहीं डाला जायेगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत संयंत्र की आवासीय कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अब तक (मार्च 2019) स्थापित नहीं हुआ है। कम्पनी ने अपनी अनुपालन प्रतिवेदन में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, एसटीपी की स्थापना न होने से अनुपचारित घरेलू पानी का निष्कासन चौतरिया नाला के माध्यम से हसदेव नदी में हुआ।
5	फ्लाई ऐश उपयोग पर नोटिफीकेशन एसओ 763(ई) दिनांक 14 सितम्बर 1999 तथा समय—समय पर इसमें संशोधनों के अनुसार 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश को सूखा रूप में एकत्र किया जायेगा और इसके पूर्ण उपयोग का लक्ष्य नौ वर्षों के भीतर प्राप्त किया जायेगा।	मार्च 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग के एमओईएफ एण्ड सीसी के निर्देशों के विरुद्ध सिर्फ 24.07 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया था।
6	निरंतर ध्वनि स्तर 75 डेसीबल तक सीमित होगा और उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए। उच्च ध्वनि क्षेत्रों में काम करने	कंडिका क्र. 2.10.2 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।

¹ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (7 दिसम्बर 2015) के अनुसार एसपीएम का स्तर 100 से 50 मिलीग्राम/एनएम³

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
	वाले लोगों के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाने चाहिए।	
7	संयंत्र की सीमा के आसपास लगभग 1,500–2,000 पेड़ प्रति हेक्टेयर (2.47 एकड़) वृक्ष घनत्व के साथ कम से कम 174 हेक्टेयर (429.78 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।	कम्पनी को एमओईएफ एण्ड सीसी और सीईसीबी के शर्तों के अनुपालन में अधिग्रहित क्षेत्र में 3,46,440 संख्या ² में पौधे लगाने चाहिए थे, किन्तु कम्पनी ने 158 हेक्टेयर (390.26 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सिर्फ 2,36,543 पौधे लगाये। परिणामस्वरूप, 73 हेक्टेयर (180.31 एकड़) क्षेत्र सहित 1,09,897 पौधों की कमी के अलावा पर्यावरण मानदण्डों का उल्लंघन हुआ।
8	वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी संयंत्र की सीमा और उसके आसपास की जायेगी और अभिलेख रखा जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से निगरानी स्टेशनों का स्थान और निगरानी की आवृत्ति तय किया जाएगा। इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की जायेगी।	लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी गृहों (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना पूर्व और परिवेशी दिशाओं में की गयी थी किन्तु, सीईसीबी को प्रस्तुत इसके अनुपालन प्रतिवेदन में वरिष्ठ रसायनज्ञ ने प्रतिवेदित किया कि “विद्युत गृह भवन में दैनिक आधार पर स्टैक के सभी चारों दिशाओं में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। वायु गुणवत्ता की भी निगरानी की जा रही है।” इस प्रकार के मिथ्या प्रतिवेदन के लिए सीईसीबी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि उन्होंने न तो तथ्यों के समर्थन के सहायक दस्तावेजों की जाँच की और न ही भौतिक रूप से सभी चारों दिशाओं में सीएएक्यूएमएस का निरीक्षण किया।
9	कोयले के भण्डारण और हैंडलिंग क्षेत्र और संयंत्र के अन्य संबंधित कमजोर क्षेत्रों में कोयला परिवहन के दौरान उड़नशील धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी छिड़काव यंत्र के साथ धूल निकासी तथा दबाव प्रणाली उपलब्ध करायी जायेगी।	सीएचपी निर्माण से संबंधित देयकों की जाँच से पाया कि धूल निकासी व धूल दबाव प्रणाली कार्य आधी हुई थी। यह भी पाया कि चार धूल निकासी प्रणाली आज तक स्थापित नहीं हुई थी और धूल दबाव प्रणाली भी हस्तचालित साधनों से परिचालित की जा रही थी क्योंकि स्वचालित साधन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था।
10	निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए योग्य कर्मचारियों के साथ एक अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।	लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यावरण प्रकोष्ठ में किसी भी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति अब तक (अप्रैल 2019) नहीं की गई थी जो प्रकोष्ठ जुलाई 2016 में बना था।
11	एमओईएफ का क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्रतिवेदन और	कंडिका क्र. 2.10.3 के द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित।

² 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़) (699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) का 33 प्रतिशत) × 1,500 (वृक्षों की न्यूनतम संख्या) = 3,46,440

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
	पर्यावरण प्रबंधन योजना व अन्य सूचना के साथ समय—समय पर प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रपत्रों की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को निगरानी के दौरान उनके उपयोग के लिए अग्रेषित किया जायेगा।	
12	पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग कोष का आबंटन किया जायेगा।	यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं मिला कि कम्पनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग कोष आबंटित किया था।
13	तापीय विद्युत संयंत्र के लिए मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2015 में निर्धारित मानकों का यथावत अनुपालन किया जायेगा।	दिनांक 7 दिसम्बर 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 500 मेगावाट क्षमता वाले तापीय विद्युत संयंत्र के लिए सल्फर डाइआक्साइड (एसओ ₂) की अनुज्ञेय सीमा 200 मिलीग्राम/एनएम ³ के विरुद्ध जनवरी 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि के दौरान सल्फर डाइआक्साइड की सीमा 202.10 मिलीग्राम/एनएम ³ और 246.15 मिलीग्राम/एनएम ³ के बीच थी जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.10.1 द्वारा इस पर चर्चा की गयी है।
14	संयंत्र के भवनों में विशेष रूप से छत की उपलब्धता के अनुरूप सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन की स्थिति को सौर ऊर्जा के वास्तविक उत्पादन सहित अर्द्धवार्षिक निगरानी प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।	कम्पनी ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन में सौर ऊर्जा तंत्र की स्थापना अब तक (मार्च 2019) नहीं की है। परिणामतः वह ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देने में विफल रहा।
15	कृषि अथवा गैर-कृषि भूमि पर प्रभाव को रोकने के लिए उड़नशील उत्सर्जन को नियंत्रित किया जायेगा। कृषि भूमि/फसल के किसी प्रकार के प्रमाणित नुकसान के प्रकरण में विद्युत संयंत्र के द्वारा आवश्यक मुआवजा दिया जायेगा।	पाइपों से रिसाव के कारण संयंत्र क्षेत्र में बार-बार उड़नशील उत्सर्जन पाया गया। चूंकि पाइपों की बार-बार मरम्मत की जा रही थी, अतः परियोजना में प्रयुक्त पाइपों की घटिया गुणवत्ता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।
16	संयंत्र की सीमा क्षेत्र के हरित क्षेत्र के अतिरिक्त ऐशा पॉन्ड के आसपास भी हरित क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।	कम्पनी ने कुल 699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) भूमि (वनभूमि क्षतिपूर्ति के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि को छोड़कर) अधिग्रहित की तदानुसार, 230.96 हेक्टेयर ³ भूमि में वृक्षारोपण किया जाना था। कम्पनी को अधिग्रहित क्षेत्र में 3,46,440 पौधे ⁴ लगाने चाहिए थे इसके विपरीत, कम्पनी द्वारा 158 हेक्टेयर (390.26 एकड़) क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सिर्फ 2,36,543 पौधे लगाये थे

³ 699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़)× 33 प्रतिशत = 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़)

⁴ 230.96 हेक्टेयर (570.48 एकड़) (699.89 हेक्टेयर (1,728.73 एकड़) का 33 प्रतिशत) × 1,500 (न्यूनतम वृक्षों की संख्या) =3,46,440

क्र.सं.	नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा अवलोकन
		परिणामतः 1,09,897 पौधों की कमी हुई। इसके अलावा, ऐश पॉन्ड क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण नहीं किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 6,000 पौधों में से लगभग 250 से 300 पौधे ही बढ़ते हुए पौधे की तरह अच्छी दशा में थे तथा शेष पौधे या तो मर चुके थे या बमुश्किल जीवित थे।
17	परियोजना की स्थापना के साथ ही आवश्यकता आधारित मूल्यांकन के अनुरूप सीएसआर योजनाओं का ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के परामर्श से कार्यान्वयन किया जायेगा। सीएसआर के भाग के रूप में स्थानीय रोजगार योग्य युवाओं की पूर्व पहचान की जायेगी तथा संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें परियोजना में रोजगार प्रदान किया जाएगा। कम्पनी सामुदायिक विकास गतिविधियों और आय सृजन कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट प्रदान करेगी।	कम्पनी ने परियोजना में रोजगार प्रदान करने के लिए स्थानीय रोजगार योग्य युवाओं की पहचान प्रशिक्षण देने के लिए नहीं की है। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने की चर्चा कंडिका क. 2.11.2 में की गयी है।

(स्रोत: कम्पनी/सीईसीबी के अभिलेखों से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक—3.1

वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिमीकृत किया गया के लिए इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम
(संदर्भित कांडिका 3.1, 3.11 एवं 3.12)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमी-कृत लेखों का वर्ष	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी [#]	निवल मूल्य [¥]	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईएनएल)	2017–18	2018–19	17.89	16.20	45.61	26.65	248.57	248.57	214.55
2	छत्तीसगढ़ राज्य बैवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल)	2017–18	2018–19	7.66	4.74	863.06	0.15	69.82	69.82	69.67
योग (I)				25.55	20.94	908.67	26.80	318.39	318.39	284.22
II. सेन्ट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)	2016–17	2018–19	2.80	1.96	6,895.69	4.43	−205.21	−205.21	−210.59
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेबीएनएल)	2016–17	2018–19	41.01	25.91	622.77	0.50	194.59	175.19	174.31
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेबीईसीएन)	2016–17	2018–19	2.15	1.09	2.63	5.00	66.04	17.87	12.87
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल)	2016–17	2018–19	5.96	3.98	133.44	3.45	17.99	17.99	14.54
7	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)	2017–18	2018–19	6.20	4.05	8.17	2.00	211.73	40.49	38.49
8	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.10	−0.10	38.80	4.90	4.40	4.40	−0.50
9	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)	2016–17	2018–19	−0.02	−0.02	2.98	0.10	0.08	0.08	−0.02
10	अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (एएनएससीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.31	−0.31	−	0.10	−0.21	−0.21	−0.31
योग (II–अ)				57.69	36.56	7,704.48	20.48	289.41	50.60	28.79

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमी—कृत लेखों का वर्ष	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी	नियोजित पूँजी [#]	निवल मूल्य [¥]	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ब. सांविधिक निगम										
11	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)	2017–18	2018–19	54.19	33.88	136.01	4.04	370.63	211.06	207.02
योग (II–ब)				54.19	33.88	136.01	4.04	370.63	211.06	207.02
योग (II)				111.88	70.44	7,840.49	24.52	660.04	261.66	235.81
III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
12	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसीएल)	2017–18	2018–19	2.83	2.24	28.51	1.00	195.48	16.16	15.02
13	केरवा कोल लिमिटेड (कसीएल)	2017–18	2018–19	0.32	0.23	0.46	4.90	12.70	5.22	0.32
योग (III)				3.15	2.47	28.97	5.90	208.18	21.38	15.34
महायोग (I+II+III)				140.58	93.85	8,778.13	57.22	1,186.61	601.43	535.37

नियोजित पूँजी =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – रथगित राजस्व व्यय।

¥ निवल मूल्य =प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानियाँ – रथगित राजस्व व्यय।

अनुलग्नक—3.2

उन राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया
(संदर्भित कंडिका 3.1 एवं 3.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	लेखों की अवधि	अंतिमीकृत लेखों का वर्ष	ब्याज, कर एवं लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त अंशपूँजी
1	2	3	4	5	6	7
I. कार्यरत पीएसयूज जिसके तीन या अधिक वर्ष के लेखें बकाया/प्रथम लेखा जो प्राप्त नहीं हुए/बकाया नहीं थे अथवा व्यवसाय का संचालन प्रारंभ नहीं किया हो						
अ. सरकारी कम्पनियाँ						
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	2013–14	2018–19	−0.82	122.46	1.60
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)	2014–15	2018–19	—	0.59	4.20
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल)	प्रारंभ (2016–17) से लेखों को जमा नहीं किया	—	—	—	—
4	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (सीआरसीएल) ¹	2017–18	2018–19	−4.18	1.10	50.00
5	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम (सीएसआईआईसी)	प्रथम लेखा (2017–18) जमा नहीं किया	—	—	—	—
योग—I				−5.00	124.15	55.80
II. गैर कार्यरत पीएसयूज						
अ. सरकारी कम्पनियाँ						
6	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	2016–17	2018–19	—	—	82.60
7	छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	2017–18	2018–19	−0.01	—	21.94
8	सीएसपीजीसीएल ईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड (सीएपीसीएल)	2017–18	2018–19	—	—	0.16
योग-II				−0.01	—	104.70
महायोग (I+II+III)				−5.01	124.15	160.50

¹ पीएसयू की योजनाएँ जो निर्माणाधीन हैं और इस प्रकार इन पीएसयू के वास्तविक व्यवसाय का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

अनुलग्नक—3.3

31 मार्च 2018 को राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भित कंडिका 3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य [#]	योग	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य [#]	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
I. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज											
अ. सरकारी कम्पनियाँ											
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	—	26.65	—	—	—	—
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	—	—	0.15	—	—	—	—
योग (I)				25.88	0.92	—	26.80	—	—	—	—
II. सेन्ट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज											
अ. सरकारी कम्पनियाँ											
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	—	—	4.43	—	—	—	—
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	—	—	0.50	—	—	—	—
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक कल्याण	04.07.2004	5.00	—	—	5.00	—	—	52.08	52.08
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	—	—	3.45	—	—	—	—
7	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	—	—	2.00	—	—	171.24	171.24
8	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूटी/शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	11.11.2014	4.90	—	—	4.90	—	—	—	—
9	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	—	—	0.10	0.10	—	—	—	—

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी\$				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण			
				छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य #	योग	छत्तीसगढ़ शासन	केन्द्र सरकार	अन्य #	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
10	अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	—	—	0.10	0.10	—	—	—	—
योग (II-अ)				20.28	—	0.20	20.48	—	—	223.32	223.32
ब. सांविधिक निगम											
11	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	—	2.02	4.04	159.57	—	—	159.57
योग (II-ब)				2.02	—	2.02	4.04	159.57	—	—	159.57
योग (II)				22.30	—	2.22	24.52	159.57	—	223.32	382.89
III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज											
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ											
12	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	—	—	1.00	179.32@	—	—	179.32
13	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	—	—	4.90	4.90	—	—	7.48	7.48
योग (III)				1.00	—	4.90	5.90	179.32	—	7.48	186.80
महायोग (I+II+III)				49.18	0.92	7.12	57.22	338.89	—	230.80	569.69

\$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया आबंटन राशि सम्मिलित है।

अन्य में वित्तीय संस्थानों, बैंकों एवं होलिडंग कम्पनी तथा पीएसयूज इत्यादि का निवेश सम्मिलित है।

@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।

अनुलग्नक-3.4

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखें में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला
विवरण पत्रक
(संदर्भित कडिका 3.7)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	राज्य पीएसयूज के दस्तावेजों के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त अंशपूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त अंश पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त अंश पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
विद्युत कम्पनी के अतिरिक्त पीएसयूज										
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	25.73	—	—	6.55	—	—	19.18	—	—
2	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	25.50	—	—	4.00	—	—	21.50	—	—
3	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1.60	—	—	11.10	—	—	9.50	—	—
4	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	—	32.50	5.00	—	35.31	—	—	2.81
5	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फारेक्चर निगम	0.05	—	—	—	—	—	0.05	—	—
6	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2.02	159.57	—	0.50	159.57	—	1.52	—	—
7	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	1.00	179.32	—	1.00	—	—	—	179.32	—

अनुलग्नक-3.5

कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखें वर्ष 2017–18 के दौरान बकाया हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला

विवरण पत्रक

(संदर्भित कांडिका 3.8.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	अवधि तक के लेखें अंतिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखें बकाया हैं	अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया जिस अवधि के दौरान लेखें बकाया हैं								
					पूँजी	ऋण	अनुदान ^{\$}	सब्सिडी	योग				
अ. कार्यरत पीएसयूज													
I. दो वर्ष तक के बकाया													
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	4.43	—	—	—	2,241.92	2,241.92				
2	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	0.50	—	—	—	44.72	44.72				
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2016–17	2017–18	5.00	—	—	0.40	0.14	0.54				
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	3.45	—	—	—	—	—				
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016–17	2017–18	0.10	—	—	—	—	—				
योग I					—	—	0.40	2,286.78	2,287.18				
II. तीन या अधिक वर्ष के लिए लेखें बकाया/प्रथम लेखा जो प्राप्त नहीं हुए													
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013–14	2014–15 से 2017–18	1.60	—	—	292.03	8.07	300.10				
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2015–16 से 2017–18	4.20	—	—	10.00	—	10.00				
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रारंभ (2016–17) से लेखें जमा नहीं किया	2016–17 से 2017–18	—	—	—	—	—	—				
4	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम	प्रथम लेखा (2017–18) जमा नहीं किया	2017–18	—	—	—	—	—	—				
योग II					—	—	302.03	8.07	310.10				

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	अवधि तक के लेखें अंतिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखें बकाया हैं	अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया जिस अवधि के दौरान लेखें बकाया हैं				
					पूँजी	ऋण	अनुदान ^{\$}	सब्सिडी	योग
		योग (अ)		—	—	—	302.43	2,294.85	2,597.28
ब. गैर-कार्यरत पीएसयूज									
1	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2016–17	2017–18	82.60	—	—	—	—	—
		योग (ब)		—	—	—	—	—	—
		योग (अ+ब)		—	—	—	302.43	2,294.85	2,597.28

\$ पूँजी के साथ-साथ राजस्व (स्थापना) अनुदान के आंकड़े सम्मिलित हैं।

अनुलग्नक—3.6

वर्ष 2008–09 से 2017–18 के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश की गई राज्य सरकार निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भित कांडिका 3.14)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	अ. एकाधिकार क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज								ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज							
स. क्र.	1				2				3				4			
इकाई	सीआरबीईएनएल				सीएसबीसीएल				सीएससीएससीएल				सीआरबीईकेबीएनएल			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	5.62	20.11	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2008–09	20.11	–20.11 [¥]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010–11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	25.73	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.43	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

¥ वर्ष 2008–09 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में ₹ 20.11 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण की बजटीय सहायता को पूँजी के रूप में परिवर्तित किया गया, अतः

₹ 20.11 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण से कम किया गया है और वर्ष 2008–09 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त पूँजी में सम्मिलित किया गया है।

क्षेत्र	ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज															
स. क्र.	5				6				7				8			
इकाई	सीएनजेक्वीएक्वीएन				सीएमएससीएल				सीपीएचसीएल				सीआरडीसीएल			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2008–09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010–11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
योग	5.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	3.91	2.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	

क्षेत्र	ब. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी से निश्चित आय प्राप्त करने वाले पीएसयूज					स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यशील पीएसयूज		
	9					10		
इकाई	सीएसडब्ल्यूसी				सीएमडीसी			
वर्ष	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिस पर ब्याज का भुगतान में विफल थे	पूँजीगत अनुदान
2007–08 तक	2.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2008–09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009–10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010–11	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05	0.00	0.00
2016–17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
2017–18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00
योग	2.02	0.00	0.00	9.37	1.00	115.32	0.00	0.00

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in